वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से
डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 52] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 25 दिसम्बर, 2020-पौष 4, शके 1942

भाग 3 (1)

विज्ञापन

न्यायालयों की सूचनाएं

IN THE HON'BLE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH

INDORE-BENCH ORIGINAL JURISDICTION

Company Petition No. 35/2013

In the matter of The COMPANIES ACT, 1956

AND

IN THE MATTER OF:-

CITI BANK.....Petitioner

VERSUS

M/s. Plethico Pharmaceuticals Limited (In-Prov. Liqn.)
Regd. Office:-A.B. Road, Manglia-453771, Dist. Indore (M.P.).

ADVERTISEMENT OF PETITION

Pursuant to the order dated 19/11/2020 of the Hon'ble High Court of MP, Indore Bench, NOTICE is hereby given that a petition under Section under Section 433 (e) & (f) read with Section 434 and 439 of the Companies Act, 1956, for winding up of the above named company was presented by Citi Bank, London, on the 17th Day of September, 2013 and the said petition is fixed for hearing before the Court on 18/01/2021.

Any creditor or Contributory or other person desirous of supporting or opposing the making of an order on the said petition should send to the petitioner or his advocate or Office of the Office Liquidator, Indore, notice of his intention signed by him or his advocate with his name and address, So as to reach the petitioner or his advocate or Office of the Official Liquidator, Indore, not later than 5 days before the date fixed for the hearing of the petition, and appear at the hearing for the purpose in person or by his advocate. A copy of the petition will be furnished by the undersigned to any creditor or contributory on payment of the prescribed charges for the same.

Any affidavit intended to be used in opposition to the petition should be filed in Court, and a copy served on the petitioner or his advocate, or Office of the Official Liquidator, Indore, not less than 5 days before the date fixed for the hearing.

Date : 11-12-2020 Sd/-

Place: Indore. High Court Of Madhya Pradesh, Indore

(SITARAM S. GUPTA)

Official Liquidator.

1st Floor, Old CIA Building, Opp. GPO,

(500-B.) Residency Area, Indore (M.P.).

स्थानीय संस्थाओं की सूचनाएं

कार्यालय उज्जैन विकास प्राधिकरण, उज्जैन

विशाला भवन, भरतपुरी प्रशासनिक क्षेत्र, देवास रोड, उज्जैन 456010

दिनांक 23 नवम्बर, 2020

प्ररूप -सोलह

[नियम 19 (2) देखिए]

[धारा-50 की उपधारा (1) के अधीन नगर विकास स्कीम बनाने की घोषणा की सूचना]

क्रमांक 15056/TDS-1/UJN/2020.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा-50 की उप-धारा (1) के अधीन एतद्द्वारा घोषित किया जाता है कि उज्जैन विकास प्राधिकरण, उज्जैन, नगर विकास स्कीम क्रमांक TDS-1 /UJN/2020 अर्थात् ग्राम गोयलाखुर्द एवं ग्राम मालनवासा की भूमि पर आवासीय योजना बनाने का आशय रखता है. स्कीम में सम्मिलित किये गये खसरा क्रमांक निम्नानुसार हैं:-

सरल क्रमांक	भूमि स्वामी का नाम	तहसील	ग्राम का नाम	खसरा क्रमांक (इसके अंशों को सम्मिलित करते हुए, यदि कोई हो)	क्षेत्रफल हेक्टयर में
1	2	3	4	5	6
1.	रतन सिंह पिता मयाराम आंजना नि.ग्राम गोयलाखुर्द भूमि स्वामी	कोठी महल	गोयलाखुर्द	119/3/मी.-2 122/1 123/मी.-1	1.892 0.805 2.697
2.	शासकीय भूमि	कोठी महल	गोयलाखुर्द	124	0.350
3.	प्रदीप पिता घनश्याम, पता उज्जैन म.प्र.भूमिस्वामी मीना पिता घनश्याम पता उज्जैन म.प्र.शेलबाला पिता घनश्याम, पता उज्जैन म.प्र.,शकुंतला बेवा घनश्याम, देव नाबालिग पिता नरेन्द्र संरक्षक माता ज्योति पता उज्जैन संजू नाबालिग पिता नरेन्द्र संरक्षक माता ज्योति पता उज्जैन निलम नाबालिग पिता नरेन्द्र संरक्षक माता ज्योति पता उज्जैन म.प्र. भूमि स्वामी ज्योति बेवा नरेन्द्र जायसवाल पता उज्जैन म.प्र.भूमि स्वामी भू-राजस्व 11.14.	कोठी महल	मालनवासा	20/2/2 21/2/1/2	0.2860 0.5870 0.8730
4.	लहरी बाबू, राजेश पिता दौलतराम, ममता पुत्री दौलतराम व रेखाबाई विधवा कैलाशचन्द्र, यश कुमार, विजय कुमार पिता कैलाशचन्द्र जाति जायसवाल निवासी ग्राम भूमि स्वामी.	कोठी महल	मालनवासा	20/2/1 21/2/1/3	0.070 0.803 0.873
5.	शिवनारायण पिता गेंदालाल जाति जायसवाल पता 23 प्रकाश नगर, उज्जैन.	कोठी महल	मालनवासा	21/2/1/1 21/2/3/2	0.7840 0.0370 0.8210

1	2	3	4	5	6
6.	रेशमा मालवीय पति डॉ. चिन्तामण मालवीय जाति बलाई पता निवासी ई-4 विश्वविद्यालय परिसर कोठी रोड, उज्जैन.	कोठी महल	मालनवासा	21/2/3/1	0.8360
7.	कल्पना पति रवि लोहिया नि. 13 बक्तावर मार्ग फ्रीगंज, उज्जैन भूमि स्वामी.	कोठी महल	मालनवासा	116/2/3/मी.-1 123/2/3 मी.	0.1920
8.	समन्वय सोशल वेलफेयर सोसा.उज्जैन द्वारा सचिव, अनिल पिता नीलकंठ चिंचोलीकर नि. 43 भक्तनगर, उज्जैन.	कोठी महल	मालनवासा	116/2/2/मी.-1 123/2/2/मी.-1	0.2560
9.	ज्योति पति संजय अग्रवाल नि. 94 विवेकानंद कॉलोनी, उज्जैन भूमि स्वामी.	कोठी महल	मालनवासा	116/2/3/मी.-2 123/2/3 मी.	0.1920
10.	मीना अरोरा पति राजेश अरोरा पता निवासी 97 अलखधाम नगर, उज्जैन भूमि स्वामी.	कोठी महल	मालनवासा	124/2/1/2	0.4090
11.	नम्रता पति पंकज कुमार सिंघल नि. बी-458 विवेकानंद कॉलोनी, उज्जैन भूमि स्वामी.	कोठी महल	मालनवासा	116/2/1 123/2/1	0.1920
12.	शासकीय भूमि (निस्तार)	कोठी महल	मालनवासा	15/2	0.314
13.	नगरीय भूमि (शासकीय अतिशेष)	कोठी महल	मालनवासा	18/2	0.063
14.	नगरीय भूमि (शासकीय अतिशेष)	कोठी महल	मालनवासा	19/2	0.366
				योग	**8.434**

कोई भी व्यक्ति, इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से, स्कीम में सम्मिलित किए गए क्षेत्र के भीतर किसी प्रकार की भूमि का उपयोग या भवन में परिवर्तन या कोई भी विकास, संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश की अनुमति प्राप्त किए बिना, नहीं करेगा.

(502-बी.)

दिनांक 23 नवम्बर, 2020

प्ररूप -सोलह

[नियम 19 (2) देखिए]

[धारा-50 की उपधारा (1) के अधीन नगर विकास स्कीम बनाने की घोषणा की सूचना]

क्रमांक 15057/TDS-2/UJN/2020.—मधयप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा-50 की उप-धारा (1) के अधीन एतद्द्वारा घोषित किया जाता है कि उज्जैन विकास प्राधिकरण, उज्जैन, नगर विकास स्कीम क्रमांक TDS-2/UJN/2020 अर्थात् ग्राम हक्कानीपुरा एवं खिलचीपुर की भूमि पर आवासीय योजना बनाने का आशय रखता है. स्कीम में सम्मिलित किये गये खसरा क्रमांक निम्नानुसार हैं:-

ग्राम हक्कानीपुरा की निजी भूमि का विवरण:-

सरल क्रमांक	भूमि स्वामी का नाम	तहसील	ग्राम का नाम	खसरा क्रमांक (इसके अंशों को सम्मिलित करते हुए, यदि कोई हो)	क्षेत्रफल हेक्टयर में
1	2	3	4	5	6
1.	रामेश्वर पिता मथुरालाल	उज्जैन	हक्कानीपुरा	3/1/2 पार्ट	0.110
2.	कृष्णा पति धनश्याम जाट	उज्जैन	हक्कानीपुरा	3/1/3 पार्ट	0.757
3.	मांगीलाल, मनोहरलाल पिता मनीराम, नानीबाई विधवा मनीराम जाति माली	उज्जैन	हक्कानीपुरा	3/2 पार्ट	0.204

1	2	3	4	5	6
4.	ज्ञानचंद्र, योगेश, अजय पिता बद्रीलाल जाट	उज्जैन	हक्कानीपुरा	31 पार्ट	1.265
5.	मनोहरसिंह पिता रामनारायण	उज्जैन	हक्कानीपुरा	32	1.254
6.	मनोहरसिंह पिता रामनारायण	उज्जैन	हक्कानीपुरा	34 पार्ट	0.173
7.	मनोहरसिंह पिता रामनारायण	उज्जैन	हक्कानीपुरा	47 पार्ट	1.124
8.	ज्ञानचंद्र, योगेश, अजय पिता बद्रीलाल जाट	उज्जैन	हक्कानीपुरा	48	0.512
9.	स्नेहलताबाई पति कैलाशचन्द्र जाट	उज्जैन	हक्कानीपुरा	49	0.366
10.	महेश पिता वरदाजी	उज्जैन	हक्कानीपुरा	51/1	1.411
11.	लाखन, धर्मेन्द्र पिता सत्यनारायण, ज्योति पिता सत्यनारायण, सोरमबाई विधवा सत्यनारायण जाति गारी.	उज्जैन	हक्कानीपुरा	51/2 मीन-1	1.239
12.	महेश पिता वरदाजी नि. ग्राम	उज्जैन	हक्कानीपुरा	51/2 मीन-3	0.005
13.	श्यामलाल, कृष्णा पिता मोतीलाल जाति अहिर	उज्जैन	हक्कानीपुरा	51/2 मीन-4	0.167
14.	ललिताबाई पति मनोहरसिंह	उज्जैन	हक्कानीपुरा	52	1.818
15.	पंकज पिता बालमुकुंद जाट	उज्जैन	हक्कानीपुरा	53/1/1	0.843
16.	बालमुकुंद पिता बद्रीलाल जाट	उज्जैन	हक्कानीपुरा	53/1/2	0.836
17.	सुनीता पति रामेश्वर जाट	उज्जैन	हक्कानीपुरा	53/2/1	0.425
18.	रामप्यारीबाई पति बालमुकुंद जाट	उज्जैन	हक्कानीपुरा	53/2/2	0.425
19.	हीरालाल, प्रकाश, दिनेश पिता मदनलाल	उज्जैन	हक्कानीपुरा	54-55 पार्ट	0.688
20.	बद्रीलाल पिता कचरू जाट	उज्जैन	हक्कानीपुरा	59 पार्ट	0.261
21.	मोहन पिता नंदराम, धीरज, नेहा पिता प्रकाश, शोभाबाई विधवा प्रकाश,सुशीलाबाई पति नंदराम जाट	उज्जैन	हक्कानीपुरा	60/2	0.209
22.	मोहन पिता नंदराम, धीरज, नेहा पिता प्रकाश, शोभाबाई विधवा प्रकाश,सुशीलाबाई पति नंदराम जाट	उज्जैन	हक्कानीपुरा	61	1.829
23.	रामेश्वर पिता बद्रीलाल जाट	उज्जैन	हक्कानीपुरा	62/1 पार्ट	0.490
24.	कंवरलाल पिता नंदराम जाट	उज्जैन	हक्कानीपुरा	62/2 पार्ट	0.972
25.	मोहन पिता नंदराम, धीरज, नेहा पिता प्रकाश, शोभाबाई विधवा प्रकाश,सुशीलाबाई पति नंदराम जाट	उज्जैन	हक्कानीपुरा	64	1.390
26.	बद्रीलाल पिता कचरू जाट	उज्जैन	हक्कानीपुरा	65	2.174
27.	बद्रीलाल पिता कचरू जाट	उज्जैन	हक्कानीपुरा	66	0.752
28.	मुकेश पिता बद्रीलाल जाट	उज्जैन	हक्कानीपुरा	67/1	0.470
29.	गणपत पिता नंदराम जाट	उज्जैन	हक्कानीपुरा	67/2	0.418
30.	बद्रीलाल पिता कचरू जाट	उज्जैन	हक्कानीपुरा	68	0.596
31.	बद्रीलाल पिता कचरू जाट	उज्जैन	हक्कानीपुरा	70	2.550
32.	ललीताबाई पति मनोहरसिंह	उज्जैन	हक्कानीपुरा	71	0.575
33.	कॅवरलाल पिता नन्दराम जाट	उज्जैन	हक्कानीपुरा	72/1	0.627
34.	मुकेश पिता बद्रीलाल जाट	उज्जैन	हक्कानीपुरा	72/2	0.721

1	2	3	4	5	6
35.	गिरधारीलाल पिता बद्रीलाल जाट	उज्जैन	हक्कानीपुरा	73/1/मी.-1	0.442
36.	मुकेश पिता बद्रीलाल जाट	उज्जैन	हक्कानीपुरा	73/1/ मी.-2	0.233
37.	हरीश पिता बद्रीलाल जाट	उज्जैन	हक्कानीपुरा	73/1/ मी.-3	0.130
38.	गणपत पिता नंदराम जाट	उज्जैन	हक्कानीपुरा	73/2	0.324
39.	कंवरलाल पिता नंदराम जाट	उज्जैन	हक्कानीपुरा	73/3	0.480
40.	बद्रीलाल पिता कचरू जाट	उज्जैन	हक्कानीपुरा	74	1.536
				योग	**30.801**

ग्राम हक्कानीपुरा की शासकीय भूमि का विवरण:-

सरल क्रमांक	भूमि स्वामी का नाम	तहसील	ग्राम का नाम	खसरा क्रमांक (इसके अंशों को सम्मिलित करते हुए, यदि कोई हो)	क्षेत्रफल हेक्टयर में
1	2	3	4	5	6
1.	शासकीय (निस्तार)	उज्जैन	हक्कानीपुरा	2 पार्ट	0.199
2.	नहर-कूल (शासकीय)	उज्जैन	हक्कानीपुरा	33	0.199
3.	शासकीय (नहर)	उज्जैन	हक्कानीपुरा	46 पार्ट	0.125
4.	निस्तार (शासकीय)	उज्जैन	हक्कानीपुरा	50	0.334
5.	रास्ता (शासकीय)	उज्जैन	हक्कानीपुरा	63 पार्ट	0.157
6.	नाला (शासकीय)	उज्जैन	हक्कानीपुरा	69	0.178
7.	रास्ता (शासकीय)	उज्जैन	हक्कानीपुरा	92 अंशभाग	0.022
				योग	**1.214**

ग्राम खिलचीपुर की निजी भूमि का विवरण:-

सरल क्रमांक	भूमि स्वामी का नाम	तहसील	ग्राम का नाम	खसरा क्रमांक (इसके अंशों को सम्मिलित करते हुए, यदि कोई हो)	क्षेत्रफल हेक्टयर में
1	2	3	4	5	6
1.	गजेन्द्रसिंह पिता गोवर्धनसिंह जाति आंजना	उज्जैन	खिलचीपुर	251/1 पार्ट	1.503
2.	जितेन्द्र पिता जीवनसिंह जाति आंजना निवासी ग्राम भूमि स्वामी.	उज्जैन	खिलचीपुर	253 पार्ट	0.606
3.	जितेन्द्र पिता जीवनसिंह जाति आंजना निवासी ग्राम भूमि स्वामी.	उज्जैन	खिलचीपुर	254/1	1.014
4.	गीताबाई पति रामरतन निवासी ग्राम भूमि स्वामी	उज्जैन	खिलचीपुर	254/2	0.836
5.	गीताबाई पति रामरतन निवासी ग्राम भूमि स्वामी	उज्जैन	खिलचीपुर	255	2.623
6.	नीलम पिता भवानी बक्ष	उज्जैन	खिलचीपुर	256	0.136
7.	महेश राजाराम	उज्जैन	खिलचीपुर	259	1.275
7 A.	मुकेश पिता राजाराम	उज्जैन	खिलचीपुर	260 पार्ट	1.846

1	2	3	4	5	6
8.	मेसर्स "फ्यूचर डेवलपर्स	उज्जैन	खिलचीपुर	262	0.449
9.	मेसर्स "फ्यूचर डेवलपर्स	उज्जैन	खिलचीपुर	263/1	0.418
10.	बद्रीलाल पिता हीरालाल, प्रभुलाल पिता भागीरथ निवासी उज्जैन भूमि स्वामी.	उज्जैन	खिलचीपुर	263/2	0.523
11.	बद्रीलाल पिता हीरालाल, प्रभुलाल पिता भागीरथ निवासी उज्जैन भूमि स्वामी.	उज्जैन	खिलचीपुर	264/1मिन-1	2.059
12.	हंसकुंवर बाई उर्फ अंशुकंवरबाई पति पद्मसिंह जाति आंजना निवासी ग्राम भूमि स्वामी.	उज्जैन	खिलचीपुर	264/2	0.418
13.	छोटेलाल पिता मुंगाराम जाति ब्राहमण निवास ग्राम उज्जैन भूमि स्वामी.	उज्जैन	खिलचीपुर	264/3	0.418
14.	संदीप पिता शंकरसिंह	उज्जैन	खिलचीपुर	265	1.285
15.	विभिन्न साईज के भूखण्ड	उज्जैन	खिलचीपुर	273 पार्ट	0.041
16.	जयन्तीबाई हरजी, दलसुख भाई नारायण भाई पटेल	उज्जैन	खिलचीपुर	274 पार्ट	0.264
17.	रतनसिंह पिता हजारीलाल	उज्जैन	खिलचीपुर	275 पार्ट	0.166
18.	जयन्ती भाई हरजीभाई आदि (सर्वे क्रमांक 283 में कुल 17 भूमि स्वामी/भूखण्डधारी है).	उज्जैन	खिलचीपुर	283/2/2	0.104
	नारायणसिंह पिता दौलतसिंह			283/2/1/मी.-9	
	मदन पिता पन्नालाल			284/1/2/मी.	
19.	(1) तनुजा पिता जीवन लक्ष आदि	उज्जैन	खिलचीपुर	304/1	0.199
	(2) सेवाराम बापू आदि			304/2/2	
	(3) कलाबाई आदि			304/2/3	
	(4) बामनीबाई आदि			304/2/मी.-1	
	(5) ईशा पिता कन्हैयालाल आदि			304/2/मी.-2	
	(6) शांतिबाई आदि			304/3	
20.	(1) बजरंगलाल पिता गुलाबचंद आदि	उज्जैन	खिलचीपुर	306/1	0.005
	(2) बजरंगलाल पिता गुलाबचंद आदि			306/2	
	(3) बजरंगलाल पिता गुलाबचंद			306/मी-3	
	(4) मोहम्मद लियाकत आदि			306/मी.-4	
21.	(1) दलसुख भाई, नारायण भाई पटेल	उज्जैन	खिलचीपुर	307/1	0.107
	(2) बजरंगलाल पिता गुलाबचंद आदि			307/2	
22.	हंसकुंवर बाई उर्फ अंशुकंवरबाई पति पद्मसिंह जाति आंजना निवासी ग्राम भूमि स्वामी.	उज्जैन	खिलचीपुर	316/3	0.836
23.	हंसकुंवर बाई उर्फ अंशुकंवरबाई पति पद्मसिंह जाति आंजना निवासी ग्राम भूमि स्वामी.	उज्जैन	खिलचीपुर	317	3.522
24.	बहादुर सिंह पिता अंबाराम निवासी ग्राम भूमि स्वामी	उज्जैन	खिलचीपुर	318	0.846

1	2	3	4	5	6
25.	हंसकुंवर बाई उर्फ अंशुकंवरबाई पति पद्मसिंह जाति आंजना निवासी ग्राम भूमि स्वामी.	उज्जैन	खिलचीपुर	319	0.669
26.	करणसिंह पिता सेवाराम व सूरजबाई विधवा सेवाराम निवासी ग्राम भूमि स्वामी.	उज्जैन	खिलचीपुर	320	0.449
27.	हंसकुंवर बाई उर्फ अंशुकंवरबाई पति पद्मसिंह जाति आंजना निवासी ग्राम भूमि स्वामी.	उज्जैन	खिलचीपुर	321	0.293
28.	हेमंत, आशुतोष पिता कमलसिंह, राजूबाई पति बालमुकुन्द जाति मीणा निवासी ग्राम उज्जैन भूमि स्वामी.	उज्जैन	खिलचीपुर	326	0.230
29.	करणसिंह पिता सेवाराम, सूरजबाई विधवा सेवाराम	उज्जैन	खिलचीपुर	327 पार्ट	0.038
30.	तनुजा, जीवन, लक्ष्य नाबालिग पिता जीवन	उज्जैन	खिलचीपुर	328 पार्ट	0.116
31.	करणसिंह पिता सेवाराम, सूरजबाई विधवा सेवाराम	उज्जैन	खिलचीपुर	339 पार्ट	0.311
32.	हेमन्तसिंह, आशुतोष, ललिताबाई	उज्जैन	खिलचीपुर	340 पार्ट	0.300
33.	हेमंत, आशुतोष पिता कमलसिंह, राजूबाई पति बालमुकुन्द जाति मीणा निवासी ग्राम उज्जैन भूमि स्वामी.	उज्जैन	खिलचीपुर	343	0.496
34.	हेमंत, आशुतोष पिता कमलसिंह, राजूबाई पति बालमुकुन्द जाति मीणा निवासी ग्राम उज्जैन भूमि स्वामी.	उज्जैन	खिलचीपुर	344	0.993
35.	हेमंत, आशुतोष पिता कमलसिंह, राजूबाई पति बालमुकुन्द जाति मीणा निवासी ग्राम उज्जैन भूमि स्वामी.	उज्जैन	खिलचीपुर	345	1.818
36.	जीतेन्द्र पिता जीवनसिंह जाति आंजना निवासी ग्राम भूमि स्वामी.	उज्जैन	खिलचीपुर	347	0.219
37.	जसुबाई बेवा आत्माराम जाति आंजना निवासी ग्राम भूमि स्वामी.	उज्जैन	खिलचीपुर	349	1.442
38.	गोरधनलाल पिता आत्माराम नि. ग्राम	उज्जैन	खिलचीपुर	351	4.881
39.	बहादुर सिंह पिता अंबाराम निवासी ग्राम भूमि स्वामी	उज्जैन	खिलचीपुर	352/1	0.199
40.	बहादुर सिंह पिता अंबाराम निवासी ग्राम भूमि स्वामी	उज्जैन	खिलचीपुर	352/2	0.031
41.	रमेश पिता अंबाराम नि.ग्राम भूमि स्वामी.	उज्जैन	खिलचीपुर	353	1.160
42.	नीलम पिता भवानी बक्ष जाति ब्राहमण निवासी ग्राम भूमि स्वामी.	उज्जैन	खिलचीपुर	361	0.324
43.	निलम पिता भवानीबक्ष जाति ब्राहमण निवासी ग्राम भूमि स्वामी.	उज्जैन	खिलचीपुर	362	0.418
44.	गजेन्द्र सिंह पिता गोवर्धनसिंह जाति आंजना निवासी ग्राम भूमि स्वामी.	उज्जैन	खिलचीपुर	366	0.230
45.	रीता पति ईश्वरसिंह जाति आंजना निवासी ग्राम डोंगला भूमि स्वामी.	उज्जैन	खिलचीपुर	367	2.038
46.	जितेन्द्र पिता रामेश्वर जाति आंजना निवासी ग्राम भूमि स्वामी.	उज्जैन	खिलचीपुर	368	2.748
47.	जस्सुबाई बिवा आत्माराम जाति आंजना निवासी ग्राम भूमि स्वामी.	उज्जैन	खिलचीपुर	369	0.303

1	2	3	4	5	6
48.	जितेन्द्र पिता जीवनसिंह जाति आंजना निवासी ग्राम भूमि स्वामी.	उज्जैन	खिलचीपुर	370	0.732
49.	जस्सुबाई बिवा आत्माराम जाति आंजना निवासी ग्राम भूमि स्वामी.	उज्जैन	खिलचीपुर	371	0.230
50.	जीवनसिंह पिता आत्माराम जाति आंजना निवासी ग्राम भूमि स्वामी.	उज्जैन	खिलचीपुर	372	3.125
51.	जस्सुबाई बिवा आत्माराम जाति आंजना निवासी ग्राम भूमि स्वामी.	उज्जैन	खिलचीपुर	373	0.146
52.	जीवनसिंह पिता आत्माराम जाति आंजना निवासी ग्राम भूमि स्वामी.	उज्जैन	खिलचीपुर	375	0.240
53.	हरिओम सिंह पिता जीवनसिंह जाति आंजना निवासी ग्राम भूमि स्वामी.	उज्जैन	खिलचीपुर	376	2.508
				योग	**48.186**

ग्राम खिलचीपुर की शासकीय भूमि का विवरणः-

सरल क्रमांक	भूमि स्वामी का नाम	तहसील	ग्राम का नाम	खसरा क्रमांक (इसके अंशों को सम्मिलित करते हुए, यदि कोई हो)	क्षेत्रफल हेक्टयर में
1	2	3	4	5	6
1.	शासकीय म.प्र.शासन	उज्जैन	खिलचीपुर	278 पार्ट	0.035
2.	शासकीय	उज्जैन	खिलचीपुर	322	0.073
3.	शासकीय	उज्जैन	खिलचीपुर	323	0.011
4.	शासकीय	उज्जैन	खिलचीपुर	325	0.115
5.	शासकीय	उज्जैन	खिलचीपुर	341 पार्ट	0.156
6.	शासकीय	उज्जैन	खिलचीपुर	342	0.010
7.	शासकीय	उज्जैन	खिलचीपुर	346	0.136
8.	नहर (शासकीय)	उज्जैन	खिलचीपुर	348	0.157
9.	शाासकीय	उज्जैन	खिलचीपुर	350	0.679
10.	शासकीय	उज्जैन	खिलचीपुर	374	0.199
11.	रास्ता (शासकीय)	उज्जैन	खिलचीपुर	377	0.146
				योग	**1.717**

ग्राम खिलचीपुर की श्रीराम मंदिर की भूमि का विवरणः-

सरल क्रमांक	भूमि स्वामी का नाम	तहसील	ग्राम का नाम	खसरा क्रमांक (इसके अंशों को सम्मिलित करते हुए, यदि कोई हो)	क्षेत्रफल हेक्टयर में
1	2	3	4	5	6
1.	श्रीराम मंदिर भूमि स्वामी व्यवस्थापक कलेक्टर महोदय उज्जैन.	उज्जैन	खिलचीपुर	257	1.850

1	2	3	4	5	6
2.	श्रीराम मंदिर भूमि स्वामी व्यवस्थापक कलेक्टर महोदय उज्जैन.	उज्जैन	खिलचीपुर	258	0.084
3.	श्रीराम मंदिर भूमि स्वामी व्यवस्थापक कलेक्टर महोदय उज्जैन.	उज्जैन	खिलचीपुर	354	2.822
4.	श्रीराम मंदिर भूमि स्वामी व्यवस्थापक कलेक्टर महोदय उज्जैन.	उज्जैन	खिलचीपुर	355	0.230
5.	श्रीराम मंदिर भूमि स्वामी व्यवस्थापक कलेक्टर महोदय उज्जैन.	उज्जैन	खिलचीपुर	356	0.700
6.	श्रीराम मंदिर भूमि स्वामी व्यवस्थापक कलेक्टर महोदय उज्जैन.	उज्जैन	खिलचीपुर	357	0.637
7.	श्रीराम मंदिर भूमि स्वामी व्यवस्थापक कलेक्टर महोदय उज्जैन.	उज्जैन	खिलचीपुर	358	0.470
8.	श्रीराम मंदिर भूमि स्वामी व्यवस्थापक कलेक्टर महोदय उज्जैन.	उज्जैन	खिलचीपुर	359	2.299
9.	श्रीराम मंदिर भूमि स्वामी व्यवस्थापक कलेक्टर महोदय उज्जैन.	उज्जैन	खिलचीपुर	360	1.609
10.	श्रीराम मंदिर भूमि स्वामी व्यवस्थापक कलेक्टर महोदय उज्जैन.	उज्जैन	खिलचीपुर	363	0.408
11.	श्रीराम मंदिर भूमि स्वामी व्यवस्थापक कलेक्टर महोदय उज्जैन	उज्जैन	खिलचीपुर	364	0.063
12.	श्रीराम मंदिर भूमि स्वामी व्यवस्थापक कलेक्टर महोदय उज्जैन.	उज्जैन	खिलचीपुर	365	1.557
				योग	**12.729**

कोई भी व्यक्ति, इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से, स्कीम में सम्मिलित किए गए क्षेत्र के भीतर किसी प्रकार की भूमि का उपयोग या भवन में परिवर्तन या कोई भी विकास, संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश की अनुमति प्राप्त किए बिना, नहीं करेगा.

जितेन्द्रसिंह चौहान,
मुख्य कार्यपालन अधिकारी.

(501-बी.)

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

मैं, संदीप बंसल (Sandeep Bansal) आत्मज कल्लू धानक, निवासी म. नं. 10, पिपरिया रोड, नियर रेल्वे फाटक चोपड़ा कला, विदिशा रोड, भोपाल (म.प्र.) का हूँ. यह कि मेरे कुछ दस्तावेजों में मेरा नाम संदीप (Sandeep) संदीप धानक (Sandeep Dhanak) दर्ज है. जहां कहीं भी मेरा नाम संदीप (Sandeep), संदीप धानक (Sandeep Dhanak) दर्ज है. उसके स्थान पर संदीप बंसल (Sandeep Bansal) पढ़ा एवं लिखा जावे.

पुराना नाम :
(संदीप धानक)
(SANDEEP DHANAK)

नया नाम :
(संदीप बंसल)
(SANDEEP BANSAL)

(494-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम सैय्यद युसुफ अली (SAIYAD YOUSUF ALI) उर्फ युसुफ जॉर्ज विलियम (YOUSUF GEORGE WILLIAM) पिता स्व. असगर अली, (ASGAR ALI) माता स्व. इडिथ जार्ज विलियम (EDITH GEORGE WILLIAM) उम्र 38 वर्ष, निवासी म.नं. 558, जे.बी.पी. रोड, नमन इन्क्लेब कॉलोनी, मानस नगर, मकरोनिया मुहाल, तह. व जिला सागर (म.प्र.) 470004 है.

मेरे समस्त शैक्षणिक एवं अन्य शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में मेरा नाम सैय्यद युसुफ अली (SAIYAD YOUSUF ALI) पिता स्व. असगर अली (ASGAR ALI) माता स्व. इडिथ जार्ज विलियम (EDITH GEORGE WILLIAM) लेख है. चूंकि मेरे पिता का स्वर्गवास बाल्यावस्था में ही हो गया था. जिस कारण मैं, मॉ के सानिध्य में पला बड़ा हूँ एवं मुझे मेरी मॉ के सरनेम (जाति) क्रिश्चियन से जाना, पहचाना जाता है. चूंकि मेरी मॉ स्व. इडिथ जार्ज विलियम (EDITH GEORGE WILLIAM) क्रिश्चियन धर्म से है एवं मैं, इसी धर्म को मानता आया हूँ.

मेर आधार कार्ड, बैंक खाता, निवास प्रमाण-पत्र एवं भूमि भवन दस्तावेजों में मेरा नाम युसुफ जॉर्ज विलियम (YOUSUF GEORGE WILLIAM) दर्ज है, उपरोक्त सैय्यद युसुफ अली एवं युसुफ जॉर्ज विलियम दोनों मेरे ही नाम है. वर्तमान में मेरा व्यवसाय (COMMERCIAL TAXI) वाहन चालक का कार्य है.

मैं, अपने एवं अपनी पत्नि, दोनों बच्चों के समस्त शैक्षणिक/शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में भी सैय्यद युसुफ अली (SAIYAD YOUSUF ALI) के स्थान पर युसुफ जॉर्ज विलियम (YOUSUF GEORGE WILLIAM) दर्ज करवाना चाहता हूँ. अब मेरा वर्तमान नाम युसुफ जॉर्ज विलियम (YOUSUF GEORGE WILLIAM) पुत्र स्व. असगर अली, (ASGAR ALI) माता स्व. इडिथ जार्ज विलियम (EDITH GEORGE WILLIAM) के नाम से पढ़ा, लिखा व जाना जावे.

पुराना नाम : नया नाम :

(सैय्यद युसुफ अली) (युसुफ जॉर्ज विलियम)

(SAIYAD YOUSUF ALI) **(YOUSUF GEORGE WILLIAM)**

(450-बी.)

नाम परिवर्तन

मैं, सुभाष कुमार भावनानी (Subhash Kumar Bhawnani) आत्मज श्री गुरमुखदास, निवासी-म. नं. 43, लेकपर्ल गार्डन, एयरपोर्ट रोड, सिंगारचोली, भोपाल (म.प्र.) का हूँ. यह कि मेरे कुछ दस्तावेजों में मेरा नाम सुभाष यादवानी, सुभाष कुमार यादवानी दर्ज है. जहां कहीं भी मेरा नाम सुभाष यादवानी, सुभाष कुमार यादवानी दर्ज है. उसके स्थान पर सुभाष कुमार भावनानी (Subhash Kumar Bhawnani) पढ़ा एवं लिखा जावे.

पुराना नाम : नया नाम :

(सुभाष यादवानी, **(सुभाष कुमार भावनानी)**

सुभाष कुमार यादवानी) **(SUBHASH KUMAR BHAWNANI)**

(495-बी.)

नाम परिवर्तन

मैं, SINGHASAN SINGH, निवासी-4-ए, अवधपुरी फेस-2, खजूरी कलां, भोपाल (म.प्र.) का हूँ. यह कि मेरे कुछ दस्तावेजों में मेरा नाम SINGHASAN और कुछ में SINGASAN दर्ज है. उक्त दोनों ही नाम मेरे ही हैं. अब मैं अपने नाम में सुधार कर SINGH जोड़ लिया है. अत: अब मुझे मेरे नामों में SINGH जोड़कर लिखा, पढ़ा जावे.

पुराना नाम : नया नाम :

(SINGHASAN) **(SINGHASAN SINGH)**

(496-बी.)

नाम परिवर्तन

यह कि विवाह के पूर्व मेरा नाम वर्षा चुग पुत्री श्री सन्तोष कुमार चुग था. मेरा विवाह हिन्दू रिति-रिवाज से दिनांक 15-02-2010 को श्री गिरीश नागदेव के साथ हो गया है, विवाह उपरान्त मेरा नाम श्रीमती काजल नागदेव पत्नि श्री गिरीश नागदेव हो गया है तथा वर्तमान में मुझे इसी नाम से जाना व पहचाना जाये.

पुराना नाम : नया नाम :

(वर्षा चुग) **(काजल नागदेव)**

पता-मकान नं. 02, फाटक रोड,
सन्त लीलाशाह आश्रम के पास, लेकसिटी, बैरागढ़,
भोपाल (म. प्र.).

(497-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है, कि पूर्व में मेरा नाम शिल्पा राठौर था, जो कि मेरा बोलता नाम था. जबकि मेरा सही नाम रीता राठौर (Rita Rathore) पति अजय राठौर है. उपरोक्त दोनों नाम एक ही व्यक्ति अर्थात मेरे है.

अत: भविष्य में मुझे मेरे सही नाम रीता राठौर (Rita Rathore) पति अजय राठौर से ही जाना, पहचाना लिखा, पढ़ा व बोला जावे सो विदित हो.

पुराना नाम :
(शिल्पा राठौर)

नया नाम :
(रीता राठौर)
(RITA RATHORE)
निवासी-68/6, समाजवादी इंदिरा नगर,
इन्दौर.

(504-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है, कि विवाह पूर्व मेरा नाम कु. अंजुम कुरेशी पुत्री स्व. श्री अब्दुल रशीद, निवासी भोपाल था. मेरे शिक्षा संबंधी प्रमाण-पत्र एवं आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्रायविंग लायसेंस आदि में भी यही नाम अंकित है. विवाह उपरांत मेरा नाम परिवर्तित होकर सौ. का. अवनी जोशी पत्नी श्री अमोल जोशी, निवासी उज्जैन हो गया है. भविष्य में अब मैं, इसी नाम से जानी, पहचानी तथा पुकारी जाऊंगी.

पुराना नाम :
(अंजुम कुरेशी)

नया नाम :
(अवनी जोशी)

(505-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है, कि मैं, समरीत कौर (SAMREET KAUR) पुत्री श्री तलविन्दर सिंह (TALWINDAR SINGH), निवासी उरवाई गेट विनय नगर, सेक्टर नंबर 3, ग्वालियर की हूँ. मेरे सभी शिक्षा संबंधी दस्तावेजों एवं मेरे बैंक खाता आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड में मेरा नाम पुष्पिन्दर कौर पुत्री तलविन्दर सिंह अंकित है मैंने अब अपना नाम बदलकर समरीत कौर (SAMREET KAUR) पुत्री श्री तलविन्दर सिंह (TALWINDAR SINGH) रख लिया है. अब आज दिनांक से मेरा नाम समरीत कौर (SAMREET KAUR) हो गया है. अब मैं, भविष्य में इसी नाम से जानी, पहचानी, पुकारी जाऊंगी. अब आज दिनांक से मेरे सभी दस्तावेजों एवं शिक्षा संबंधी दस्तावेजों में मेरा नाम पुष्पिन्दर कौर पुत्री तलविन्दर सिंह के स्थान पर समरीत कौर (SAMREET KAUR) पुत्री श्री तलविन्दर सिंह (TALWINDAR SINGH) पढ़ा जावे. सूचित हो.

पुराना नाम :
(पुष्पिन्दर कौर)
पुत्री-श्री तलविन्दर सिंह,

नया नाम :
(समरीत कौर)
पुत्री-श्री तलविन्दर सिंह,
निवासी-उरवाई गेट, विनय नगर,
सेक्टर नंबर 3, ग्वालियर.

(506-बी.)

CHANGE OF SURNAME

I, SAROJ DANI D/o HIRALAL DANI hereby declare that After Marriage I have changed my name as SAROJ AGRAWAL W/o SUSHIL AGRAWAL So, from now and in future I will be known by my new name SAROJ AGRAWAL W/o SUSHIL AGRAWAL.

Old Name :
(SAROJ DANI)
D/o Hiralal Dani.

New Name :
(SAROJ AGRAWAL)
W/o Sushil Agrawal,
Address: 17/2, South Tukoganj, Opp. Trade Centre,
Indore-452001 (M.P.).

(507-B.)

नाम परिवर्तन

मैं, रविन्द्र सिंह तोमर सर्व-साधारण को सूचित करता हूँ कि मेरा नाम रविन्द्र सिंह तोमर है. जबकि गलती से मेरे बैंक खाते एवं अन्य प्रपत्रों में मेरा नाम रविन्द्र सिंह तंवर (RAVINDRA SINGH TUNWAR) लिखा गया है. जोकि गलत है. जबकि मेरे सभी शासकीय एवं अर्द्धशासकीय प्रपत्रों में रविन्द्र सिंह तोमर लिखा है एवं वर्तमान में रविन्द्र सिंह तोमर के नाम से जाना, पहचाना एवं पुकारा जाता हूँ तथा हस्ताक्षर करता हूँ. अत: मेरे बैंक खाते एवं अन्य प्रपत्रों में मेरा नाम रविन्द्र सिंह तंवर (RAVINDRA SINGH TUNWAR) के स्थान पर रविन्द्र सिंह तोमर (RAVINDRA SINGH TOMAR) लिखा एवं पढ़ा जायें, आमजन एवं सर्वजन सूचित हो.

पुराना नाम :

(रविन्द्र सिंह तंवर)

नया नाम :

(रविन्द्र सिंह तोमर)

पता-हाउस नं. बी. एल. 38 सेक्टर बी,
दीनदयाल नगर, गिर्द, ग्वालियर,
जिला-ग्वालियर (म.प्र.).

(508-बी.)

नाम परिवर्तन

मैं, श्रीमती रामेश्वरी शिरोमणी पत्नी मेहरवान सिंह शिरोमणी सर्व-साधारण को सूचित करती हूँ कि मेरा घर का बोलता नाम रामश्री शिरोमणी था. जो कि मेरे SHRIRAM CITY UNION FINANCE LIMITED के शैयर तथा अन्य प्रपत्रों में मेरा घर का बोलता नाम रामश्री शिरोमणी अंकित है. जबकि मैं वर्तमान में श्रीमती रामेश्वरी शिरोमणी पत्नी मेहरवान सिंह शिरोमणी (RAMESHWARI SHIROMANI W/o MEHARBAN SINGH SHIROMANI) के नाम से जानी, पहचानी एवं पुकारी जाती हूँ तथा भविष्य में भी इसी नाम श्रीमती रामेश्वरी शिरोमणी पत्नी मेहरवान सिंह शिरोमणी के नाम से ही जानी, पहचानी एवं पुकारी जाऊंगी तथा हस्ताक्षर करती रहूँगी रामश्री शिरोमणी एवं रामेश्वरी शिरोमणी मेरे ही नाम है. अत: SHRIRAM CITY UNION FINANCE LIMITED के शैयर तथा अन्य प्रपत्रों में मेरा नाम रामश्री शिरोमणी के स्थान पर श्रीमती रामेश्वरी शिरोमणी किया जाये आमजन एवं सर्वजन सूचित हों.

पुराना नाम :

(रामश्री शिरोमणी)

नया नाम :

(रामेश्वरी शिरोमणी)

निवासी-वार्ड नं. 24, पी. एस. क्यू. लाइन,
पुरानी-शिवपुरी.

(509-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पिता के UTI MASTER GAIN इन्वेस्टमेंट में मेरा नाम नॉमिनी के रूप में दर्ज है जिसमें मेरा नाम प्रकाश चन्द्र जैन दर्ज है, जबकि मेरा नाम प्रकाश चंद्र कटकानी है. मेरे आधार कार्ड, पैन कार्ड एवं बैंक पासबुक में मेरा नाम प्रकाश चंद्र कटकानी है. मुझे प्रकाश चंद्र कटकानी एवं प्रकाश चंद्र जैन दोनों ही नाम से जाना एवं पहचाना व पुकारा जाता है. प्रकाश चंद्र कटकानी एवं प्रकाश चंद्र जैन दोनों नाम मेरे ही है.

पुराना नाम :

(प्रकाश चन्द्र जैन)

नया नाम :

(प्रकाश चंद्र कटकानी)

पिता-शांति लाल कटकानी,
अजित क्लब के पास जी-41, बख्तावरराम नगर,
इन्दौर मध्यप्रदेश 452018.

(515-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम देवेन्द्र जोशी पुत्र श्री रूपलाल उर्फ शंकरलाल जोशी है तथा समस्त शासकीय दस्तावेजों में मेरा नाम देवेन्द्र जोशी पुत्र रूपलाल जोशी है तथा समस्त अंकसूची में मेरा नाम देवेन्द्र जोशी पुत्र शंकरलाल जोशी है. दोनों ही नाम मेरे ही है. अत: अब मुझे देवेन्द्र जोशी पुत्र रूपलाल उर्फ शंकरलाल जोशी के नाम से जाना एवं पहचाना जावे.

पुराना नाम :

(देवेन्द्र)

पुत्र-रूपलाल जोशी,

नया नाम :

(देवेन्द्र)

पुत्र-रूपलाल उर्फ शंकरलाल जोशी,
पता-45 (पुराना नंबर 19), प्रीती नगर,
बंगाली कॉलोनी, इन्दौर मध्यप्रदेश 452016.

(510-बी.)

नाम परिवर्तन

मैं, साधना पति पीयुष ढ़गे, निवासी शिक्षक कॉलोनी, पिपलिया मंडी की निवासी हूँ मेरे पुत्र का पहले प्रिंस नाम था, जिसका नाम परिवर्तन कर सात्विक रखा है. भविष्य में उसे सात्विक ढ़गे के नाम से जाना, पहचाना जाए. सभी दस्तावेजों में भी सात्विक नाम है, जन्म प्रमाण पत्र में भी प्रिंस के स्थान पर सात्विक नाम किया जाए.

साधना,
पति-पीयुष ढ़गे,
पिपलिया मंडी, जिला-मंदसौर (म.प्र.).

(516-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि बचपन में मेरा नाम पंकज पुत्र पूरन सिंह था. दिनांक 02/09/2013 में विक्रय पत्र ग्रन्थ नं. 6652 विक्रय पत्र क्रमांक 2174 में मेरा बचपन का नाम पंकज दर्ज हो गया था. अब वर्तमान में मैंने अपना नाम शिवम सिसोदिया पुत्र पूरन सिंह कर लिया है. मेरे सभी शासकीय एवं अर्द्धशासकीय दस्तावेजों व आधार कार्ड, पेनकार्ड, मार्कशीट, बैंक अकाउण्ट आदि में मेरा नाम शिवम सिसोदिया (SHIVAM SISODIYA) अंकित है, पंकज पुत्र पूरन सिंह व शिवम सिसोदिया दोनों नाम मेरे हैं मैं एक ही व्यक्ति हूँ अब भविष्य में मुझे मेरे नाम शिवम सिसोदिया (SHIVAM SISODIYA) से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम :
(पंकज)
पुत्र-श्री पूरन सिंह.

नया नाम :
(शिवम सिसोदिया)
(SHIVAM SISODIYA)
S/o Pooran Singh,
हाल निवासी-खेरी जेल रोड अमरपुरा,
डबरा, ग्वालियर (म.प्र.).

(517-बी.)

नाम परिवर्तन

मैं, श्री दारा सिंह (Shri Dara Singh) रिटायर्ड उपनिरीक्षक भारत संचार निगम लिमिटेड (भारत सरकार का उद्यम) टेलीकॉम फैक्टरी, जबलपुर शपथपूर्वक कथन करता हूँ कि मेरी पत्नि श्रीमती शशि राजपूत (Smt. Shashi Rajput), सीनियर ज्यूडिशियल असिस्टेंट, उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर के सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम श्री राजू राजपूत दर्ज है जो कि गलत है. मेरा सही एवं वास्तविक नाम श्री दारा सिंह (Shri Dara Singh) है. जो कि मेरे समस्त शासकीय कागजातों में दर्ज है एवं मेरा सही नाम श्री दारा सिंह (Shri Dara Singh) को पढ़ा व सुना एवं मेरी पत्नी के सर्विस रिकॉर्ड में दर्ज किया जावे.

पुराना नाम :
(राजू राजपूत)
(RAJU RAJPUT)

नया नाम :
(दारा सिंह)
(DARA SINGH)

(518-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे विवाह के पूर्व का नाम सुप्रिया गर्ग पुत्री श्री मोहन वल्लभ गर्ग है, नामकरण के उपरांत से तत्समय मैं इसी नाम से जानी व पहचानी जाती थी. हिन्दू एवं सामाजिक रीति-रिवाज अनुसार मेरे विवाह उपरांत मेरा नाम परिवर्तित होकर प्रिया अग्रवाल पत्नी श्री आशीष अग्रवाल हुआ है, विवाह उपरांत से मैं इसी नाम से जानी व पहचानी जाती हूँ.

पुराना नाम :
(सुप्रिया गर्ग)

नया नाम :
(प्रिया अग्रवाल)
पत्नी-श्री आशीष अग्रवाल,
निवासी-36, दुल्हन साहिबा रोड,
लखेरापुरा, भोपाल (म.प्र.).

(519-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स स्वास्तिक इंफ्रास्टेट, जिसका रजिस्टर में क्रमांक 03/27/01/0155/20, दिनांक 02-11-2020 एवं पता-212, प्रिंसेस बिजनेस स्काईलाइन ए. बी. रोड विजयनगर, इन्दौर मध्यप्रदेश दिनांक 25-08-2016 से एक भागीदारी फर्म है.

दिनांक 17-08-2020 को कुलदीप सिंह अरोरा फर्म से पूर्ण रूप से अलग हो गये हैं और इसी दिनांक को चन्द्र शेखर वर्मा फर्म में नये भागीदार के रूप में सम्मिलित हो गये हैं. अब उक्त फर्म का संचालन मनमीत सिंह अरोरा एवं चन्द्र शेखर वर्मा कर रहे हैं. इसी दिनांक को दोनों भागीदारों ने आपसी सहमती से फर्म का नाम परिवर्तित करके फर्म का नया नाम एस. एम. फिनटेक सर्विसेज कर लिया है. सो विदित हो.

फॉर-मेसर्स-एस. एम. फिनटेक सर्विसेज,
1. मनमीत सिंह अरोरा, 2. चन्द्र शेखर वर्मा,
(498-बी.) (भागीदार).

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मै. सेठ ऑटोमोबाइल्स, पता विष्णु मंदिर के पास छत्री रोड, जिला शिवपुरी है, जिसका पंजीयन क्रमांक 02/41/01/00071/12, दिनांक 04-07-2012 है.

उक्त फर्म से साझेदार क्रमांक 01 श्री अनिल कुमार गुप्ता पुत्र स्व. श्री बाबूलाल गुप्ता जी का स्वर्गवास दिनांक 04-10-2020 को हो गया है एवं उनकी मृत्यु उपरांत दिनांक 04-10-2020 से श्रीमती बीना देवी गुप्ता पत्नी स्व. श्री अनिल कुमार गुप्ता, निवासी 01, गांधी चौक, शिवपुरी (म.प्र.) है, उनके स्थान पर नवीन पार्टनर साझेदार को शामिल किया गया है.

आमजन एवं सर्वजन को सूचित किया जाता है.

फर्म-मैसर्स सेठ ऑटोमोबाइल्स,
विनायक सेठ,
(भागीदार)
(499-बी.) पता-गांधी चौक, शिवपुरी (म.प्र.).

आम सूचना

सूचित किया जाता है कि मैसर्स प्राइम कंस्ट्रक्शन भोपाल पंजीयन 021/1999-2000, दिनांक 19-05-1999 है. जिसमें पार्टनर 01 श्री पुरुषोत्तम टहलयानी पिता आत्माराम टहलयानी, पार्टनर 02 श्रीमती जया टहलयानी पत्नी श्री पुरुषोत्तम टहलयानी, दिनांक 31 मार्च, 2020 तक थे एवं फर्म में नया पार्टनर दिनांक 01 अप्रैल, 2020 से श्री प्रांशुल टहलयानी पिता श्री पुरुषोत्तम टहलयानी सम्मिलित हो रहे हैं.

शैलेश साहू & एसोसिएट,
शैलेश कुमार साहू,
(503-बी.) 21, जोन 1 एमपी नगर, भोपाल.

आम सूचना

(भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 की धारा-72 के तहत्)

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स 'शगुन' इन्टरनेशनल, पता-प्लॉट नं. 8, पी. यू. 4 स्कीम नं. 54 ए. बी. रोड, इन्दौर (म.प्र.) भागीदारी फर्म में श्रीमति पूर्णिमा डोसी पति श्री शरद डोसी फर्म में नये साझेदार के रूप में दिनांक 01-11-2017 को सम्मिलित हुए है एवं श्री मंयक डोसी पिता श्री शरद डोसी ने दिनांक 01-11-2017 को फर्म से निवृत्ति प्राप्त कर ली है. एतद्नुसार सूचित होवें.

फॉर-शगुन इन्टरनेशनल,
शरद डौसी,
(511-बी.) (भागीदार).

आम सूचना

(भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 की धारा-72 के तहत्)

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स शगुन इन्टरनेशनल, पता-प्लॉट नं. 8, पी. यू. 4 स्कीम नं. 54 ए. बी. रोड, इन्दौर (म.प्र.) भागीदारी फर्म में श्री आशीष धौंस पिता श्री रविशंकर धौस दिनांक 31-10-2020 को नये साझेदार के रूप में सम्मिलित हुए है एवं श्रीमति पूर्णिमा डोसी पति श्री शरद डोसी ने दिनांक 01-11-2020 को निवृत्ति प्राप्त कर ली है एवं फर्म में शेष साझेदार के रूप में श्री शरद डोसी एवं आशीष धौंस शेष साझेदार है. एतद्नुसार सूचित होवें.

फॉर-मेसर्स शगुन इन्टरनेशनल,
शरद डौसी,
(512-बी.) (भागीदार).

जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स सिद्धी विनायक डेव्हलपर्स, पता-27/1, मोतीतबेला, इन्दौर मध्यप्रदेश एक भागीदारी फर्म इसका पंजीयन क्रमांक 03/27/01/0243/20, दिनांक 23-01-2020 को पंजीकृत हुई है, उक्त फर्म में भागीदार (1) श्री अमर बजाज पिता श्री द्वारकादास बजाज, (2) श्रीमती कामना पति श्री अमर बजाज, (3) श्री विजय गोदवानी पिता श्री होलाराम गोदवानी, (4) श्री रमेश गोदवानी,

पिता श्री होलाराम गोदवानी, (5) श्री दलबीर सिंह पिता श्री हरबंस सिंह छाबड़ा, (6) श्रीमती मनदीप छाबड़ा पति श्री दलबीर सिंह छाबड़ा, (7) जसवंत सिंह छाबड़ा पिता स्व. दुलसिंह छाबड़ा इस प्रकार कुल 7(सात) भागीदार पूर्व से हैं, उक्त फर्म के पार्टनर जसवंत सिंह छाबड़ा पिता स्व. श्री दुलसिंह छाबड़ा का स्वर्गवास दिनांक 27-02-2018 को हो चुका है तथा दिनांक 01-04-2018 को भागीदारी फर्म में संशोधन हुआ है और उनके स्थान पर उनके पुत्र (1) सतबीर सिंह छाबड़ा पिता स्व. श्री जसवंत सिंह छाबड़ा, (2) विरेन्द्रजीत सिंह छाबड़ा पिता स्व. श्री जसवंत सिंह छाबड़ा को फर्म में भागीदार के रूप में जोड़ा गया है, उक्त संबंध में उपरोक्त समस्त भागीदारों द्वारा श्रीमान नोटरी महोदय (सुभाष कुमार कुशवाह) के समक्ष भागीदारी फर्म मेसर्स सिद्धी विनायक डेव्हलपर्स के संबंध में पुनर्गठन लेख का निष्पादन कर लिया है.

फॉर-मेसर्स सिद्धी विनायक डेव्हलपर्स,
तर्फे-**अमर बजाज**,
(पार्टनर)
पता-27/1, मोतीतबेला, इन्दौर (म.प्र.).

(513-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि भागीदारी फर्म शिवा ऑप्थल हाउस एण्ड एजेंसीज् (Shiva Ophthal House And Agencies) पंजीयन क्रमांक 02/42/01/0019/17, दिनांक 15-04-2017 कार्यालय न्यू दवा बाजार, दीवान नर्सिंग होम के सामने, हुजरात रोड, लश्कर, ग्वालियर (म.प्र.) की भागीदार श्रीमती ललिता, आयु 33 वर्ष पत्नी श्री हितेश नागवानी, निवासी 201, मानव विहार, समाधिया कॉलोनी, तारागंज, लश्कर, ग्वालियर (म.प्र.) दिनांक 07-11-2020 से आपसी सहमति से फर्म से पृथक् हो गयी है. अर्थात् श्रीमती ललिता की भागीदारी समाप्त हो चुकी है तथा श्री हीरालाल वाधवानी, आयु 39 वर्ष पुत्र श्री धनश्याम दास वाधवानी, निवासी बी-122, समाधिया कॉलोनी, तारागंज, लश्कर, ग्वालियर (म.प्र.) फर्म में दिनांक 07-11-2020 से बतौर भागीदार सम्मिलित हो गये है तथा श्रीमती पूनम वाधवानी, आयु 38 वर्ष पत्नी श्री हीरालाल वाधवानी, निवासी बी-122, समाधिया कॉलोनी, तारागंज, लश्कर, ग्वालियर (म.प्र.) पूर्ववत् भागीदारी रहेगी. संशोधित भागीदारी विलेख के अनुसार वर्तमान में केवल दो भागीदार श्रीमती पूनम वाधवानी एवं श्री हीरालाल वाधवानी फर्म में साझेदार रहेंगे. अत: सर्व-साधारण सूचित हो.

Shiva Ophthal House & Agencies
पूनम वाधवानी, ललिता, हीरालाल वाधवानी,
(Partner).

(514-बी.)

विविध

निविदा सूचनाएं

Bhopal, Dated 19th December, 2020

RE-TENDER NOTICE

GROUP-D

E-File No.GPR/4/2/6/0002/CTRL-Govt Press-Part (4) /1921.— Online biding for purchase of Machines and equipment's for Government Central Press Bhopal has been published on Portal **https://mptenders.gov.in.** Technical and commercial E-tenders are invited on or before 4 PM on 02-01-2021 as per key dates for purchase of Machines and equipment's from Manufactures/Channel Partners/ Authorised Dealers.

2. Tender document, has also been Placed On Government Press *Website* **www.govtpressmp.nic.in** for Pesusal.
3. Online E-tenders for the subject matter is invited online and will be opened on 4 PM on 04-01-2021 as per key dates in the Office undersign in the presence of participant bidders or their Authorised representative.
4. All corrigendum/amendments/changes, if any will be issued and made be available only on **https://mptenders.gov.in**

V.K. SINGH,
Dy. Controller,
Govt. Printing and Stationery,
Madhya Pradesh, Bhopal.

(1346)

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, लोक न्यास, मैहर, जिला-सतना

मैहर, दिनांक 10 दिसम्बर, 2020

प्रारूप-5

[देखें नियम 5 (1)]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 के नियम 5(1) द्वारा]

लोक न्यासों के पंजीयक मैहर जिला सतना के **समक्ष.**

क्र.2847/अनु.अधि./प.लो.न्या.अधि./2020.—अत: मुझे यह प्रतीत होता है कि अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपत्ति मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-2 की उपधारा (4) के आशय के अधीन लोक न्यास का गठन करती है.

अब इसलिए मैं, सुरेश कुमार अग्रवाल, लोक न्यासों का पंजीयन मैहर जिला सतना मेरे न्यायालय में 2020 के 20 जुलाई, 2020 के .....दिवस पर कथित अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (1) में यथा अपेक्षित मामले में जांच करने को प्रस्तावित करता हूं.

एतद्द्वारा सूचना-पत्र दिया गया है कि कथित न्यास या संपत्ति का कोई न्यासी या कार्यकारी न्यासी या इसमें हितबद्ध कोई व्यक्ति और आपत्ति या सुझाव देने का आशय रखने वाले को दो प्रतियों में इस सूचना-पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिश: अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जायेगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता व सम्पत्ति का विवरण)

न्यास का नाम व पता : गायत्री परिवार ट्रस्ट द्वारा गायत्री शक्तिपीठ, शारदा मंदिर रोड, मैहर, जिला सतना (म.प्र.).

सम्पत्तियों का विवरण ट्रस्ट प्रापर्टी का विवरण

1.	बैंक बैलेंस नगद	-	1,50,134/-रु.
2.	फर्नीचर	-	5,000/- रु.
3.	कार्पेट 6	-	20,000/- रु.
4.	पूजा के बर्तन (पंचपात्र, आरती इत्यादि)	-	1500/- रु.
5.	स्टील के बर्तन	-	5,000/- रु.
6.	टीन का बड़ा बक्स	-	2,500/- रु.
7.	आद्य शक्ति मां गायत्री जी की 100 साड़ियां व मुकुट	-	50,000/- रु.
8.	मोटर पंप व टण्की	-	19,000/- रु.
9.	सीलिंग पंखे	-	10,000/- रु.
10.	लाउड स्पीकर	-	10,000/- रु.
11.	ज्ञानरथ 1नग	-	20,000/- रु.
12.	पुस्तकालय	-	20,000/- रु.
13.	हवन सामग्री	-	10,000/- रु.
	कुल कीमत		**3,23,134/- रु. (तीन लाख तेइस हजार एक सौ चौतिस रुपये मात्र)**

सुरेश कुमार अग्रवाल,
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

(1338)

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी रघुराजनगर एवं पंजीयक, लोक न्यास, जिला-सतना

प्रारूप क्र.-4

[देखें नियम-5 (1)]

[मध्यप्रदेश लोक अधिनियम, 1951 (1951 का 30) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम 1962 के नियम 5(1) के द्वारा]

लोक न्यासों के पंजीयक सतना जिला के **समक्ष.**

यत: कि बेनोय जोन कोडाकल्लिल तनय श्री जोन कोडाकल्लिल, निवासी बिशप हाउस पी.बी.नं. 22 सतना, तहसील रघुराजनगर, जिला सतना ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अन्तर्गत एक आवेदन अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के लिए लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किए जाने के लिए आवेदन किया है. एतद्द्वारा सूचना-पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन पर दिनांक 31 दिसम्बर, 2020 को मेरे न्यायालय में विचार में लिया जाएगा.

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या सम्पत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिश: अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जाएगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता व सम्पत्ति का विवरण)

1. न्यास का नाम व पता	:	"ST. EPHREM'S THEOLOGICAL COLLEGE (SEMINARY) TRUST". ग्राम चौरा खुर्द, तहसील रघुराजनगर, जिला सतना (म.प्र.).
2. अचल संपत्ति	:	निरंक.
3. चल संपत्ति	:	11,000.00 रुपये नगद.

प्रारूप-5

[देखें नियम 5 (1)]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 के नियम 5(1) के द्वारा]

लोक न्यासों के पंजीयक सतना के **समक्ष,**

अत: मुझे यह प्रतीत होता है कि अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपत्ति मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-2 की उपधारा (4) के आशय के अधीन लोक न्यास का गठन करती है.

अब इसलिए मैं, पी. एस. त्रिपाठी, जिला सतना लोक न्यासों का पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 31 दिसम्बर, 2020 को कथित अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (1) द्वारा यथा अपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूं.

अत: एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि कथित न्यास का संपत्ति का कोई न्यासी या कार्यकारी न्यासी या इसमें हितबद्ध कोई व्यक्ति और आपत्ति या सुझाव देने का आशय रखने वाले को दो प्रतियों में नियत दिनांक 31 दिसम्बर, 2020 के भीतर लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिश: या प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जायेगा.

पी. एस. त्रिपाठी,
रजिस्ट्रार.

(1339)

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, सार्वजनिक न्यास, अनुविभाग-पुनासा, जिला खण्डवा

प्र.क्र.003/बी-113(1)/2020-21.

दिनांक 18 नवम्बर, 2020 को जारी

प्रारूप-चार

[मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-5(2) एवं मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास नियम, 1962 के नियम-5 (1) के अंतर्गत]

आवेदक श्री शैलेन्द्र पिता हौसीलाल महोदय, निवासी ग्राम मूंदी, तहसील पुनासा, जिला खण्डवा द्वारा "नर्मदीय ब्राहम्ण समाज ट्रस्ट मूंदी" तहसील पुनासा, जिला खण्डवा मध्यप्रदेश का पंजीयन न्यास के रूप में कराये जाने हेतु मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 की धारा-4 के तहत् आवेदन-पत्र पेश कर उक्त ट्रस्ट के पंजीयन हेतु निवेदन किया गया. एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त आवेदन-पत्र पर मेरे द्वारा न्यायालय में दिनांक 20 मार्च, 2020 को विचार किया जायेगा.

2. उक्त ट्रस्ट के कार्य अथवा संपत्ति से कोई व्यक्ति यदि हित रखता हो और कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो तो वह इस विज्ञप्ति के प्रकाशन होने के एक माह के भीतर लिखित विवरण दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकता है और वह स्वयं अथवा अधिवक्ता/अभिकर्ता के माध्यम से मेरे समक्ष उपस्थित हो सकता है. समयावधि के समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जायेगा.

अनुसूची

सार्वजनिक न्यास का नाम एवं पता	:	"नर्मदीय ब्राहम्ण समाज ट्रस्ट मूंदी" तहसील पुनासा, जिला खण्डवा (म.प्र.).
पता	:	"नर्मदीय ब्राहम्ण समाज ट्रस्ट मूंदी" नार्मदीय धर्मशाला भवन मूंदी, तहसील पुनासा, जिला खण्डवा (म.प्र.).

अनुसूची "अ"

चल संपत्ति	:	नगद 30,0000.00 रुपये बैंक खाते में जमा

अनुसूची "ब"

अचल संपत्ति	:	1. धर्मशाला भवन किमत-5,00,000/- रुपये. 2. धर्मशाला पंचायत बर्तन एवं अन्य सामग्री 40,000/-

(1340)

प्र.क्र.00/बी-113(1)/2020-21.

दिनांक 07 दिसम्बर, 2020 को जारी

प्रारूप-चार

[मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-5(2) एवं मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास नियम, 1962 के नियम-5 (1) के अंतर्गत]

आवेदक श्री राजेश पिता मनोहर पारासर, निवासी ग्राम मूंदी, तहसील पुनासा, जिला खण्डवा द्वारा "रेणुका माता मंदिर समिति ट्रस्ट मूंदी" तहसील पुनासा, जिला खण्डवा मध्यप्रदेश का पंजीयन न्यास के रूप में कराये जाने हेतु मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 की धारा-4 के तहत् आवेदन-पत्र पेश कर उक्त ट्रस्ट के पंजीयन हेतु निवेदन किया गया. एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त आवेदन-पत्र पर मेरे द्वारा न्यायालय में दिनांक 29 दिसम्बर, 2020 को विचार किया जायेगा.

2. उक्त ट्रस्ट के कार्य अथवा संपत्ति से कोई व्यक्ति यदि हित रखता हो और कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो तो वह इस विज्ञप्ति के प्रकाशन होने के एक माह के भीतर लिखित विवरण दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकता है और वह स्वयं अथवा अधिवक्ता/अभिकर्ता के माध्यम से मेरे समक्ष उपस्थित हो सकता है. समयावधि के समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जायेगा.

अनुसूची

सार्वजनिक न्यास का नाम एवं पता	:	"रेणुका माता मंदिर समिति ट्रस्ट मूंदी" तहसील पुनासा, जिला खण्डवा (म.प्र.).
पता	:	"रेणुका माता मंदिर समिति ट्रस्ट मूंदी" तहसील पुनासा, जिला खण्डवा (म.प्र.).

अनुसूची "अ"

चल संपत्ति	:	नगद 50000.00 रुपये

अनुसूची "ब"

अचल संपत्ति	:	निरंक.

चन्दरसिंह सोलंकी,
अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक.

(1341)

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, लोक न्यास, नीमच, जिला नीमच

दिनांक 04 दिसम्बर, 2020

प्रारूप-चार

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-5 उपधारा-2 और
मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 का नियम-5 (1) देखिए]

चूंकि आवेदक रूपसिंह पिता गंगारामसिंह अध्यक्ष ट्रस्ट "महामाया भादवामाता गो-शाला ट्रस्ट" चौहान ट्राली वर्क्स, जवासा चौराहा, तहसील नीमच का मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-4 अधीन लोक न्यास पंजीयन के लिए आवेदन किया गया है.

एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 05 जनवरी, 2021 को विचार के लिये लिया जावेगा.

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में कोई आपत्तियां करने या सुझाव देने का विचार रखता हो उसे इस विज्ञप्ति के द्वारा सूचना दी जाती है.

अत: मैं, एस. एल. शाक्य, पंजीयक, लोक न्यास, नीमच मध्यप्रदेश का लोक न्यासों का पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 05 जनवरी, 2021 को उक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (1) के द्वारा तथा अपेक्षित जांच प्रस्तावित करता हूँ.

अत: एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक मास के अंदर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना और न्यायालय के समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिश: या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्रहण नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

लोक न्यास का नाम व पता	:	"महामाया भादवामाता गो-शाला ट्रस्ट " चौहान ट्राली वर्क्स, जवासा चौराहा, तहसील नीमच.
लोक न्यास की सम्पत्ति का विवरण-		
अचल सम्पत्ति	:	निरंक.
चल सम्पत्ति	:	रु. 1,00,000/- (अक्षरी रुपये एक लाख मात्र).

(1343)

दिनांक 04 दिसम्बर, 2020

प्रारूप-चार

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-5 उपधारा-2 और
मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 का नियम-5 (1) देखिए]

चूंकि आवेदक श्री अजय पिता स्व. श्री श्यामसुंदर भटनागर, निवासी-अन्नपूर्णा मेडिकल 284, शिक्षक कॉलोनी, एलआईसी रोड, नीमच अध्यक्ष ट्रस्ट "अन्नपूर्णा सेवा न्यास" मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-4 अधीन लोक न्यास पंजीयन के लिए आवेदन किया गया है.

एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 05 जनवरी, 2021 को विचार के लिये लिया जावेगा.

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में कोई आपत्तियां करने या सुझाव देने का विचार रखता हो उसे इस विज्ञप्ति के द्वारा सूचना दी जाती है.

अत: मैं, एस. एल. शाक्य, पंजीयक, लोक न्यास, नीमच मध्यप्रदेश का लोक न्यासों का पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 05 जनवरी, 2021 को उक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (1) के द्वारा तथा अपेक्षित जांच प्रस्तावित करता हूँ.

अत: एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक मास के अंदर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना और न्यायालय के समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिश: या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्रहण नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

लोक न्यास का नाम व पता	:	"अन्नपूर्णा सेवा न्यास". अन्नपूर्णा मेडिकल 284, शिक्षक कॉलोनी, एलआईसी रोड, नीमच.
लोक न्यास की सम्पत्ति का विवरण-		
अचल सम्पत्ति	:	निरंक.
चल सम्पत्ति	:	रु. 2,00,000/- (अक्षरी रुपये दो लाख अनुमानित).

एस. एल. शाक्य,
पंजीयक.

(1344)

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट, राज. परि. टी.टी. नगर, भोपाल

प्र. क्र. 01/बी-113/2019-20.

प्रारूप-4

[नियम-5(1) देखिये]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-5(2) एवं मध्यप्रदेश न्यास नियम-1962 के नियम (1) के अन्तर्गत]

जैसा कि (यंग थिंकर्स फोरम न्यास भोपाल) द्वारा श्री दीपक शर्मा आ. श्री लक्ष्मी नारायण शर्मा, निवासी अनुग्रह, प्रथम तल, 3 बी निशांत एन्क्लेव, 74 बंगला, स्वामी दयानंद नगर, भोपाल ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-4 एवं मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम-1962 के नियम-2 के तहत् एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत कर ट्रस्ट का पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है.

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन-पत्र मेरे न्यायालय में दिनांक 26 दिसम्बर, 2020 को विचार किया जावेगा. कोई भी व्यक्ति जो उक्त ट्रस्ट या सम्पत्ति में हित रखते हो और कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहते हो, वह इस सूचना के एक माह के अन्दर अपनी आपत्ति अथवा सुझाव दो प्रतियों में मेरे समक्ष स्वयं अथवा यथा स्थिति विधिक प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है. उपरोक्त अवधि व्यतीत होने के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों पर विचार में नहीं लिया जावेगा.

अनुसूची

1. ट्रस्ट का नाम	:	यंग थिंकर्स फोरम न्यास भोपाल (कार्यालय अनुग्रह, प्रथम तल, 3 बी निशांत एन्क्लेव, 74 बंगला, स्वामी दयानंद नगर, भोपाल.
2. अचल सम्पत्ति	:	निल.
3. चल सम्पत्ति	:	11,100/-

आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन पदमुद्रा से जारी की गई.

विनीत तिवारी,
अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार.

(1342)

वनसंबन्धी घोष-विक्रय

ईमारती, जलाऊ लकड़ी, परिवहन समूहों हेतु

निविदा/नीलाम की सूचना बैतूल वन वृत्त बैतूल (मध्यप्रदेश)

सर्व-साधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि, बैतूल वन वृत्त के अंतर्गत बैतूल उत्पादन वनमंडल के विभिन्न परिवहन समूहों से संबंधित काष्ठागारों एवं बॉसागारों में ईमारती, जलाऊ लकड़ी के परिवहन करने के इच्छुक व्यक्तियों/पार्टियों से निविदायें, निर्धारित प्रारूप में अद्योहस्ताक्षरकर्ता के नाम पर निम्नलिखित तिथियों में अपरान्ह 02: 00 बजे दिन तक काष्ठागार बैतूल के नीलाम हॉल में निम्नानुसार दिनांक को आमंत्रित की जाती हैं. प्राप्त निविदा उसी दिन अपरान्ह 03: 00 बजे उपस्थित निविदाकारों के समक्ष काष्ठागार, बैतूल के नीलाम हॉल में खोली जावेगी.

प्रथम दौर निविदा दिनांक/दिन	द्वितीय दौर निविदा दिनांक/दिन	तृतीय दौर निविदा दिनांक/दिन	तृतीय दौर निविदा उपरांत नीलाम दिनांक/दिन
22/12/2020 मंगलवार	28/12/2020 सोमवार	05/01/2021 मंगलवार	05/01/2021 मंगलवार

तृतीय दौर के पश्चात् शेष बचे परिवहन समूहों का नीलाम द्वारा निर्वर्तन दिनांक 05 जनवरी, 2021 दिन मंगलवार को अपरान्ह 04:30 बजे से किया जावेगा. जिसमें सत्यंकार की राशि के रूप में रुपये 3,000/- (तीन हजार रुपये) बैंक ड्राफ्ट या डिपाजिटएटकाल के रूप में लिये जायेंगे.

निर्धारित निविदा का प्रारूप (फार्म) निविदा शर्त एवं परिवहन समूहों से संबंधित जानकारी वनमंडलाधिकारी उत्पादन वनमंडल कार्यालय बैतूल से रुपये 100/- (एक सौ रुपये) की अदायगी करने पर प्राप्त की जा सकेंगी.

मोहन मीना,
अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक,
एवं पदेन वनसंरक्षक बैतूल,
वृत्त बैतूल.

(1345)

अन्य सूचनाएं

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 26 नवम्बर, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत]

क्र./उपज./परि./2020/2345.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपज/परि/2791, दिनांक 20 नवम्बर, 2015 के द्वारा ऋषि दादाजी बीज

उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बरेला, वि.खण्ड जबलपुर, जिला जबलपुर पंजीयन क्रमांक 2088 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री राजेश मेहता, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण,सहायक आयुक्त(अंकेक्षण) सहकारिता जबलपुर से कराये जाने के उपरांत परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, शिवम् मिश्रा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010 पन्द्रह-1 सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए ऋषि दादाजी बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बरेला, वि.खण्ड जबलपुर, जिला जबलपुर पंजीयन क्रमांक 2088 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 26 नवम्बर, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

शिवम् मिश्रा,
उप-पंजीयक.

(1347)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खरगौन

खरगौन, दिनांक 11 नवम्बर, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) एवं धारा-70(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2020/1421.—गोकुलदास साख सहकारी संस्था मर्या., खरगौन, तहसील खरगौन जिसे आगे केवल संस्था लिखा गया है, मूलत: मध्यप्रदेश स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1999 के अंतर्गत पंजीकृत होकर पंजीयन क्रमांक 25, दिनांक 11 अगस्त, 2003 था. शासन द्वारा मध्यप्रदेश स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1990 निरसित करने के उपरांत उक्त सहकारिता का संपरिवर्तन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के अंतर्गत हुआ है, जिसका पंजीयन क्रमांक 1728, दनांक 10 मार्च, 2014 है. उक्त संस्था को निम्न कारणों से परिसमापन में लाने हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./2020/674, दिनांक 22 जून, 2020 को जारी किया गया था.

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था. उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है.
2. संस्था के द्वारा संस्था के सामान्य सदस्यों के हितों को संवर्धित नहीं करती है. इससे आशय संस्था सभी सदस्यों का हित संवर्धन नहीं कर रहीं है. अपितु किसी व्यक्ति विशेष के लिए कार्य कर रही हो. जैसे किसी व्यक्ति विशेष को निर्वाचित करने के लिए या किसी व्यवसाय को सामान्य रूप से प्रतिबंधित किया गया हो, उस व्यवसाय के लिए समिति का गठन किया जाना.
3. संस्था द्वारा अधिनियम व उपनियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है.
4. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-6 की शर्तों का पालन नहीं कर रहीं हो जैसे-(1) पंजीयन की शर्तों के अनुसार प्राथमिक समिति में न्यूनतम 20 सदस्य भिन्न-भिन्न परिवार के हो. (2) प्रथम दृष्टया सदस्यों की सहमति के बिना उनके कुटरचित दस्तावेज प्रस्तुत कर पंजीयन कराया गया हो.
5. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रूचि नहीं ले रहा है.
6. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है.

उक्त सूचना-पत्र मध्यप्रदेश राजपत्र में दिनांक 17 जुलाई, 2020 को भी प्रकाशित हुआ है. संस्था द्वारा सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर संस्था प्रबंधक/अध्यक्ष द्वारा निर्धारित समयावधि में नहीं दिया गया है, अत: यह माना जाकर कि संस्था को कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं के आरोप स्वीकार हैं तथा संस्था को अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है, इस आधार पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने का निर्णय लिया जाता है.

अत: मैं, एम. एल. गजभिये, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाऐं, जिला खरगौन मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./ एफ/05/-1-99/15-1/सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 (यथा संशोधित अद्यतन) के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए गोकुलदास साख सहकारी संस्था मर्या., खरगौन, पंजीयन क्रमांक 1728, दनांक 10 मार्च, 2014 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70(1) के अंतर्गत श्री बी. एल. जमरे, स. नि. खरगौन को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 11 नवम्बर, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1289)

खरगौन, दिनांक 11 नवम्बर, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) एवं धारा-70(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2020/1422.— डाकोरजी स्वायत्त साख सहकारी संस्था मर्या., खरगौन, तहसील खरगौन जिसे आगे केवल संस्था लिखा गया है, मूलत: मध्यप्रदेश स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1999 के अंतर्गत पंजीकृत होकर पंजीयन क्रमांक 27, दिनांक 28 अगस्त, 2003 था. शासन द्वारा मध्यप्रदेश स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1990 निरसित करने के उपरांत उक्त सहकारिता का संपरिवर्तन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के अंतर्गत हुआ है, जिसका पंजीयन क्रमांक 1730, दिनांक 10 मार्च, 2014 है. उक्त संस्था को निम्न कारणों से परिसमापन में लाने हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./2020/674, दिनांक 22 जून, 2020 को जारी किया गया था.

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था. उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है.
2. संस्था के द्वारा संस्था के सामान्य सदस्यों के हितों को संवर्धित नहीं करती है. इससे आशय संस्था सभी सदस्यों का हित संवर्धन नहीं कर रहीं है. अपितु किसी व्यक्ति विशेष के लिए कार्य कर रही हो. जैसे किसी व्यक्ति विशेष को निर्वाचित करने के लिए या किसी व्यवसाय को सामान्य रूप से प्रतिबंधित किया गया हो, उस व्यवसाय के लिए समिति का गठन किया जाना.
3. संस्था द्वारा अधिनियम व उपनियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है.
4. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-6 की शर्तों का पालन नहीं कर रहीं हो जैसे-(1) पंजीयन की शर्तों के अनुसार प्राथमिक समिति में न्यूनतम 20 सदस्य भिन्न-भिन्न परिवार के हो. (2) प्रथम दृष्टया सदस्यों की सहमति के बिना उनके कुटरचित दस्तावेज प्रस्तुत कर पंजीयन कराया गया हो.
5. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रूचि नहीं ले रहा है.
6. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है.

उक्त सूचना-पत्र मध्यप्रदेश राजपत्र में दिनांक 17 जुलाई, 2020 को भी प्रकाशित हुआ है. संस्था द्वारा सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर संस्था प्रबंधक/अध्यक्ष द्वारा निर्धारित समयावधि में नहीं दिया गया है, अत: यह माना जाकर कि संस्था को कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं के आरोप स्वीकार हैं तथा संस्था को अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है, इस आधार पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने का निर्णय लिया जाता है.

अत: मैं, एम. एल. गजभिये, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाऐं, जिला खरगौन मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ/05/-1-99/15-1/सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 (यथा संशोधित अद्यतन) के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए डाकोरजी स्वायत्त साख सहकारी संस्था मर्या., खरगौन, पंजीयन क्रमांक 1730, दिनांक 10 मार्च, 2014 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70(1) के अंतर्गत श्री बी. एल. जमरे, व.स.नि. खरगौन को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 11 नवम्बर, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1290)

खरगौन, दिनांक 11 नवम्बर, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) एवं धारा-70(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2020/1423.— नगर साख सहकारी संस्था मर्यादित, खरगौन, तहसील खरगौन जिसे आगे केवल संस्था लिखा गया है, मूलत: मध्यप्रदेश स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1999 के अंतर्गत पंजीकृत होकर पंजीयन क्रमांक 32, दिनांक 22 सितम्बर, 2003 था. शासन द्वारा मध्यप्रदेश स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1990 निरसित करने के उपरांत उक्त सहकारिता का संपरिवर्तन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधि नियम, 1960 के अंतर्गत हुआ है, जिसका पंजीयन क्रमांक 1735, दिनांक 10 मार्च, 2014 है. उक्त संस्था को निम्न कारणों से परिसमापन में लाने हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./2020/674, दिनांक 22 जून, 2020 को जारी किया गया था.

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था. उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है.
2. संस्था के द्वारा संस्था के सामान्य सदस्यों के हितों को संवर्धित नहीं करती है. इससे आशय संस्था सभी सदस्यों का हित संवर्धन नहीं कर रहीं है. अपितु किसी व्यक्ति विशेष के लिए कार्य कर रही हो. जैसे किसी व्यक्ति विशेष को निर्वाचित करने के लिए या किसी व्यवसाय को सामान्य रूप से प्रतिबंधित किया गया हो, उस व्यवसाय के लिए समिति का गठन किया जाना.

3. संस्था द्वारा अधिनियम व उपनियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है.
4. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-6 की शर्तों का पालन नहीं कर रहीं हो जैसे-(1) पंजीयन की शर्तों के अनुसार प्राथमिक समिति में न्यूनतम 20 सदस्य भिन्न-भिन्न परिवार के हो. (2) प्रथम दृष्टया सदस्यों की सहमति के बिना उनके कुटरचित दस्तावेज प्रस्तुत कर पंजीयन कराया गया हो.
5. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रूचि नहीं ले रहा है.
6. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है.

उक्त सूचना-पत्र मध्यप्रदेश राजपत्र में दिनांक 17 जुलाई, 2020 को भी प्रकाशित हुआ है. संस्था द्वारा सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर संस्था प्रबंधक/अध्यक्ष द्वारा निर्धारित समयावधि में नहीं दिया गया है, अत: यह माना जाकर कि संस्था को कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं के आरोप स्वीकार हैं तथा संस्था को अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है, इस आधार पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने का निर्णय लिया जाता है.

अत: मैं, एम. एल. गजभिये, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाऐं, जिला खरगौन मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./ एफ/05/-1-99/15-1/सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 (यथा संशोधित अद्यतन) के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर साख सहकारी संस्था मर्यादित, खरगौन, पंजीयन क्रमांक 1735, दिनांक 10 मार्च, 2014 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70(1) के अंतर्गत श्री कैलाश वास्कले, व. स. नि. खरगौन को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 11 नवम्बर, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1291)

खरगौन, दिनांक 11 नवम्बर, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) एवं धारा-70(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2020/1424.—महिमा महिला साख सहकारिता मर्यादित, कसरावद, तहसील कसरावद जिसे आगे केवल संस्था लिखा गया है, मूलत: मध्यप्रदेश स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1999 के अंतर्गत पंजीकृत होकर पंजीयन क्रमांक 38, दिनांक 19 दिसम्बर, 2003 था. शासन द्वारा मध्यप्रदेश स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1990 निरसित करने के उपरांत उक्त सहकारिता का संपरिवर्तन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के अंतर्गत हुआ है, जिसका पंजीयन क्रमांक 1741, दिनांक 10 मार्च, 2014 है. उक्त संस्था को निम्न कारणों से परिसमापन में लाने हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/ परि./2020/674, दिनांक 22 जून, 2020 को जारी किया गया था.

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था. उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है.
2. संस्था के द्वारा संस्था के सामान्य सदस्यों के हितों को संवर्धित नहीं करती है. इससे आशय संस्था सभी सदस्यों का हित संवर्धन नहीं कर रहीं है. अपितु किसी व्यक्ति विशेष के लिए कार्य कर रही हो. जैसे किसी व्यक्ति विशेष को निर्वाचित करने के लिए या किसी व्यवसाय को सामान्य रूप से प्रतिबंधित किया गया हो, उस व्यवसाय के लिए समिति का गठन किया जाना.
3. संस्था द्वारा अधिनियम व उपनियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है.
4. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-6 की शर्तों का पालन नहीं कर रहीं हो जैसे-(1) पंजीयन की शर्तों के अनुसार प्राथमिक समिति में न्यूनतम 20 सदस्य भिन्न-भिन्न परिवार के हो. (2) प्रथम दृष्टया सदस्यों की सहमति के बिना उनके कुटरचित दस्तावेज प्रस्तुत कर पंजीयन कराया गया हो.
5. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रूचि नहीं ले रहा है.
6. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है.

उक्त सूचना-पत्र मध्यप्रदेश राजपत्र में दिनांक 17 जुलाई, 2020 को भी प्रकाशित हुआ है. संस्था द्वारा सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर संस्था प्रबंधक/अध्यक्ष द्वारा निर्धारित समयावधि में नहीं दिया गया है, अत: यह माना जाकर कि संस्था को कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं के आरोप स्वीकार हैं तथा संस्था को अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है, इस आधार पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने का निर्णय लिया जाता है.

अत: मैं, एम. एल. गजभिये, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाऐं, जिला खरगौन मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./ एफ/05/-1-99/15-1/सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 (यथा संशोधित अद्यतन) के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए महिमा महिला साख सहकारिता मर्यादित, कसरावद, पंजीयन क्रमांक 1741, दिनांक 10 मार्च, 2014 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70(1) के अंतर्गत श्री एच. सी. यादव, उप अंके. खरगौन को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 11 नवम्बर, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1292)

खरगौन, दिनांक 11 नवम्बर, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) एवं धारा-70(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2020/1425.—तिरूपति क्रेडिट को-ऑपरेटिव्ह लिमि. खरगौन, तहसील खरगौन जिसे आगे केवल संस्था लिखा गया है, मूलत: मध्यप्रदेश स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1999 के अंतर्गत पंजीकृत होकर पंजीयन क्रमांक 59, दिनांक 24 दिसम्बर, 2003 था. शासन द्वारा मध्यप्रदेश स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1990 निरसित करने के उपरांत उक्त सहकारिता का संपरिवर्तन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के अंतर्गत हुआ है, जिसका पंजीयन क्रमांक 1761, दिनांक 10 मार्च, 2014 है. उक्त संस्था को निम्न कारणों से परिसमापन में लाने हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./2020/674, दिनांक 22 जून, 2020 को जारी किया गया था.

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था. उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है.
2. संस्था के द्वारा संस्था के सामान्य सदस्यों के हितों को संवर्धित नहीं करती है. इससे आशय संस्था सभी सदस्यों का हित संवर्धन नहीं कर रहीं है. अपितु किसी व्यक्ति विशेष के लिए कार्य कर रही हो. जैसे किसी व्यक्ति विशेष को निर्वाचित करने के लिए या किसी व्यवसाय को सामान्य रूप से प्रतिबंधित किया गया हो, उस व्यवसाय के लिए समिति का गठन किया जाना.
3. संस्था द्वारा अधिनियम व उपनियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है.
4. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-6 की शर्तों का पालन नहीं कर रहीं हो जैसे-(1) पंजीयन की शर्तों के अनुसार प्राथमिक समिति में न्यूनतम 20 सदस्य भिन्न-भिन्न परिवार के हो. (2) प्रथम दृष्टया सदस्यों की सहमति के बिना उनके कुटरचित दस्तावेज प्रस्तुत कर पंजीयन कराया गया हो.
5. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रूचि नहीं ले रहा है.
6. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है.

उक्त सूचना-पत्र मध्यप्रदेश राजपत्र में दिनांक 17 जुलाई, 2020 को भी प्रकाशित हुआ है. संस्था द्वारा सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर संस्था प्रबंधक/अध्यक्ष द्वारा निर्धारित समयावधि में नहीं दिया गया है, अत: यह माना जाकर कि संस्था को कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं के आरोप स्वीकार हैं तथा संस्था को अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है, इस आधार पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने का निर्णय लिया जाता है.

अत: मैं, एम. एल. गजभिये, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाऐं, जिला खरगौन मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./ एफ/05/-1-99/15-1/सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 (यथा संशोधित अद्यतन) के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए तिरूपति क्रेडिट को-ऑपरेटिव्ह लिमि. खरगौन, तहसील खरगौन, पंजीयन क्रमांक 1761, दिनांक 10 मार्च, 2014 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70(1) के अंतर्गत श्री कैलाश वास्कले, व.स.नि. खरगौन को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 11 नवम्बर, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1293)

खरगौन, दिनांक 11 नवम्बर, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) एवं धारा-70(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2020/1426.—श्री स्वास्तिक साख सहकारी संस्था मर्यादित, खरगौन, तहसील खरगौन जिसे आगे केवल संस्था लिखा गया है, मूलत: मध्यप्रदेश स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1999 के अंतर्गत पंजीकृत होकर पंजीयन क्रमांक 85, दिनांक 23 अगस्त, 2005 था. शासन द्वारा मध्यप्रदेश स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1990 निरसित करने के उपरांत उक्त सहकारिता का संपरिवर्तन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के अंतर्गत हुआ है, जिसका पंजीयन क्रमांक 1787, दिनांक 10 मार्च, 2014 है. उक्त संस्था को निम्न कारणों से परिसमापन में लाने हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./2020/674, दिनांक 22 जून, 2020 को जारी किया गया था.

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था. उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है.
2. संस्था के द्वारा संस्था के सामान्य सदस्यों के हितों को संवर्धित नहीं करती है. इससे आशय संस्था सभी सदस्यों का हित संवर्धन नहीं कर रहीं है. अपितु किसी व्यक्ति विशेष के लिए कार्य कर रही हो. जैसे किसी व्यक्ति विशेष को निर्वाचित करने के लिए या किसी व्यवसाय को सामान्य रूप से प्रतिबंधित किया गया हो, उस व्यवसाय के लिए समिति का गठन किया जाना.

3. संस्था द्वारा अधिनियम व उपनियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है.
4. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-6 की शर्तों का पालन नहीं कर रहीं हो जैसे-(1) पंजीयन की शर्तों के अनुसार प्राथमिक समिति में न्यूनतम 20 सदस्य भिन्न-भिन्न परिवार के हो. (2) प्रथम दृष्टया सदस्यों की सहमति के बिना उनके कुटरचित दस्तावेज प्रस्तुत कर पंजीयन कराया गया हो.
5. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रूचि नहीं ले रहा है.
6. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है.

उक्त सूचना-पत्र मध्यप्रदेश राजपत्र में दिनांक 17 जुलाई, 2020 को भी प्रकाशित हुआ है. संस्था द्वारा सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर संस्था प्रबंधक/अध्यक्ष द्वारा निर्धारित समयावधि में नहीं दिया गया है, अत: यह माना जाकर कि संस्था को कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं के आरोप स्वीकार हैं तथा संस्था को अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है, इस आधार पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने का निर्णय लिया जाता है.

अत: मैं, एम. एल. गजभिये, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाऐं, जिला खरगौन मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./ एफ/05/-1-99/15-1/सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 (यथा संशोधित अद्यतन) के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री स्वास्तिक साख सहकारी संस्था मर्यादित, खरगौन, पंजीयन क्रमांक 1787, दिनांक 10 मार्च, 2014 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70(1) के अंतर्गत श्री राजाराम भट्ट, स. नि. खरगौन को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 11 नवम्बर, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1294)

खरगौन, दिनांक 11 नवम्बर, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) एवं धारा-70(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2020/1427.—दक्षायणी बहुउद्दशीय सहकारी संस्था मर्यादित, बडवाह, तहसील बड़वाह जिसे आगे केवल संस्था लिखा गया है, मूलत: मध्यप्रदेश स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1999 के अंतर्गत पंजीकृत होकर पंजीयन क्रमांक 114, दिनांक 14 नवम्बर, 2006 था. शासन द्वारा मध्यप्रदेश स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1990 निरसित करने के उपरांत उक्त सहकारिता का संपरिवर्तन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के अंतर्गत हुआ है, जिसका पंजीयन क्रमांक 1816, दिनांक 10 मार्च, 2014 है. उक्त संस्था को निम्न कारणों से परिसमापन में लाने हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./2020/674, दिनांक 22 जून, 2020 को जारी किया गया था.

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था. उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है.
2. संस्था के द्वारा संस्था के सामान्य सदस्यों के हितों को संवर्धित नहीं करती है. इससे आशय संस्था सभी सदस्यों का हित संवर्धन नहीं कर रहीं है. अपितु किसी व्यक्ति विशेष के लिए कार्य कर रही हो. जैसे किसी व्यक्ति विशेष को निर्वाचित करने के लिए या किसी व्यवसाय को सामान्य रूप से प्रतिबंधित किया गया हो, उस व्यवसाय के लिए समिति का गठन किया जाना.
3. संस्था द्वारा अधिनियम व उपनियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है.
4. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-6 की शर्तों का पालन नहीं कर रहीं हो जैसे-(1) पंजीयन की शर्तों के अनुसार प्राथमिक समिति में न्यूनतम 20 सदस्य भिन्न-भिन्न परिवार के हो. (2) प्रथम दृष्टया सदस्यों की सहमति के बिना उनके कुटरचित दस्तावेज प्रस्तुत कर पंजीयन कराया गया हो.
5. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रूचि नहीं ले रहा है.
6. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है.

उक्त सूचना-पत्र मध्यप्रदेश राजपत्र में दिनांक 17 जुलाई, 2020 को भी प्रकाशित हुआ है. संस्था द्वारा सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर संस्था प्रबंधक/अध्यक्ष द्वारा निर्धारित समयावधि में नहीं दिया गया है, अत: यह माना जाकर कि संस्था को कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं के आरोप स्वीकार हैं तथा संस्था को अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है, इस आधार पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने का निर्णय लिया जाता है.

अत: मैं, एम. एल. गजभिये, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाऐं, जिला खरगौन मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./ एफ/05/-1-99/15-1/सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 (यथा संशोधित अद्यतन) के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए दक्षायणी बहुउद्दशीय सहकारी संस्था मर्यादित, बडवाह, पंजीयन क्रमांक 1816, दिनांक 10 मार्च, 2014 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70(1) के अंतर्गत श्री महेन्द्र ठाकुर, स. नि. खरगौन को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 11 नवम्बर, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1295)

खरगौन, दिनांक 11 नवम्बर, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) एवं धारा-70(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2020/1428.—किसान आर्गेनिक साख सहकारी संस्था मर्यादित, खरगौन, तहसील खरगौन जिसे आगे केवल संस्था लिखा गया है, मूलत: मध्यप्रदेश स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1999 के अंतर्गत पंजीकृत होकर पंजीयन क्रमांक 125, दिनांक 26 जून, 2007 था. शासन द्वारा मध्यप्रदेश स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1990 निरसित करने के उपरांत उक्त सहकारिता का संपरिवर्तन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के अंतर्गत हुआ है, जिसका पंजीयन क्रमांक 1826, दिनांक 10 मार्च, 2014 है. उक्त संस्था को निम्न कारणों से परिसमापन में लाने हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./2020/674, दिनांक 22 जून, 2020 को जारी किया गया था.

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था. उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है.
2. संस्था के द्वारा संस्था के सामान्य सदस्यों के हितों को संवर्धित नहीं करती है. इससे आशय संस्था सभी सदस्यों का हित संवर्धन नहीं कर रहीं है. अपितु किसी व्यक्ति विशेष के लिए कार्य कर रही हो. जैसे किसी व्यक्ति विशेष को निर्वाचित करने के लिए या किसी व्यवसाय को सामान्य रूप से प्रतिबंधित किया गया हो, उस व्यवसाय के लिए समिति का गठन किया जाना.
3. संस्था द्वारा अधिनियम व उपनियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है.
4. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-6 की शर्तों का पालन नहीं कर रहीं हो जैसे-(1) पंजीयन की शर्तों के अनुसार प्राथमिक समिति में न्यूनतम 20 सदस्य भिन्न-भिन्न परिवार के हो. (2) प्रथम दृष्टया सदस्यों की सहमति के बिना उनके कुटरचित दस्तावेज प्रस्तुत कर पंजीयन कराया गया हो.
5. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रूचि नहीं ले रहा है.
6. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है.

उक्त सूचना-पत्र मध्यप्रदेश राजपत्र में दिनांक 17 जुलाई, 2020 को भी प्रकाशित हुआ है. संस्था द्वारा सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर संस्था प्रबंधक/अध्यक्ष द्वारा निर्धारित समयावधि में नहीं दिया गया है, अत: यह माना जाकर कि संस्था को कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं के आरोप स्वीकार हैं तथा संस्था को अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है, इस आधार पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने का निर्णय लिया जाता है.

अत: मैं, एम. एल. गजभिये, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाऐं, जिला खरगौन मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./ एफ/05/-1-99/15-1/सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 (यथा संशोधित अद्यतन) के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए किसान आर्गेनिक साख सहकारी संस्था मर्यादित, खरगौन, पंजीयन क्रमांक 1826, दिनांक 10 मार्च, 2014 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70(1) के अंतर्गत श्री सोहनसिंह चौहान, स. नि. खरगौन को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 11 नवम्बर, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1296)

खरगौन, दिनांक 11 नवम्बर, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) एवं धारा-70(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2020/1429.— आदर्श भिलाला समाज साख सहकारी संस्था मर्यादित, बडवाह, तहसील बड़वाह जिसे आगे केवल संस्था लिखा गया है, मूलत: मध्यप्रदेश स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1999 के अंतर्गत पंजीकृत होकर पंजीयन क्रमांक 130, दिनांक 16 अगस्त, 2007 था. शासन द्वारा मध्यप्रदेश स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1990 निरसित करने के उपरांत उक्त सहकारिता का संपरिवर्तन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के अंतर्गत हुआ है, जिसका पंजीयन क्रमांक 1831, दिनांक 10 मार्च, 2014 है. उक्त संस्था को निम्न कारणों से परिसमापन में लाने हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./2020/674, दिनांक 22 जून, 2020 को जारी किया गया था.

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था. उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है.
2. संस्था के द्वारा संस्था के सामान्य सदस्यों के हितों को संवर्धित नहीं करती है. इससे आशय संस्था सभी सदस्यों का हित संवर्धन नहीं कर रहीं है. अपितु किसी व्यक्ति विशेष के लिए कार्य कर रही हो. जैसे किसी व्यक्ति विशेष को निर्वाचित करने के लिए या किसी व्यवसाय को सामान्य रूप से प्रतिबंधित किया गया हो, उस व्यवसाय के लिए समिति का गठन किया जाना.
3. संस्था द्वारा अधिनियम व उपनियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है.
4. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-6 की शर्तों का पालन नहीं कर रहीं हो जैसे-(1) पंजीयन की शर्तों के अनुसार प्राथमिक समिति में न्यूनतम 20 सदस्य भिन्न-भिन्न परिवार के हो. (2) प्रथम दृष्टया सदस्यों की सहमति के बिना उनके कुटरचित दस्तावेज प्रस्तुत कर पंजीयन कराया गया हो.

5. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रूचि नहीं ले रहा है.

6. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है.

उक्त सूचना-पत्र मध्यप्रदेश राजपत्र में दिनांक 17 जुलाई, 2020 को भी प्रकाशित हुआ है. संस्था द्वारा सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर संस्था प्रबंधक/अध्यक्ष द्वारा निर्धारित समयावधि में नहीं दिया गया है, अत: यह माना जाकर कि संस्था को कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं के आरोप स्वीकार हैं तथा संस्था को अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है, इस आधार पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने का निर्णय लिया जाता है.

अत: मैं, एम. एल. गजभिये, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाऐं, जिला खरगौन मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ/05/-1-99/15-1/सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 (यथा संशोधित अद्यतन) के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदर्श भिलाला समाज साख सहकारी संस्था मर्यादित, बडवाह, पंजीयन क्रमांक 1831, दिनांक 10 मार्च, 2014 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70(1) के अंतर्गत श्री मनोहर वास्कले, स. नि. खरगौन को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 11 नवम्बर, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1297)

खरगौन, दिनांक 11 नवम्बर, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) एवं धारा-70(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2020/1430.—कोटेश्वर साख सहकारी संस्था मर्यादित, खरगौन, तहसील खरगौन जिसे आगे केवल संस्था लिखा गया है, मूलत: मध्यप्रदेश स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1999 के अंतर्गत पंजीकृत होकर पंजीयन क्रमांक 131, दिनांक 27 अगस्त, 2007 था. शासन द्वारा मध्यप्रदेश स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1990 निरसित करने के उपरांत उक्त सहकारिता का संपरिवर्तन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के अंतर्गत हुआ है, जिसका पंजीयन क्रमांक 1832, दिनांक 10 मार्च, 2014 है. उक्त संस्था को निम्न कारणों से परिसमापन में लाने हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./2020/674, दिनांक 22 जून, 2020 को जारी किया गया था.

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था. उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है.
2. संस्था के द्वारा संस्था के सामान्य सदस्यों के हितों को संवर्धित नहीं करती है. इससे आशय संस्था सभी सदस्यों का हित संवर्धन नहीं कर रहीं है. अपितु किसी व्यक्ति विशेष के लिए कार्य कर रही हो. जैसे किसी व्यक्ति विशेष को निर्वाचित करने के लिए या किसी व्यवसाय को सामान्य रूप से प्रतिबंधित किया गया हो, उस व्यवसाय के लिए समिति का गठन किया जाना.
3. संस्था द्वारा अधिनियम व उपनियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है.
4. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-6 की शर्तों का पालन नहीं कर रहीं हो जैसे-(1) पंजीयन की शर्तों के अनुसार प्राथमिक समिति में न्यूनतम 20 सदस्य भिन्न-भिन्न परिवार के हो. (2) प्रथम दृष्टया सदस्यों की सहमति के बिना उनके कुटरचित दस्तावेज प्रस्तुत कर पंजीयन कराया गया हो.
5. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रूचि नहीं ले रहा है.
6. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है.

उक्त सूचना-पत्र मध्यप्रदेश राजपत्र में दिनांक 17 जुलाई, 2020 को भी प्रकाशित हुआ है. संस्था द्वारा सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर संस्था प्रबंधक/अध्यक्ष द्वारा निर्धारित समयावधि में नहीं दिया गया है, अत: यह माना जाकर कि संस्था को कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं के आरोप स्वीकार हैं तथा संस्था को अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है, इस आधार पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने का निर्णय लिया जाता है.

अत: मैं, एम. एल. गजभिये, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाऐं, जिला खरगौन मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ/05/-1-99/15-1/सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 (यथा संशोधित अद्यतन) के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए कोटेश्वर साख सहकारी संस्था मर्यादित, खरगौन, तहसील खरगौन, पंजीयन क्रमांक 1832, दिनांक 10 मार्च, 2014 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70(1) के अंतर्गत श्री अरूण कुमार पांडे, स. नि. खरगौन को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 11 नवम्बर, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1298)

खरगौन, दिनांक 11 नवम्बर, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) एवं धारा-70(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2020/1431.—सांईरथ साख सहकारी संस्था मर्यादित, खरगौन, तहसील खरगौन जिसे आगे केवल संस्था लिखा गया है, मूलत: मध्यप्रदेश स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1999 के अंतर्गत पंजीकृत होकर पंजीयन क्रमांक 147, दिनांक 01 जनवरी, 2008 था. शासन द्वारा मध्यप्रदेश स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1990 निरसित करने के उपरांत उक्त सहकारिता का संपरिवर्तन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के अंतर्गत हुआ है, जिसका पंजीयन क्रमांक 1848, दिनांक 10 मार्च, 2014 है. उक्त संस्था को निम्न कारणों से परिसमापन में लाने हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./2020/674, दिनांक 22 जून, 2020 को जारी किया गया था.

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था. उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है.
2. संस्था के द्वारा संस्था के सामान्य सदस्यों के हितों को संवर्धित नहीं करती है. इससे आशय संस्था सभी सदस्यों का हित संवर्धन नहीं कर रहीं है. अपितु किसी व्यक्ति विशेष के लिए कार्य कर रही हो. जैसे किसी व्यक्ति विशेष को निर्वाचित करने के लिए या किसी व्यवसाय को सामान्य रूप से प्रतिबंधित किया गया हो, उस व्यवसाय के लिए समिति का गठन किया जाना.
3. संस्था द्वारा अधिनियम व उपनियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है.
4. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-6 की शर्तों का पालन नहीं कर रहीं हो जैसे-(1) पंजीयन की शर्तों के अनुसार प्राथमिक समिति में न्यूनतम 20 सदस्य भिन्न-भिन्न परिवार के हो. (2) प्रथम दृष्टया सदस्यों की सहमति के बिना उनके कुटरचित दस्तावेज प्रस्तुत कर पंजीयन कराया गया हो.
5. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रूचि नहीं ले रहा है.
6. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है.

उक्त सूचना-पत्र मध्यप्रदेश राजपत्र में दिनांक 17 जुलाई, 2020 को भी प्रकाशित हुआ है. संस्था द्वारा सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर संस्था प्रबंधक/अध्यक्ष द्वारा निर्धारित समयावधि में नहीं दिया गया है, अत: यह माना जाकर कि संस्था को कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं के आरोप स्वीकार हैं तथा संस्था को अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है, इस आधार पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने का निर्णय लिया जाता है.

अत: मैं, एम. एल. गजभिये, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाऐं, जिला खरगौन मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./ एफ/05/-1-99/15-1/सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 (यथा संशोधित अद्यतन) के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए सांईरथ साख सहकारी संस्था मर्यादित, खरगौन, पंजीयन क्रमांक 1848, दिनांक 10 मार्च, 2014 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70(1) के अंतर्गत श्री नवीन मुहावरे, स. नि. खरगौन को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 11 नवम्बर, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1299)

खरगौन, दिनांक 11 नवम्बर, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) एवं धारा-70(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2020/1432.—महाकाल साख सहकारी संस्था मर्यादित, खरगौन, तहसील खरगौन जिसे आगे केवल संस्था लिखा गया है, मूलत: मध्यप्रदेश स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1999 के अंतर्गत पंजीकृत होकर पंजीयन क्रमांक 160, दिनांक 25 मई, 2008 था. शासन द्वारा मध्यप्रदेश स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1990 निरसित करने के उपरांत उक्त सहकारिता का संपरिवर्तन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के अंतर्गत हुआ है, जिसका पंजीयन क्रमांक 1861, दिनांक 10 मार्च, 2014 है. उक्त संस्था को निम्न कारणों से परिसमापन में लाने हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./2020/674, दिनांक 22 जून, 2020 को जारी किया गया था.

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था. उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है.
2. संस्था के द्वारा संस्था के सामान्य सदस्यों के हितों को संवर्धित नहीं करती है. इससे आशय संस्था सभी सदस्यों का हित संवर्धन नहीं कर रहीं है. अपितु किसी व्यक्ति विशेष के लिए कार्य कर रही हो. जैसे किसी व्यक्ति विशेष को निर्वाचित करने के लिए या किसी व्यवसाय को सामान्य रूप से प्रतिबंधित किया गया हो, उस व्यवसाय के लिए समिति का गठन किया जाना.
3. संस्था द्वारा अधिनियम व उपनियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है.
4. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-6 की शर्तों का पालन नहीं कर रहीं हो जैसे-(1) पंजीयन की शर्तों के अनुसार प्राथमिक समिति में न्यूनतम 20 सदस्य भिन्न-भिन्न परिवार के हो. (2) प्रथम दृष्टया सदस्यों की सहमति के बिना उनके कुटरचित दस्तावेज प्रस्तुत कर पंजीयन कराया गया हो.

5. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रूचि नहीं ले रहा है.

6. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है.

उक्त सूचना-पत्र मध्यप्रदेश राजपत्र में दिनांक 17 जुलाई, 2020 को भी प्रकाशित हुआ है. संस्था द्वारा सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर संस्था प्रबंधक/अध्यक्ष द्वारा निर्धारित समयावधि में नहीं दिया गया है, अत: यह माना जाकर कि संस्था को कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं के आरोप स्वीकार हैं तथा संस्था को अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है, इस आधार पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने का निर्णय लिया जाता है.

अत: मैं, एम. एल. गजभिये, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाऐं, जिला खरगौन मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./ एफ/05/-1-99/15-1/सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 (यथा संशोधित अद्यतन) के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए महाकाल साख सहकारी संस्था मर्यादित, खरगौन, पंजीयन क्रमांक 1861, दिनांक 10 मार्च, 2014 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70(1) के अंतर्गत श्री सोहनसिंह चौहान, स. नि. खरगौन को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 11 नवम्बर, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1300)

खरगौन, दिनांक 11 नवम्बर, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) एवं धारा-70(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2020/1433.—रेवा जी साख सहकारी संस्था मर्यादित, खरगौन, तहसील खरगौन जिसे आगे केवल संस्था लिखा गया है, मूलत: मध्यप्रदेश स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1999 के अंतर्गत पंजीकृत होकर पंजीयन क्रमांक 166, दिनांक 15 सितम्बर, 2008 था. शासन द्वारा मध्यप्रदेश स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1990 निरसित करने के उपरांत उक्त सहकारिता का संपरिवर्तन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के अंतर्गत हुआ है, जिसका पंजीयन क्रमांक 1867, दिनांक 10 मार्च, 2014 है. उक्त संस्था को निम्न कारणों से परिसमापन में लाने हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./2020/674, दिनांक 22 जून, 2020 को जारी किया गया था.

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था. उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है.

2. संस्था के द्वारा संस्था के सामान्य सदस्यों के हितों को संवर्धित नहीं करती है. इससे आशय संस्था सभी सदस्यों का हित संवर्धन नहीं कर रहीं है. अपितु किसी व्यक्ति विशेष के लिए कार्य कर रही हो. जैसे किसी व्यक्ति विशेष को निर्वाचित करने के लिए या किसी व्यवसाय को सामान्य रूप से प्रतिबंधित किया गया हो, उस व्यवसाय के लिए समिति का गठन किया जाना.

3. संस्था द्वारा अधिनियम व उपनियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है.

4. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-6 की शर्तों का पालन नहीं कर रहीं हो जैसे-(1) पंजीयन की शर्तों के अनुसार प्राथमिक समिति में न्यूनतम 20 सदस्य भिन्न-भिन्न परिवार के हो. (2) प्रथम दृष्टया सदस्यों की सहमति के बिना उनके कुटरचित दस्तावेज प्रस्तुत कर पंजीयन कराया गया हो.

5. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रूचि नहीं ले रहा है.

6. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है.

उक्त सूचना-पत्र मध्यप्रदेश राजपत्र में दिनांक 17 जुलाई, 2020 को भी प्रकाशित हुआ है. संस्था द्वारा सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर संस्था प्रबंधक/अध्यक्ष द्वारा निर्धारित समयावधि में नहीं दिया गया है, अत: यह माना जाकर कि संस्था को कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं के आरोप स्वीकार हैं तथा संस्था को अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है, इस आधार पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने का निर्णय लिया जाता है.

अत: मैं, एम. एल. गजभिये, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाऐं, जिला खरगौन मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ/05/-1-99/15-1/सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 (यथा संशोधित अद्यतन) के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए रेवा जी साख सहकारी संस्था मर्यादित, खरगौन, तहसील खरगौन, पंजीयन क्रमांक 1867, दिनांक 10 मार्च, 2014 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70(1) के अंतर्गत श्री सोहनसिंह चौहान, स. नि. खरगौन को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 11 नवम्बर, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1301)

खरगौन, दिनांक 11 नवम्बर, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) एवं धारा-70(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2020/1434.—राजराजेश्वर साख सहकारी संस्था मर्यादित, खरगौन, तहसील खरगौन जिसे आगे केवल संस्था लिखा गया है, मूलत: मध्यप्रदेश स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1999 के अंतर्गत पंजीकृत होकर पंजीयन क्रमांक 170, दिनांक 25 अक्टूबर, 2008 था. शासन द्वारा मध्यप्रदेश स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1990 निरसित करने के उपरांत उक्त सहकारिता का संपरिवर्तन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के अंतर्गत हुआ है, जिसका पंजीयन क्रमांक 1871, दिनांक 10 मार्च, 2014 है. उक्त संस्था को निम्न कारणों से परिसमापन में लाने हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./2020/674, दिनांक 22 जून, 2020 को जारी किया गया था.

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था. उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है.
2. संस्था के द्वारा संस्था के सामान्य सदस्यों के हितों को संवर्धित नहीं करती है. इससे आशय संस्था सभी सदस्यों का हित संवर्धन नहीं कर रहीं है. अपितु किसी व्यक्ति विशेष के लिए कार्य कर रही हो. जैसे किसी व्यक्ति विशेष को निर्वाचित करने के लिए या किसी व्यवसाय को सामान्य रूप से प्रतिबंधित किया गया हो, उस व्यवसाय के लिए समिति का गठन किया जाना.
3. संस्था द्वारा अधिनियम व उपनियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है.
4. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-6 की शर्तों का पालन नहीं कर रहीं हो जैसे-(1) पंजीयन की शर्तों के अनुसार प्राथमिक समिति में न्यूनतम 20 सदस्य भिन्न-भिन्न परिवार के हो. (2) प्रथम दृष्टया सदस्यों की सहमति के बिना उनके कुटरचित दस्तावेज प्रस्तुत कर पंजीयन कराया गया हो.
5. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रूचि नहीं ले रहा है.
6. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है.

उक्त सूचना-पत्र मध्यप्रदेश राजपत्र में दिनांक 17 जुलाई, 2020 को भी प्रकाशित हुआ है. संस्था द्वारा सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर संस्था प्रबंधक/अध्यक्ष द्वारा निर्धारित समयावधि में नहीं दिया गया है, अत: यह माना जाकर कि संस्था को कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं के आरोप स्वीकार हैं तथा संस्था को अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है, इस आधार पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने का निर्णय लिया जाता है.

अत: मैं, एम. एल. गजभिये, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाऐं, जिला खरगौन मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ/05/-1-99/15-1/सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 (यथा संशोधित अद्यतन) के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजराजेश्वर साख सहकारी संस्था मर्यादित, खरगौन, पंजीयन क्रमांक 1871, दिनांक 10 मार्च, 2014 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70(1) के अंतर्गत श्री राधेश्याम चौहान, S.A. खरगौन को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 11 नवम्बर, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1302)

खरगौन, दिनांक 11 नवम्बर, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) एवं धारा-70(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2020/1435.—अन्नपूर्णा माय फण्ड साख सहकारी संस्था मर्यादित, खरगौन, तहसील खरगौन जिसे आगे केवल संस्था लिखा गया है, मूलत: मध्यप्रदेश स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1999 के अंतर्गत पंजीकृत होकर पंजीयन क्रमांक 172, दिनांक 02 जनवरी, 2009 था. शासन द्वारा मध्यप्रदेश स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1990 निरसित करने के उपरांत उक्त सहकारिता का संपरिवर्तन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के अंतर्गत हुआ है, जिसका पंजीयन क्रमांक 1873, दिनांक 10 मार्च, 2014 है. उक्त संस्था को निम्न कारणों से परिसमापन में लाने हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./2020/674, दिनांक 22 जून, 2020 को जारी किया गया था.

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था. उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है.
2. संस्था के द्वारा संस्था के सामान्य सदस्यों के हितों को संवर्धित नहीं करती है. इससे आशय संस्था सभी सदस्यों का हित संवर्धन नहीं कर रहीं है. अपितु किसी व्यक्ति विशेष के लिए कार्य कर रही हो. जैसे किसी व्यक्ति विशेष को निर्वाचित करने के लिए या किसी व्यवसाय को सामान्य रूप से प्रतिबंधित किया गया हो, उस व्यवसाय के लिए समिति का गठन किया जाना.
3. संस्था द्वारा अधिनियम व उपनियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है.

4. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-6 की शर्तों का पालन नहीं कर रहीं हो जैसे-(1) पंजीयन की शर्तों के अनुसार प्राथमिक समिति में न्यूनतम 20 सदस्य भिन्न-भिन्न परिवार के हो. (2) प्रथम दृष्टया सदस्यों की सहमति के बिना उनके कुटरचित दस्तावेज प्रस्तुत कर पंजीयन कराया गया हो.
5. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रूचि नहीं ले रहा है.
6. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है.

उक्त सूचना-पत्र मध्यप्रदेश राजपत्र में दिनांक 17 जुलाई, 2020 को भी प्रकाशित हुआ है. संस्था द्वारा सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर संस्था प्रबंधक/अध्यक्ष द्वारा निर्धारित समयावधि में नहीं दिया गया है, अत: यह माना जाकर कि संस्था को कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं के आरोप स्वीकार हैं तथा संस्था को अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है, इस आधार पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने का निर्णय लिया जाता है.

अत: मैं, एम. एल. गजभिये, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाऐं, जिला खरगौन मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ/05/-1-99/15-1/सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 (यथा संशोधित अद्यतन) के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए अन्नपूर्णा माय फण्ड साख सहकारी संस्था मर्यादित, खरगौन, पंजीयन क्रमांक 1873, दिनांक 10 मार्च, 2014 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70(1) के अंतर्गत श्री राधेश्याम चौहान, S.A. खरगौन को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 11 नवम्बर, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1303)

खरगौन, दिनांक 11 नवम्बर, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) एवं धारा-70(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2020/1436.— अपनी साख सहकारी संस्था मर्यादित, बडवाह, तहसील बड़वाह जिसे आगे केवल संस्था लिखा गया है, मूलत: मध्यप्रदेश स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1999 के अंतर्गत पंजीकृत होकर पंजीयन क्रमांक 177, दिनांक 20 मार्च, 2009 था. शासन द्वारा मध्यप्रदेश स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1990 निरसित करने के उपरांत उक्त सहकारिता का संपरिवर्तन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के अंतर्गत हुआ है, जिसका पंजीयन क्रमांक 1878, दिनांक 10 मार्च, 2014 है. उक्त संस्था को निम्न कारणों से परिसमापन में लाने हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./2020/674, दिनांक 22 जून, 2020 को जारी किया गया था.

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था. उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है.
2. संस्था के द्वारा संस्था के सामान्य सदस्यों के हितों को संवर्धित नहीं करती है. इससे आशय संस्था सभी सदस्यों का हित संवर्धन नहीं कर रहीं है. अपितु किसी व्यक्ति विशेष के लिए कार्य कर रही हो. जैसे किसी व्यक्ति विशेष को निर्वाचित करने के लिए या किसी व्यवसाय को सामान्य रूप से प्रतिबंधित किया गया हो, उस व्यवसाय के लिए समिति का गठन किया जाना.
3. संस्था द्वारा अधिनियम व उपनियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है.
4. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-6 की शर्तों का पालन नहीं कर रहीं हो जैसे-(1) पंजीयन की शर्तों के अनुसार प्राथमिक समिति में न्यूनतम 20 सदस्य भिन्न-भिन्न परिवार के हो. (2) प्रथम दृष्टया सदस्यों की सहमति के बिना उनके कुटरचित दस्तावेज प्रस्तुत कर पंजीयन कराया गया हो.
5. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रूचि नहीं ले रहा है.
6. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है.

उक्त सूचना-पत्र मध्यप्रदेश राजपत्र में दिनांक 17 जुलाई, 2020 को भी प्रकाशित हुआ है. संस्था द्वारा सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर संस्था प्रबंधक/अध्यक्ष द्वारा निर्धारित समयावधि में नहीं दिया गया है, अत: यह माना जाकर कि संस्था को कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं के आरोप स्वीकार हैं तथा संस्था को अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है, इस आधार पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने का निर्णय लिया जाता है.

अत: मैं, एम. एल. गजभिये, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाऐं, जिला खरगौन मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ/05/-1-99/15-1/सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 (यथा संशोधित अद्यतन) के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपनी साख सहकारी संस्था मर्यादित, बडवाह, पंजीयन क्रमांक 1878, दिनांक 10 मार्च, 2014 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70(1) के अंतर्गत श्री मनोहर वास्कले, स. नि. खरगौन को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 11 नवम्बर, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1304)

खरगौन, दिनांक 11 नवम्बर, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) एवं धारा-70(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2020/1437.—श्री अक्षिता साख सहकारी संस्था मर्यादित, खरगौन, तहसील खरगौन जिसे आगे केवल संस्था लिखा गया है, मूलत: मध्यप्रदेश स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1999 के अंतर्गत पंजीकृत होकर पंजीयन क्रमांक 180, दिनांक 22 सितम्बर, 2009 था. शासन द्वारा मध्यप्रदेश स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1990 निरसित करने के उपरांत उक्त सहकारिता का संपरिवर्तन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के अंतर्गत हुआ है, जिसका पंजीयन क्रमांक 1881, दिनांक 10 मार्च, 2014 है. उक्त संस्था को निम्न कारणों से परिसमापन में लाने हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./2020/674, दिनांक 22 जून, 2020 को जारी किया गया था.

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था. उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है.
2. संस्था के द्वारा संस्था के सामान्य सदस्यों के हितों को संवर्धित नहीं करती है. इससे आशय संस्था सभी सदस्यों का हित संवर्धन नहीं कर रहीं है. अपितु किसी व्यक्ति विशेष के लिए कार्य कर रही हो. जैसे किसी व्यक्ति विशेष को निर्वाचित करने के लिए या किसी व्यवसाय को सामान्य रूप से प्रतिबंधित किया गया हो, उस व्यवसाय के लिए समिति का गठन किया जाना.
3. संस्था द्वारा अधिनियम व उपनियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है.
4. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-6 की शर्तों का पालन नहीं कर रहीं हो जैसे-(1) पंजीयन की शर्तों के अनुसार प्राथमिक समिति में न्यूनतम 20 सदस्य भिन्न-भिन्न परिवार के हो. (2) प्रथम दृष्टया सदस्यों की सहमति के बिना उनके कुटरचित दस्तावेज प्रस्तुत कर पंजीयन कराया गया हो.
5. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रूचि नहीं ले रहा है.
6. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है.

उक्त सूचना-पत्र मध्यप्रदेश राजपत्र में दिनांक 17 जुलाई, 2020 को भी प्रकाशित हुआ है. संस्था द्वारा सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर संस्था प्रबंधक/अध्यक्ष द्वारा निर्धारित समयावधि में नहीं दिया गया है, अत: यह माना जाकर कि संस्था को कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं के आरोप स्वीकार हैं तथा संस्था को अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है, इस आधार पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने का निर्णय लिया जाता है.

अत: मैं, एम. एल. गजभिये, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाऐं, जिला खरगौन मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ/05/-1-99/15-1/सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 (यथा संशोधित अद्यतन) के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री अक्षिता साख सहकारी संस्था मर्यादित, खरगौन, पंजीयन क्रमांक 1881, दिनांक 10 मार्च, 2014 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70(1) के अंतर्गत श्री मनोज शैल्के, स. नि. खरगौन को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 11 नवम्बर, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1305)

खरगौन, दिनांक 11 नवम्बर, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) एवं धारा-70(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2020/1438.—श्री व्यकंटेश क्रेडिट को ऑपरेटिव्ह सोसा. लि. खरगौन, तहसील खरगौन जिसे आगे केवल संस्था लिखा गया है, मूलत: मध्यप्रदेश स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1999 के अंतर्गत पंजीकृत होकर पंजीयन क्रमांक 182, दिनांक 22 सितम्बर, 2009 था. शासन द्वारा मध्यप्रदेश स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1990 निरसित करने के उपरांत उक्त सहकारिता का संपरिवर्तन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के अंतर्गत हुआ है, जिसका पंजीयन क्रमांक 1883, दिनांक 10 मार्च, 2014 है. उक्त संस्था को निम्न कारणों से परिसमापन में लाने हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./2020/674, दिनांक 22 जून, 2020 को जारी किया गया था.

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था. उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है.
2. संस्था के द्वारा संस्था के सामान्य सदस्यों के हितों को संवर्धित नहीं करती है. इससे आशय संस्था सभी सदस्यों का हित संवर्धन नहीं कर रहीं है. अपितु किसी व्यक्ति विशेष के लिए कार्य कर रही हो. जैसे किसी व्यक्ति विशेष को निर्वाचित करने के लिए या किसी व्यवसाय को सामान्य रूप से प्रतिबंधित किया गया हो, उस व्यवसाय के लिए समिति का गठन किया जाना.
3. संस्था द्वारा अधिनियम व उपनियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है.

4. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-6 की शर्तों का पालन नहीं कर रहीं हो जैसे-(1) पंजीयन की शर्तों के अनुसार प्राथमिक समिति में न्यूनतम 20 सदस्य भिन्न-भिन्न परिवार के हो. (2) प्रथम दृष्टया सदस्यों की सहमति के बिना उनके कुटरचित दस्तावेज प्रस्तुत कर पंजीयन कराया गया हो.
5. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रूचि नहीं ले रहा है.
6. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है.

उक्त सूचना-पत्र मध्यप्रदेश राजपत्र में दिनांक 17 जुलाई, 2020 को भी प्रकाशित हुआ है. संस्था द्वारा सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर संस्था प्रबंधक/अध्यक्ष द्वारा निर्धारित समयावधि में नहीं दिया गया है, अत: यह माना जाकर कि संस्था को कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं के आरोप स्वीकार हैं तथा संस्था को अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है, इस आधार पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने का निर्णय लिया जाता है.

अत: मैं, एम. एल. गजभिये, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाऐं, जिला खरगौन मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ/05/-1-99/15-1/सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 (यथा संशोधित अद्यतन) के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री व्यकंटेश क्रेडिट को ऑपरेटिव्ह सोसा. लि. खरगौन, पंजीयन क्रमांक 1883, दिनांक 10 मार्च, 2014 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70(1) के अंतर्गत श्री राधेश्याम चौहान, S.A. खरगौन को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 11 नवम्बर, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1306)

खरगौन, दिनांक 11 नवम्बर, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) एवं धारा-70(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2020/1439.—माँ रेवा सहयोग साख सहकारी संस्था मर्यादित, सूलगांव, तहसील महेश्वर जिसे आगे केवल संस्था लिखा गया है, मूलत: मध्यप्रदेश स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1999 के अंतर्गत पंजीकृत होकर पंजीयन क्रमांक 184, दिनांक 19 नवम्बर, 2009 था. शासन द्वारा मध्यप्रदेश स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1990 निरसित करने के उपरांत उक्त सहकारिता का संपरिवर्तन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के अंतर्गत हुआ है, जिसका पंजीयन क्रमांक 1885, दिनांक 10 मार्च, 2014 है. उक्त संस्था को निम्न कारणों से परिसमापन में लाने हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./2020/674, दिनांक 22 जून, 2020 को जारी किया गया था.

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था. उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है.
2. संस्था के द्वारा संस्था के सामान्य सदस्यों के हितों को संवर्धित नहीं करती है. इससे आशय संस्था सभी सदस्यों का हित संवर्धन नहीं कर रहीं है. अपितु किसी व्यक्ति विशेष के लिए कार्य कर रही हो. जैसे किसी व्यक्ति विशेष को निर्वाचित करने के लिए या किसी व्यवसाय को सामान्य रूप से प्रतिबंधित किया गया हो, उस व्यवसाय के लिए समिति का गठन किया जाना.
3. संस्था द्वारा अधिनियम व उपनियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है.
4. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-6 की शर्तों का पालन नहीं कर रहीं हो जैसे-(1) पंजीयन की शर्तों के अनुसार प्राथमिक समिति में न्यूनतम 20 सदस्य भिन्न-भिन्न परिवार के हो. (2) प्रथम दृष्टया सदस्यों की सहमति के बिना उनके कुटरचित दस्तावेज प्रस्तुत कर पंजीयन कराया गया हो.
5. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रूचि नहीं ले रहा है.
6. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है.

उक्त सूचना-पत्र मध्यप्रदेश राजपत्र में दिनांक 17 जुलाई, 2020 को भी प्रकाशित हुआ है. संस्था द्वारा सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर संस्था प्रबंधक/अध्यक्ष द्वारा निर्धारित समयावधि में नहीं दिया गया है, अत: यह माना जाकर कि संस्था को कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं के आरोप स्वीकार हैं तथा संस्था को अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है, इस आधार पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने का निर्णय लिया जाता है.

अत: मैं, एम. एल. गजभिये, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाऐं, जिला खरगौन मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./ एफ/05/-1-99/15-1/सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 (यथा संशोधित अद्यतन) के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए माँ रेवा सहयोग साख सहकारी संस्था मर्यादित, सूलगांव, पंजीयन क्रमांक 1885, दिनांक 10 मार्च, 2014 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70(1) के अंतर्गत श्री राजेन्द्र कुमार रोमडे, स. नि. खरगौन को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 11 नवम्बर, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1307)

खरगौन, दिनांक 11 नवम्बर, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) एवं धारा-70(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2020/1440.—सृजन साख सहकारी संस्था मर्यादित, गोगावॉ, तहसील गोगावॉ जिसे आगे केवल संस्था लिखा गया है, मूलत: मध्यप्रदेश स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1999 के अंतर्गत पंजीकृत होकर पंजीयन क्रमांक 185, दिनांक 29 दिसम्बर, 2009 था. शासन द्वारा मध्यप्रदेश स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1990 निरसित करने के उपरांत उक्त सहकारिता का संपरिवर्तन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के अंतर्गत हुआ है, जिसका पंजीयन क्रमांक 1886, दिनांक 10 मार्च, 2014 है. उक्त संस्था को निम्न कारणों से परिसमापन में लाने हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./2020/674, दिनांक 22 जून, 2020 को जारी किया गया था.

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था. उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है.
2. संस्था के द्वारा संस्था के सामान्य सदस्यों के हितों को संवर्धित नहीं करती है. इससे आशय संस्था सभी सदस्यों का हित संवर्धन नहीं कर रहीं है. अपितु किसी व्यक्ति विशेष के लिए कार्य कर रही हो. जैसे किसी व्यक्ति विशेष को निर्वाचित करने के लिए या किसी व्यवसाय को सामान्य रूप से प्रतिबंधित किया गया हो, उस व्यवसाय के लिए समिति का गठन किया जाना.
3. संस्था द्वारा अधिनियम व उपनियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है.
4. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-6 की शर्तों का पालन नहीं कर रहीं हो जैसे-(1) पंजीयन की शर्तों के अनुसार प्राथमिक समिति में न्यूनतम 20 सदस्य भिन्न-भिन्न परिवार के हो. (2) प्रथम दृष्टया सदस्यों की सहमति के बिना उनके कुटरचित दस्तावेज प्रस्तुत कर पंजीयन कराया गया हो.
5. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रूचि नहीं ले रहा है.
6. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है.

उक्त सूचना-पत्र मध्यप्रदेश राजपत्र में दिनांक 17 जुलाई, 2020 को भी प्रकाशित हुआ है. संस्था द्वारा सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर संस्था प्रबंधक/अध्यक्ष द्वारा निर्धारित समयावधि में नहीं दिया गया है, अत: यह माना जाकर कि संस्था को कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं के आरोप स्वीकार हैं तथा संस्था को अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है, इस आधार पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने का निर्णय लिया जाता है.

अत: मैं, एम. एल. गजभिये, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाऐं, जिला खरगौन मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ/05/-1-99/15-1/सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 (यथा संशोधित अद्यतन) के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए सृजन साख सहकारी संस्था मर्यादित, गोगावॉ, पंजीयन क्रमांक 1886, दिनांक 10 मार्च, 2014 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70(1) के अंतर्गत श्री राधेश्याम चौहान, S.A. खरगौन को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 11 नवम्बर, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1308)

खरगौन, दिनांक 11 नवम्बर, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) एवं धारा-70(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2020/1441.—राजेश्वरी साख सहकारी संस्था मर्यादित, खरगौन, तहसील खरगौन जिसे आगे केवल संस्था लिखा गया है, मूलत: मध्यप्रदेश स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1999 के अंतर्गत पंजीकृत होकर पंजीयन क्रमांक 189, दिनांक 01 मई, 2010 था. शासन द्वारा मध्यप्रदेश स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1990 निरसित करने के उपरांत उक्त सहकारिता का संपरिवर्तन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के अंतर्गत हुआ है, जिसका पंजीयन क्रमांक 1890, दिनांक 10 मार्च, 2014 है. उक्त संस्था को निम्न कारणों से परिसमापन में लाने हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./2020/674, दिनांक 22 जून, 2020 को जारी किया गया था.

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था. उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है.
2. संस्था के द्वारा संस्था के सामान्य सदस्यों के हितों को संवर्धित नहीं करती है. इससे आशय संस्था सभी सदस्यों का हित संवर्धन नहीं कर रहीं है. अपितु किसी व्यक्ति विशेष के लिए कार्य कर रही हो. जैसे किसी व्यक्ति विशेष को निर्वाचित करने के लिए या किसी व्यवसाय को सामान्य रूप से प्रतिबंधित किया गया हो, उस व्यवसाय के लिए समिति का गठन किया जाना.
3. संस्था द्वारा अधिनियम व उपनियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है.

4. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-6 की शर्तों का पालन नहीं कर रहीं हो जैसे-(1) पंजीयन की शर्तों के अनुसार प्राथमिक समिति में न्यूनतम 20 सदस्य भिन्न-भिन्न परिवार के हो. (2) प्रथम दृष्टया सदस्यों की सहमति के बिना उनके कुटरचित दस्तावेज प्रस्तुत कर पंजीयन कराया गया हो.
5. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रूचि नहीं ले रहा है.
6. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है.

उक्त सूचना-पत्र मध्यप्रदेश राजपत्र में दिनांक 17 जुलाई, 2020 को भी प्रकाशित हुआ है. संस्था द्वारा सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर संस्था प्रबंधक/अध्यक्ष द्वारा निर्धारित समयावधि में नहीं दिया गया है, अत: यह माना जाकर कि संस्था को कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं के आरोप स्वीकार हैं तथा संस्था को अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है, इस आधार पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने का निर्णय लिया जाता है.

अत: मैं, एम. एल. गजभिये, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाऐं, जिला खरगौन मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./ एफ/05/-1-99/15-1/सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 (यथा संशोधित अद्यतन) के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजेश्वरी साख सहकारी संस्था मर्यादित, खरगौन, पंजीयन क्रमांक 1890, दिनांक 10 मार्च, 2014 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70(1) के अंतर्गत श्री राजाराम भट्ट, स. नि. खरगौन को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 11 नवम्बर, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1309)

खरगौन, दिनांक 11 नवम्बर, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) एवं धारा-70(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2020/1442.—श्री नर्मदा वेली साख सहकारी संस्था मर्यादित, खरगौन, तहसील खरगौन जिसे आगे केवल संस्था लिखा गया है, मूलत: मध्यप्रदेश स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1999 के अंतर्गत पंजीकृत होकर पंजीयन क्रमांक 193, दिनांक 08 जून, 2010 था. शासन द्वारा मध्यप्रदेश स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1990 निरसित करने के उपरांत उक्त सहकारिता का संपरिवर्तन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के अंतर्गत हुआ है, जिसका पंजीयन क्रमांक 1894, दिनांक 10 मार्च, 2014 है. उक्त संस्था को निम्न कारणों से परिसमापन में लाने हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./2020/674, दिनांक 22 जून, 2020 को जारी किया गया था.

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था. उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है.
2. संस्था के द्वारा संस्था के सामान्य सदस्यों के हितों को संवर्धित नहीं करती है. इससे आशय संस्था सभी सदस्यों का हित संवर्धन नहीं कर रहीं है. अपितु किसी व्यक्ति विशेष के लिए कार्य कर रही हो. जैसे किसी व्यक्ति विशेष को निर्वाचित करने के लिए या किसी व्यवसाय को सामान्य रूप से प्रतिबंधित किया गया हो, उस व्यवसाय के लिए समिति का गठन किया जाना.
3. संस्था द्वारा अधिनियम व उपनियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है.
4. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-6 की शर्तों का पालन नहीं कर रहीं हो जैसे-(1) पंजीयन की शर्तों के अनुसार प्राथमिक समिति में न्यूनतम 20 सदस्य भिन्न-भिन्न परिवार के हो. (2) प्रथम दृष्टया सदस्यों की सहमति के बिना उनके कुटरचित दस्तावेज प्रस्तुत कर पंजीयन कराया गया हो.
5. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रूचि नहीं ले रहा है.
6. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है.

उक्त सूचना-पत्र मध्यप्रदेश राजपत्र में दिनांक 17 जुलाई, 2020 को भी प्रकाशित हुआ है. संस्था द्वारा सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर संस्था प्रबंधक/अध्यक्ष द्वारा निर्धारित समयावधि में नहीं दिया गया है, अत: यह माना जाकर कि संस्था को कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं के आरोप स्वीकार हैं तथा संस्था को अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है, इस आधार पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने का निर्णय लिया जाता है.

अत: मैं, एम. एल. गजभिये, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाऐं, जिला खरगौन मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ/05/-1-99/15-1/सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 (यथा संशोधित अद्यतन) के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री नर्मदा वेली साख सहकारी संस्था मर्यादित, खरगौन, पंजीयन क्रमांक 1894, दिनांक 10 मार्च, 2014 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70(1) के अंतर्गत श्री मनोज शैल्के, स. नि. खरगौन को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 11 नवम्बर, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1310)

खरगौन, दिनांक 11 नवम्बर, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) एवं धारा-70(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2020/1443.—किसान समृद्धि साख सहकारी संस्था मर्यादित, मण्डलेश्वर, तहसील महेश्वर जिसे आगे केवल संस्था लिखा गया है, मूलत: मध्यप्रदेश स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1999 के अंतर्गत पंजीकृत होकर पंजीयन क्रमांक 198, दिनांक 23 सितम्बर, 2010 था. शासन द्वारा मध्यप्रदेश स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1990 निरसित करने के उपरांत उक्त सहकारिता का संपरिवर्तन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के अंतर्गत हुआ है, जिसका पंजीयन क्रमांक 1899, दिनांक 10 मार्च, 2014 है. उक्त संस्था को निम्न कारणों से परिसमापन में लाने हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./2020/674, दिनांक 22 जून, 2020 को जारी किया गया था.

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था. उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है.
2. संस्था के द्वारा संस्था के सामान्य सदस्यों के हितों को संवर्धित नहीं करती है. इससे आशय संस्था सभी सदस्यों का हित संवर्धन नहीं कर रहीं है. अपितु किसी व्यक्ति विशेष के लिए कार्य कर रही हो. जैसे किसी व्यक्ति विशेष को निर्वाचित करने के लिए या किसी व्यवसाय को सामान्य रूप से प्रतिबंधित किया गया हो, उस व्यवसाय के लिए समिति का गठन किया जाना.
3. संस्था द्वारा अधिनियम व उपनियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है.
4. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-6 की शर्तों का पालन नहीं कर रहीं हो जैसे-(1) पंजीयन की शर्तों के अनुसार प्राथमिक समिति में न्यूनतम 20 सदस्य भिन्न-भिन्न परिवार के हो. (2) प्रथम दृष्टया सदस्यों की सहमति के बिना उनके कुटरचित दस्तावेज प्रस्तुत कर पंजीयन कराया गया हो.
5. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रूचि नहीं ले रहा है.
6. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है.

उक्त सूचना-पत्र मध्यप्रदेश राजपत्र में दिनांक 17 जुलाई, 2020 को भी प्रकाशित हुआ है. संस्था द्वारा सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर संस्था प्रबंधक/अध्यक्ष द्वारा निर्धारित समयावधि में नहीं दिया गया है, अत: यह माना जाकर कि संस्था को कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं के आरोप स्वीकार हैं तथा संस्था को अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है, इस आधार पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने का निर्णय लिया जाता है.

अत: मैं, एम. एल. गजभिये, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाऐं, जिला खरगौन मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./ एफ/05/-1-99/15-1/सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 (यथा संशोधित अद्यतन) के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए किसान समृद्धि साख सहकारी संस्था मर्यादित, मण्डलेश्वर, पंजीयन क्रमांक 1899, दिनांक 10 मार्च, 2014 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70(1) के अंतर्गत श्री आर. के. रोमडे, स. नि. खरगौन को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 11 नवम्बर, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1311)

खरगौन, दिनांक 11 नवम्बर, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) एवं धारा-70(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2020/1444.—तुलसी साख सहकारी संस्था मर्यादित, सनावद, तहसील सनावद जिसे आगे केवल संस्था लिखा गया है, मूलत: मध्यप्रदेश स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1999 के अंतर्गत पंजीकृत होकर पंजीयन क्रमांक 206, दिनांक 24 जनवरी, 2011 था. शासन द्वारा मध्यप्रदेश स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1990 निरसित करने के उपरांत उक्त सहकारिता का संपरिवर्तन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के अंतर्गत हुआ है, जिसका पंजीयन क्रमांक 1907, दिनांक 10 मार्च, 2014 है. उक्त संस्था को निम्न कारणों से परिसमापन में लाने हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./2020/674, दिनांक 22 जून, 2020 को जारी किया गया था.

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था. उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है.
2. संस्था के द्वारा संस्था के सामान्य सदस्यों के हितों को संवर्धित नहीं करती है. इससे आशय संस्था सभी सदस्यों का हित संवर्धन नहीं कर रहीं है. अपितु किसी व्यक्ति विशेष के लिए कार्य कर रही हो. जैसे किसी व्यक्ति विशेष को निर्वाचित करने के लिए या किसी व्यवसाय को सामान्य रूप से प्रतिबंधित किया गया हो, उस व्यवसाय के लिए समिति का गठन किया जाना.
3. संस्था द्वारा अधिनियम व उपनियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है.

4. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-6 की शर्तों का पालन नहीं कर रहीं हो जैसे-(1) पंजीयन की शर्तों के अनुसार प्राथमिक समिति में न्यूनतम 20 सदस्य भिन्न-भिन्न परिवार के हो. (2) प्रथम दृष्टया सदस्यों की सहमति के बिना उनके कुटरचित दस्तावेज प्रस्तुत कर पंजीयन कराया गया हो.
5. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रूचि नहीं ले रहा है.
6. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है.

उक्त सूचना-पत्र मध्यप्रदेश राजपत्र में दिनांक 17 जुलाई, 2020 को भी प्रकाशित हुआ है. संस्था द्वारा सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर संस्था प्रबंधक/अध्यक्ष द्वारा निर्धारित समयावधि में नहीं दिया गया है, अत: यह माना जाकर कि संस्था को कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं के आरोप स्वीकार हैं तथा संस्था को अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है, इस आधार पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने का निर्णय लिया जाता है.

अत: मैं, एम. एल. गजभिये, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाऐं, जिला खरगौन मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ/05/-1-99/15-1/सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 (यथा संशोधित अद्यतन) के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए तुलसी साख सहकारी संस्था मर्यादित, सनावद, पंजीयन क्रमांक/1907, दिनांक 10 मार्च, 2014 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70(1) के अंतर्गत श्री मनोहर वास्कले, स. नि. खरगौन को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 11 नवम्बर, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1312)

खरगौन, दिनांक 11 नवम्बर, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) एवं धारा-70(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2020/1445.—नन्दि साख सहकारी संस्था मर्यादित, बडवाह, तहसील बड़वाह जिसे आगे केवल संस्था लिखा गया है, मूलत: मध्यप्रदेश स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1999 के अंतर्गत पंजीकृत होकर पंजीयन क्रमांक 214, दिनांक 04 अक्टूबर, 2011 था. शासन द्वारा मध्यप्रदेश स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1990 निरसित करने के उपरांत उक्त सहकारिता का संपरिवर्तन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के अंतर्गत हुआ है, जिसका पंजीयन क्रमांक 1915, दिनांक 10 मार्च, 2014 है. उक्त संस्था को निम्न कारणों से परिसमापन में लाने हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./2020/674, दिनांक 22 जून, 2020 को जारी किया गया था.

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था. उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है.
2. संस्था के द्वारा संस्था के सामान्य सदस्यों के हितों को संवर्धित नहीं करती है. इससे आशय संस्था सभी सदस्यों का हित संवर्धन नहीं कर रहीं है. अपितु किसी व्यक्ति विशेष के लिए कार्य कर रही हो. जैसे किसी व्यक्ति विशेष को निर्वाचित करने के लिए या किसी व्यवसाय को सामान्य रूप से प्रतिबंधित किया गया हो, उस व्यवसाय के लिए समिति का गठन किया जाना.
3. संस्था द्वारा अधिनियम व उपनियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है.
4. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-6 की शर्तों का पालन नहीं कर रहीं हो जैसे-(1) पंजीयन की शर्तों के अनुसार प्राथमिक समिति में न्यूनतम 20 सदस्य भिन्न-भिन्न परिवार के हो. (2) प्रथम दृष्टया सदस्यों की सहमति के बिना उनके कुटरचित दस्तावेज प्रस्तुत कर पंजीयन कराया गया हो.
5. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रूचि नहीं ले रहा है.
6. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है.

उक्त सूचना-पत्र मध्यप्रदेश राजपत्र में दिनांक 17 जुलाई, 2020 को भी प्रकाशित हुआ है. संस्था द्वारा सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर संस्था प्रबंधक/अध्यक्ष द्वारा निर्धारित समयावधि में नहीं दिया गया है, अत: यह माना जाकर कि संस्था को कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं के आरोप स्वीकार हैं तथा संस्था को अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है, इस आधार पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने का निर्णय लिया जाता है.

अत: मैं, एम. एल. गजभिये, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाऐं, जिला खरगौन मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ/05/-1-99/15-1/सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 (यथा संशोधित अद्यतन) के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए नन्दि साख सहकारी संस्था मर्यादित, बडवाह, पंजीयन क्रमांक 1915, दिनांक 10 मार्च, 2014 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70(1) के अंतर्गत श्री अरूण कुमार पांडे, स. नि. खरगौन को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 11 नवम्बर, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1313)

खरगौन, दिनांक 11 नवम्बर, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) एवं धारा-70(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2020/1446.—गजानन साख सहकारी संस्था मर्यादित, खरगौन, तहसील खरगौन जिसे आगे केवल संस्था लिखा गया है, मूलत: मध्यप्रदेश स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1999 के अंतर्गत पंजीकृत होकर पंजीयन क्रमांक 231, दिनांक 18 सितम्बर, 2012 था. शासन द्वारा मध्यप्रदेश स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1990 निरसित करने के उपरांत उक्त सहकारिता का संपरिवर्तन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के अंतर्गत हुआ है, जिसका पंजीयन क्रमांक 1932, दिनांक 10 मार्च, 2014 है. उक्त संस्था को निम्न कारणों से परिसमापन में लाने हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./2020/674, दिनांक 22 जून, 2020 को जारी किया गया था.

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था. उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है.
2. संस्था के द्वारा संस्था के सामान्य सदस्यों के हितों को संवर्धित नहीं करती है. इससे आशय संस्था सभी सदस्यों का हित संवर्धन नहीं कर रहीं है. अपितु किसी व्यक्ति विशेष के लिए कार्य कर रही हो. जैसे किसी व्यक्ति विशेष को निर्वाचित करने के लिए या किसी व्यवसाय को सामान्य रूप से प्रतिबंधित किया गया हो, उस व्यवसाय के लिए समिति का गठन किया जाना.
3. संस्था द्वारा अधिनियम व उपनियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है.
4. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-6 की शर्तों का पालन नहीं कर रहीं हो जैसे-(1) पंजीयन की शर्तों के अनुसार प्राथमिक समिति में न्यूनतम 20 सदस्य भिन्न-भिन्न परिवार के हो. (2) प्रथम दृष्टया सदस्यों की सहमति के बिना उनके कुटरचित दस्तावेज प्रस्तुत कर पंजीयन कराया गया हो.
5. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रूचि नहीं ले रहा है.
6. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है.

उक्त सूचना-पत्र मध्यप्रदेश राजपत्र में दिनांक 17 जुलाई, 2020 को भी प्रकाशित हुआ है. संस्था द्वारा सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर संस्था प्रबंधक/अध्यक्ष द्वारा निर्धारित समयावधि में नहीं दिया गया है, अत: यह माना जाकर कि संस्था को कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं के आरोप स्वीकार हैं तथा संस्था को अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है, इस आधार पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने का निर्णय लिया जाता है.

अत: मैं, एम. एल. गजभिये, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाऐं, जिला खरगौन मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./ एफ/05/-1-99/15-1/सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 (यथा संशोधित अद्यतन) के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए गजानन साख सहकारी संस्था मर्यादित, खरगौन, पंजीयन क्रमांक 1932, दिनांक 10 मार्च, 2014 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70(1) के अंतर्गत श्री योगेश शरद, उप अंके. खरगौन को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 11 नवम्बर, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1314)

खरगौन, दिनांक 11 नवम्बर, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) एवं धारा-70(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2020/1447.—राधेकृष्ण साख सहकारी संस्था मर्या., खरगौन, तहसील खरगौन जिसे आगे केवल संस्था लिखा गया है, मूलत: मध्यप्रदेश स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1999 के अंतर्गत पंजीकृत होकर पंजीयन क्रमांक 236, दिनांक 28 दिसम्बर, 2012 था. शासन द्वारा मध्यप्रदेश स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1990 निरसित करने के उपरांत उक्त सहकारिता का संपरिवर्तन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के अंतर्गत हुआ है, जिसका पंजीयन क्रमांक 1937, दिनांक 10 मार्च, 2014 है. उक्त संस्था को निम्न कारणों से परिसमापन में लाने हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./2020/674, दिनांक 22 जून, 2020 को जारी किया गया था.

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था. उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है.
2. संस्था के द्वारा संस्था के सामान्य सदस्यों के हितों को संवर्धित नहीं करती है. इससे आशय संस्था सभी सदस्यों का हित संवर्धन नहीं कर रहीं है. अपितु किसी व्यक्ति विशेष के लिए कार्य कर रही हो. जैसे किसी व्यक्ति विशेष को निर्वाचित करने के लिए या किसी व्यवसाय को सामान्य रूप से प्रतिबंधित किया गया हो, उस व्यवसाय के लिए समिति का गठन किया जाना.
3. संस्था द्वारा अधिनियम व उपनियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है.

4. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-6 की शर्तों का पालन नहीं कर रहीं हो जैसे-(1) पंजीयन की शर्तों के अनुसार प्राथमिक समिति में न्यूनतम 20 सदस्य भिन्न-भिन्न परिवार के हो. (2) प्रथम दृष्टया सदस्यों की सहमति के बिना उनके कुटरचित दस्तावेज प्रस्तुत कर पंजीयन कराया गया हो.
5. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रूचि नहीं ले रहा है.
6. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है.

उक्त सूचना-पत्र मध्यप्रदेश राजपत्र में दिनांक 17 जुलाई, 2020 को भी प्रकाशित हुआ है. संस्था द्वारा सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर संस्था प्रबंधक/अध्यक्ष द्वारा निर्धारित समयावधि में नहीं दिया गया है, अत: यह माना जाकर कि संस्था को कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं के आरोप स्वीकार हैं तथा संस्था को अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है, इस आधार पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने का निर्णय लिया जाता है.

अत: मैं, एम. एल. गजभिये, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाऐं, जिला खरगौन मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./ एफ/05/-1-99/15-1/सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 (यथा संशोधित अद्यतन) के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए राधेकृष्ण साख सहकारी संस्था मर्या., खरगौन, तहसील खरगौन, पंजीयन क्रमांक 1937, दिनांक 10 मार्च, 2014 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70(1) के अंतर्गत श्री योगेश शरद, उप अंके. खरगौन को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 11 नवम्बर, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1315)

खरगौन, दिनांक 11 नवम्बर, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) एवं धारा-70(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2020/1448.—माँ नर्मदा बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, सलीमपुरा, तहसील कसरावद जिसे आगे केवल संस्था लिखा गया है, मूलत: मध्यप्रदेश स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1999 के अंतर्गत पंजीकृत होकर पंजीयन क्रमांक 140, दिनांक 29 अक्टूबर, 2007 था. शासन द्वारा मध्यप्रदेश स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1990 निरसित करने के उपरांत उक्त सहकारिता का संपरिवर्तन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के अंतर्गत हुआ है, जिसका पंजीयन क्रमांक 1841, दिनांक 10 मार्च, 2014 है. उक्त संस्था को निम्न कारणों से परिसमापन में लाने हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./2020/674, दिनांक 22 जून, 2020 को जारी किया गया था.

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था. उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है.
2. संस्था के द्वारा संस्था के सामान्य सदस्यों के हितों को संवर्धित नहीं करती है. इससे आशय संस्था सभी सदस्यों का हित संवर्धन नहीं कर रहीं है. अपितु किसी व्यक्ति विशेष के लिए कार्य कर रही हो. जैसे किसी व्यक्ति विशेष को निर्वाचित करने के लिए या किसी व्यवसाय को सामान्य रूप से प्रतिबंधित किया गया हो, उस व्यवसाय के लिए समिति का गठन किया जाना.
3. संस्था द्वारा अधिनियम व उपनियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है.
4. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-6 की शर्तों का पालन नहीं कर रहीं हो जैसे-(1) पंजीयन की शर्तों के अनुसार प्राथमिक समिति में न्यूनतम 20 सदस्य भिन्न-भिन्न परिवार के हो. (2) प्रथम दृष्टया सदस्यों की सहमति के बिना उनके कुटरचित दस्तावेज प्रस्तुत कर पंजीयन कराया गया हो.
5. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रूचि नहीं ले रहा है.
6. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है.

उक्त सूचना-पत्र मध्यप्रदेश राजपत्र में दिनांक 17 जुलाई, 2020 को भी प्रकाशित हुआ है. संस्था द्वारा सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर संस्था प्रबंधक/अध्यक्ष द्वारा निर्धारित समयावधि में नहीं दिया गया है, अत: यह माना जाकर कि संस्था को कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं के आरोप स्वीकार हैं तथा संस्था को अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है, इस आधार पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने का निर्णय लिया जाता है.

अत: मैं, एम. एल. गजभिये, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाऐं, जिला खरगौन मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ/05/-1-99/15-1/सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 (यथा संशोधित अद्यतन) के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए माँ नर्मदा बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, सलीमपुरा, पंजीयन क्रमांक 1841, दिनांक 10 मार्च, 2014 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70(1) के अंतर्गत श्री बसंत यादव, स. नि. खरगौन को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 11 नवम्बर, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1316)

खरगौन, दिनांक 11 नवम्बर, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) एवं धारा-70(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2020/1449.—महालक्ष्मी बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, बैडिया, तहसील सनावद जिसे आगे केवल संस्था लिखा गया है, मूलत: मध्यप्रदेश स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1999 के अंतर्गत पंजीकृत होकर पंजीयन क्रमांक 141, दिनांक 29 अक्टूबर, 2007 था. शासन द्वारा मध्यप्रदेश स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1990 निरसित करने के उपरांत उक्त सहकारिता का संपरिवर्तन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के अंतर्गत हुआ है, जिसका पंजीयन क्रमांक 1842, दिनांक 10 मार्च, 2014 है. उक्त संस्था को निम्न कारणों से परिसमापन में लाने हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./2020/674, दिनांक 22 जून, 2020 को जारी किया गया था.

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था. उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है.
2. संस्था के द्वारा संस्था के सामान्य सदस्यों के हितों को संवर्धित नहीं करती है. इससे आशय संस्था सभी सदस्यों का हित संवर्धन नहीं कर रहीं है. अपितु किसी व्यक्ति विशेष के लिए कार्य कर रही हो. जैसे किसी व्यक्ति विशेष को निर्वाचित करने के लिए या किसी व्यवसाय को सामान्य रूप से प्रतिबंधित किया गया हो, उस व्यवसाय के लिए समिति का गठन किया जाना.
3. संस्था द्वारा अधिनियम व उपनियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है.
4. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-6 की शर्तों का पालन नहीं कर रहीं हो जैसे-(1) पंजीयन की शर्तों के अनुसार प्राथमिक समिति में न्यूनतम 20 सदस्य भिन्न-भिन्न परिवार के हो. (2) प्रथम दृष्टया सदस्यों की सहमति के बिना उनके कुटरचित दस्तावेज प्रस्तुत कर पंजीयन कराया गया हो.
5. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रूचि नहीं ले रहा है.
6. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है.

उक्त सूचना-पत्र मध्यप्रदेश राजपत्र में दिनांक 17 जुलाई, 2020 को भी प्रकाशित हुआ है. संस्था द्वारा सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर संस्था प्रबंधक/अध्यक्ष द्वारा निर्धारित समयावधि में नहीं दिया गया है, अत: यह माना जाकर कि संस्था को कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं के आरोप स्वीकार हैं तथा संस्था को अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है, इस आधार पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने का निर्णय लिया जाता है.

अत: मैं, एम. एल. गजभिये, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाऐं, जिला खरगौन मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./ एफ/05/-1-99/15-1/सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 (यथा संशोधित अद्यतन) के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए महालक्ष्मी बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, बैडिया, पंजीयन क्रमांक 1842, दिनांक 10 मार्च, 2014 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70(1) के अंतर्गत श्री बसंत यादव, स. नि. खरगौन को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 11 नवम्बर, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1317)

खरगौन, दिनांक 11 नवम्बर, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) एवं धारा-70(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2020/1450.—सुदर्शन हायब्रीड बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, बालसमुंद, तहसील कसरावद जिसे आगे केवल संस्था लिखा गया है, मूलत: मध्यप्रदेश स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1999 के अंतर्गत पंजीकृत होकर पंजीयन क्रमांक 142, दिनांक 14 नवम्बर, 2007 था. शासन द्वारा मध्यप्रदेश स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1990 निरसित करने के उपरांत उक्त सहकारिता का संपरिवर्तन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के अंतर्गत हुआ है, जिसका पंजीयन क्रमांक 1843, दिनांक 10 मार्च, 2014 है. उक्त संस्था को निम्न कारणों से परिसमापन में लाने हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./2020/674, दिनांक 22 जून, 2020 को जारी किया गया था.

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था. उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है.
2. संस्था के द्वारा संस्था के सामान्य सदस्यों के हितों को संवर्धित नहीं करती है. इससे आशय संस्था सभी सदस्यों का हित संवर्धन नहीं कर रहीं है. अपितु किसी व्यक्ति विशेष के लिए कार्य कर रही हो. जैसे किसी व्यक्ति विशेष को निर्वाचित करने के लिए या किसी व्यवसाय को सामान्य रूप से प्रतिबंधित किया गया हो, उस व्यवसाय के लिए समिति का गठन किया जाना.
3. संस्था द्वारा अधिनियम व उपनियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है.

4. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-6 की शर्तों का पालन नहीं कर रहीं हो जैसे-(1) पंजीयन की शर्तों के अनुसार प्राथमिक समिति में न्यूनतम 20 सदस्य भिन्न-भिन्न परिवार के हो. (2) प्रथम दृष्टया सदस्यों की सहमति के बिना उनके कुटरचित दस्तावेज प्रस्तुत कर पंजीयन कराया गया हो.
5. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रूचि नहीं ले रहा है.
6. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है.

उक्त सूचना-पत्र मध्यप्रदेश राजपत्र में दिनांक 17 जुलाई, 2020 को भी प्रकाशित हुआ है. संस्था द्वारा सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर संस्था प्रबंधक/अध्यक्ष द्वारा निर्धारित समयावधि में नहीं दिया गया है, अत: यह माना जाकर कि संस्था को कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं के आरोप स्वीकार हैं तथा संस्था को अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है, इस आधार पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने का निर्णय लिया जाता है.

अत: मैं, एम. एल. गजभिये, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाऐं, जिला खरगौन मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./ एफ/05/-1-99/15-1/सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 (यथा संशोधित अद्यतन) के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए सुदर्शन हायब्रीड बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, बालसमुंद, पंजीयन क्रमांक 1843, दिनांक 10 मार्च, 2014 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70(1) के अंतर्गत श्री एस. आर. सोलंकी, व. स. नि. खरगौन को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 11 नवम्बर, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1318)

खरगौन, दिनांक 11 नवम्बर, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) एवं धारा-70(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2020/1451.—संत सिंगाजी बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, गोवाडी, तहसील गोगावॉ जिसे आगे केवल संस्था लिखा गया है, मूलत: मध्यप्रदेश स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1999 के अंतर्गत पंजीकृत होकर पंजीयन क्रमांक 144, दिनांक 29 नवम्बर, 2007 था. शासन द्वारा मध्यप्रदेश स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1990 निरसित करने के उपरांत उक्त सहकारिता का संपरिवर्तन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के अंतर्गत हुआ है, जिसका पंजीयन क्रमांक 1845, दिनांक 10 मार्च, 2014 है. उक्त संस्था को निम्न कारणों से परिसमापन में लाने हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./2020/674, दिनांक 22 जून, 2020 को जारी किया गया था.

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था. उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है.
2. संस्था के द्वारा संस्था के सामान्य सदस्यों के हितों को संवर्धित नहीं करती है. इससे आशय संस्था सभी सदस्यों का हित संवर्धन नहीं कर रहीं है. अपितु किसी व्यक्ति विशेष के लिए कार्य कर रही हो. जैसे किसी व्यक्ति विशेष को निर्वाचित करने के लिए या किसी व्यवसाय को सामान्य रूप से प्रतिबंधित किया गया हो, उस व्यवसाय के लिए समिति का गठन किया जाना.
3. संस्था द्वारा अधिनियम व उपनियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है.
4. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-6 की शर्तों का पालन नहीं कर रहीं हो जैसे-(1) पंजीयन की शर्तों के अनुसार प्राथमिक समिति में न्यूनतम 20 सदस्य भिन्न-भिन्न परिवार के हो. (2) प्रथम दृष्टया सदस्यों की सहमति के बिना उनके कुटरचित दस्तावेज प्रस्तुत कर पंजीयन कराया गया हो.
5. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रूचि नहीं ले रहा है.
6. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है.

उक्त सूचना-पत्र मध्यप्रदेश राजपत्र में दिनांक 17 जुलाई, 2020 को भी प्रकाशित हुआ है. संस्था द्वारा सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर संस्था प्रबंधक/अध्यक्ष द्वारा निर्धारित समयावधि में नहीं दिया गया है, अत: यह माना जाकर कि संस्था को कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं के आरोप स्वीकार हैं तथा संस्था को अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है, इस आधार पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने का निर्णय लिया जाता है.

अत: मैं, एम. एल. गजभिये, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाऐं, जिला खरगौन मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ/05/-1-99/15-1/सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 (यथा संशोधित अद्यतन) के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए संत सिंगाजी बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, गोवाडी, पंजीयन क्रमांक 1845, दिनांक 10 मार्च, 2014 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70(1) के अंतर्गत श्री बसंत यादव, स. नि. खरगौन को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 11 नवम्बर, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1319)

खरगौन, दिनांक 11 नवम्बर, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) एवं धारा-70(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2020/1452.—राहुल बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, सनावद, तहसील सनावद जिसे आगे केवल संस्था लिखा गया है, मूलत: मध्यप्रदेश स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1999 के अंतर्गत पंजीकृत होकर पंजीयन क्रमांक 145, दिनांक 17 दिसम्बर, 2007 था. शासन द्वारा मध्यप्रदेश स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1990 निरसित करने के उपरांत उक्त सहकारिता का संपरिवर्तन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के अंतर्गत हुआ है, जिसका पंजीयन क्रमांक 1846, दिनांक 10 मार्च, 2014 है. उक्त संस्था को निम्न कारणों से परिसमापन में लाने हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./2020/674, दिनांक 22 जून, 2020 को जारी किया गया था.

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था. उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है.
2. संस्था के द्वारा संस्था के सामान्य सदस्यों के हितों को संवर्धित नहीं करती है. इससे आशय संस्था सभी सदस्यों का हित संवर्धन नहीं कर रहीं है. अपितु किसी व्यक्ति विशेष के लिए कार्य कर रही हो. जैसे किसी व्यक्ति विशेष को निर्वाचित करने के लिए या किसी व्यवसाय को सामान्य रूप से प्रतिबंधित किया गया हो, उस व्यवसाय के लिए समिति का गठन किया जाना.
3. संस्था द्वारा अधिनियम व उपनियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है.
4. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-6 की शर्तों का पालन नहीं कर रहीं हो जैसे-(1) पंजीयन की शर्तों के अनुसार प्राथमिक समिति में न्यूनतम 20 सदस्य भिन्न-भिन्न परिवार के हो. (2) प्रथम दृष्टया सदस्यों की सहमति के बिना उनके कुटरचित दस्तावेज प्रस्तुत कर पंजीयन कराया गया हो.
5. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रूचि नहीं ले रहा है.
6. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है.

उक्त सूचना-पत्र मध्यप्रदेश राजपत्र में दिनांक 17 जुलाई, 2020 को भी प्रकाशित हुआ है. संस्था द्वारा सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर संस्था प्रबंधक/अध्यक्ष द्वारा निर्धारित समयावधि में नहीं दिया गया है, अत: यह माना जाकर कि संस्था को कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं के आरोप स्वीकार हैं तथा संस्था को अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है, इस आधार पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने का निर्णय लिया जाता है.

अत: मैं, एम. एल. गजभिये, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाऐं, जिला खरगौन मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./ एफ/05/-1-99/15-1/सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 (यथा संशोधित अद्यतन) के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए राहुल बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, सनावद, पंजीयन क्रमांक 1846, दिनांक 10 मार्च, 2014 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70(1) के अंतर्गत श्री बसंत यादव, स. नि. खरगौन को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 11 नवम्बर, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1320)

खरगौन, दिनांक 11 नवम्बर, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) एवं धारा-70(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2020/1453.—महेन्द्रा हायब्रिड बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, कसरावद, तहसील कसरावद जिसे आगे केवल संस्था लिखा गया है, मूलत: मध्यप्रदेश स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1999 के अंतर्गत पंजीकृत होकर पंजीयन क्रमांक 152, दिनांक 04 फरवरी, 2008 था. शासन द्वारा मध्यप्रदेश स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1990 निरसित करने के उपरांत उक्त सहकारिता का संपरिवर्तन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के अंतर्गत हुआ है, जिसका पंजीयन क्रमांक 1853, दिनांक 10 मार्च, 2014 है. उक्त संस्था को निम्न कारणों से परिसमापन में लाने हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./2020/674, दिनांक 22 जून, 2020 को जारी किया गया था.

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था. उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है.
2. संस्था के द्वारा संस्था के सामान्य सदस्यों के हितों को संवर्धित नहीं करती है. इससे आशय संस्था सभी सदस्यों का हित संवर्धन नहीं कर रहीं है. अपितु किसी व्यक्ति विशेष के लिए कार्य कर रही हो. जैसे किसी व्यक्ति विशेष को निर्वाचित करने के लिए या किसी व्यवसाय को सामान्य रूप से प्रतिबंधित किया गया हो, उस व्यवसाय के लिए समिति का गठन किया जाना.
3. संस्था द्वारा अधिनियम व उपनियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है.

4. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-6 की शर्तों का पालन नहीं कर रहीं हो जैसे-(1) पंजीयन की शर्तों के अनुसार प्राथमिक समिति में न्यूनतम 20 सदस्य भिन्न-भिन्न परिवार के हो. (2) प्रथम दृष्टया सदस्यों की सहमति के बिना उनके कुटरचित दस्तावेज प्रस्तुत कर पंजीयन कराया गया हो.
5. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रूचि नहीं ले रहा है.
6. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है.

उक्त सूचना-पत्र मध्यप्रदेश राजपत्र में दिनांक 17 जुलाई, 2020 को भी प्रकाशित हुआ है. संस्था द्वारा सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर संस्था प्रबंधक/अध्यक्ष द्वारा निर्धारित समयावधि में नहीं दिया गया है, अत: यह माना जाकर कि संस्था को कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं के आरोप स्वीकार हैं तथा संस्था को अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है, इस आधार पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने का निर्णय लिया जाता है.

अत: मैं, एम. एल. गजभिये, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाऐं, जिला खरगौन मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./ एफ/05/-1-99/15-1/सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 (यथा संशोधित अद्यतन) के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए महेन्द्रा हायब्रिड बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, कसरावद, पंजीयन क्रमांक 1853, दिनांक 10 मार्च, 2014 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70(1) के अंतर्गत श्री एच. सी. यादव, उप. अंके. खरगौन को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 11 नवम्बर, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1321)

खरगौन, दिनांक 11 नवम्बर, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) एवं धारा-70(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2020/1454.—शीतल बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, बडवाह, तहसील बड़वाह जिसे आगे केवल संस्था लिखा गया है, मूलत: मध्यप्रदेश स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1999 के अंतर्गत पंजीकृत होकर पंजीयन क्रमांक 162, दिनांक 19 जून, 2008 था. शासन द्वारा मध्यप्रदेश स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1990 निरसित करने के उपरांत उक्त सहकारिता का संपरिवर्तन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के अंतर्गत हुआ है, जिसका पंजीयन क्रमांक 1863, दिनांक 10 मार्च, 2014 है. उक्त संस्था को निम्न कारणों से परिसमापन में लाने हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./2020/674, दिनांक 22 जून, 2020 को जारी किया गया था.

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था. उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है.
2. संस्था के द्वारा संस्था के सामान्य सदस्यों के हितों को संवर्धित नहीं करती है. इससे आशय संस्था सभी सदस्यों का हित संवर्धन नहीं कर रहीं है. अपितु किसी व्यक्ति विशेष के लिए कार्य कर रही हो. जैसे किसी व्यक्ति विशेष को निर्वाचित करने के लिए या किसी व्यवसाय को सामान्य रूप से प्रतिबंधित किया गया हो, उस व्यवसाय के लिए समिति का गठन किया जाना.
3. संस्था द्वारा अधिनियम व उपनियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है.
4. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-6 की शर्तों का पालन नहीं कर रहीं हो जैसे-(1) पंजीयन की शर्तों के अनुसार प्राथमिक समिति में न्यूनतम 20 सदस्य भिन्न-भिन्न परिवार के हो. (2) प्रथम दृष्टया सदस्यों की सहमति के बिना उनके कुटरचित दस्तावेज प्रस्तुत कर पंजीयन कराया गया हो.
5. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रूचि नहीं ले रहा है.
6. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है.

उक्त सूचना-पत्र मध्यप्रदेश राजपत्र में दिनांक 17 जुलाई, 2020 को भी प्रकाशित हुआ है. संस्था द्वारा सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर संस्था प्रबंधक/अध्यक्ष द्वारा निर्धारित समयावधि में नहीं दिया गया है, अत: यह माना जाकर कि संस्था को कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं के आरोप स्वीकार हैं तथा संस्था को अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है, इस आधार पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने का निर्णय लिया जाता है.

अत: मैं, एम. एल. गजभिये, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाऐं, जिला खरगौन मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./ एफ/05/-1-99/15-1/सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 (यथा संशोधित अद्यतन) के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए शीतल बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, बडवाह, पंजीयन क्रमांक/1863, दिनांक 10 मार्च, 2014 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70(1) के अंतर्गत श्री महेन्द्र ठाकुर, स. नि. खरगौन को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 11 नवम्बर, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1322)

खरगौन, दिनांक 11 नवम्बर, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) एवं धारा-70(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2020/1455.—राजेश्वरी बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, चिचली, तहसील कसरावद जिसे आगे केवल संस्था लिखा गया है, मूलत: मध्यप्रदेश स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1999 के अंतर्गत पंजीकृत होकर पंजीयन क्रमांक 167, दिनांक 18 सितम्बर, 2008 था. शासन द्वारा मध्यप्रदेश स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1990 निरसित करने के उपरांत उक्त सहकारिता का संपरिवर्तन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के अंतर्गत हुआ है, जिसका पंजीयन क्रमांक 1868, दिनांक 10 मार्च, 2014 है. उक्त संस्था को निम्न कारणों से परिसमापन में लाने हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./2020/674, दिनांक 22 जून, 2020 को जारी किया गया था.

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था. उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है.
2. संस्था के द्वारा संस्था के सामान्य सदस्यों के हितों को संवर्धित नहीं करती है. इससे आशय संस्था सभी सदस्यों का हित संवर्धन नहीं कर रहीं है. अपितु किसी व्यक्ति विशेष के लिए कार्य कर रही हो. जैसे किसी व्यक्ति विशेष को निर्वाचित करने के लिए या किसी व्यवसाय को सामान्य रूप से प्रतिबंधित किया गया हो, उस व्यवसाय के लिए समिति का गठन किया जाना.
3. संस्था द्वारा अधिनियम व उपनियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है.
4. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-6 की शर्तों का पालन नहीं कर रहीं हो जैसे-(1) पंजीयन की शर्तों के अनुसार प्राथमिक समिति में न्यूनतम 20 सदस्य भिन्न-भिन्न परिवार के हो. (2) प्रथम दृष्टया सदस्यों की सहमति के बिना उनके कुटरचित दस्तावेज प्रस्तुत कर पंजीयन कराया गया हो.
5. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रूचि नहीं ले रहा है.
6. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है.

उक्त सूचना-पत्र मध्यप्रदेश राजपत्र में दिनांक 17 जुलाई, 2020 को भी प्रकाशित हुआ है. संस्था द्वारा सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर संस्था प्रबंधक/अध्यक्ष द्वारा निर्धारित समयावधि में नहीं दिया गया है, अत: यह माना जाकर कि संस्था को कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं के आरोप स्वीकार हैं तथा संस्था को अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है, इस आधार पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने का निर्णय लिया जाता है.

अत: मैं, एम. एल. गजभिये, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाऐं, जिला खरगौन मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./ एफ/05/-1-99/15-1/सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 (यथा संशोधित अद्यतन) के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजेश्वरी बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, चिचली, पंजीयन क्रमांक 1868, दिनांक 10 मार्च, 2014 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70(1) के अंतर्गत श्री एच. सी. यादव, उप अंके. खरगौन को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 11 नवम्बर, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1323)

खरगौन, दिनांक 11 नवम्बर, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) एवं धारा-70(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2020/1456.—लक्ष्मी बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, भूदरी, तहसील महेश्वर जिसे आगे केवल संस्था लिखा गया है, मूलत: मध्यप्रदेश स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1999 के अंतर्गत पंजीकृत होकर पंजीयन क्रमांक 168, दिनांक 04 अक्टूबर, 2008 था. शासन द्वारा मध्यप्रदेश स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1990 निरसित करने के उपरांत उक्त सहकारिता का संपरिवर्तन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के अंतर्गत हुआ है, जिसका पंजीयन क्रमांक 1869, दिनांक 10 मार्च, 2014 है. उक्त संस्था को निम्न कारणों से परिसमापन में लाने हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./2020/674, दिनांक 22 जून, 2020 को जारी किया गया था.

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था. उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है.
2. संस्था के द्वारा संस्था के सामान्य सदस्यों के हितों को संवर्धित नहीं करती है. इससे आशय संस्था सभी सदस्यों का हित संवर्धन नहीं कर रहीं है. अपितु किसी व्यक्ति विशेष के लिए कार्य कर रही हो. जैसे किसी व्यक्ति विशेष को निर्वाचित करने के लिए या किसी व्यवसाय को सामान्य रूप से प्रतिबंधित किया गया हो, उस व्यवसाय के लिए समिति का गठन किया जाना.
3. संस्था द्वारा अधिनियम व उपनियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है.

4. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-6 की शर्तों का पालन नहीं कर रहीं हो जैसे-(1) पंजीयन की शर्तों के अनुसार प्राथमिक समिति में न्यूनतम 20 सदस्य भिन्न-भिन्न परिवार के हो. (2) प्रथम दृष्टया सदस्यों की सहमति के बिना उनके कुटरचित दस्तावेज प्रस्तुत कर पंजीयन कराया गया हो.
5. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रूचि नहीं ले रहा है.
6. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है.

उक्त सूचना-पत्र मध्यप्रदेश राजपत्र में दिनांक 17 जुलाई, 2020 को भी प्रकाशित हुआ है. संस्था द्वारा सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर संस्था प्रबंधक/अध्यक्ष द्वारा निर्धारित समयावधि में नहीं दिया गया है, अत: यह माना जाकर कि संस्था को कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं के आरोप स्वीकार हैं तथा संस्था को अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है, इस आधार पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने का निर्णय लिया जाता है.

अत: मैं, एम. एल. गजभिये, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाऐं, जिला खरगौन मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./ एफ/05/-1-99/15-1/सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 (यथा संशोधित अद्यतन) के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए लक्ष्मी बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, भूदरी, पंजीयन क्रमांक 1869, दिनांक 10 मार्च, 2014 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70(1) के अंतर्गत श्री आर. के. रोमडे, स. नि. खरगौन को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 11 नवम्बर, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1324)

खरगौन, दिनांक 11 नवम्बर, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) एवं धारा-70(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2020/1457.—मंथन बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, भगवानपुरा, तहसील भगवानपुरा जिसे आगे केवल संस्था लिखा गया है, मूलत: मध्यप्रदेश स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1999 के अंतर्गत पंजीकृत होकर पंजीयन क्रमांक 176, दिनांक 27 फरवरी, 2009 था. शासन द्वारा मध्यप्रदेश स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1990 निरसित करने के उपरांत उक्त सहकारिता का संपरिवर्तन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के अंतर्गत हुआ है, जिसका पंजीयन क्रमांक 1877, दिनांक 10 मार्च, 2014 है. उक्त संस्था को निम्न कारणों से परिसमापन में लाने हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./2020/674, दिनांक 22 जून, 2020 को जारी किया गया था.

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था. उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है.
2. संस्था के द्वारा संस्था के सामान्य सदस्यों के हितों को संवर्धित नहीं करती है. इससे आशय संस्था सभी सदस्यों का हित संवर्धन नहीं कर रहीं है. अपितु किसी व्यक्ति विशेष के लिए कार्य कर रही हो. जैसे किसी व्यक्ति विशेष को निर्वाचित करने के लिए या किसी व्यवसाय को सामान्य रूप से प्रतिबंधित किया गया हो, उस व्यवसाय के लिए समिति का गठन किया जाना.
3. संस्था द्वारा अधिनियम व उपनियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है.
4. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-6 की शर्तों का पालन नहीं कर रहीं हो जैसे-(1) पंजीयन की शर्तों के अनुसार प्राथमिक समिति में न्यूनतम 20 सदस्य भिन्न-भिन्न परिवार के हो. (2) प्रथम दृष्टया सदस्यों की सहमति के बिना उनके कुटरचित दस्तावेज प्रस्तुत कर पंजीयन कराया गया हो.
5. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रूचि नहीं ले रहा है.
6. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है.

उक्त सूचना-पत्र मध्यप्रदेश राजपत्र में दिनांक 17 जुलाई, 2020 को भी प्रकाशित हुआ है. संस्था द्वारा सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर संस्था प्रबंधक/अध्यक्ष द्वारा निर्धारित समयावधि में नहीं दिया गया है, अत: यह माना जाकर कि संस्था को कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं के आरोप स्वीकार हैं तथा संस्था को अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है, इस आधार पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने का निर्णय लिया जाता है.

अत: मैं, एम. एल. गजभिये, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाऐं, जिला खरगौन मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./ एफ/05/-1-99/15-1/सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 (यथा संशोधित अद्यतन) के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मंथन बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, भगवानपुरा, पंजीयन क्रमांक 1877, दिनांक 10 मार्च, 2014 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70(1) के अंतर्गत श्री एस. आर. सोलंकी, व. स. नि. खरगौन को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 11 नवम्बर, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1325)

खरगौन, दिनांक 11 नवम्बर, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) एवं धारा-70(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2020/1458.—अभिलाषा अवन्तिका बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, भगवानपुरा, तहसील भगवानपुरा जिसे आगे केवल संस्था लिखा गया है, मूलत: मध्यप्रदेश स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1999 के अंतर्गत पंजीकृत होकर पंजीयन क्रमांक 197, दिनांक 23 फरवरी, 2009 था. शासन द्वारा मध्यप्रदेश स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1990 निरसित करने के उपरांत उक्त सहकारिता का संपरिवर्तन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के अंतर्गत हुआ है, जिसका पंजीयन क्रमांक 1898, दिनांक 10 मार्च, 2014 है. उक्त संस्था को निम्न कारणों से परिसमापन में लाने हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./2020/674, दिनांक 22 जून, 2020 को जारी किया गया था.

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था. उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है.
2. संस्था के द्वारा संस्था के सामान्य सदस्यों के हितों को संवर्धित नहीं करती है. इससे आशय संस्था सभी सदस्यों का हित संवर्धन नहीं कर रहीं है. अपितु किसी व्यक्ति विशेष के लिए कार्य कर रही हो. जैसे किसी व्यक्ति विशेष को निर्वाचित करने के लिए या किसी व्यवसाय को सामान्य रूप से प्रतिबंधित किया गया हो, उस व्यवसाय के लिए समिति का गठन किया जाना.
3. संस्था द्वारा अधिनियम व उपनियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है.
4. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-6 की शर्तों का पालन नहीं कर रहीं हो जैसे-(1) पंजीयन की शर्तों के अनुसार प्राथमिक समिति में न्यूनतम 20 सदस्य भिन्न-भिन्न परिवार के हो. (2) प्रथम दृष्टया सदस्यों की सहमति के बिना उनके कुटरचित दस्तावेज प्रस्तुत कर पंजीयन कराया गया हो.
5. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रूचि नहीं ले रहा है.
6. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है.

उक्त सूचना-पत्र मध्यप्रदेश राजपत्र में दिनांक 17 जुलाई, 2020 को भी प्रकाशित हुआ है. संस्था द्वारा सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर संस्था प्रबंधक/अध्यक्ष द्वारा निर्धारित समयावधि में नहीं दिया गया है, अत: यह माना जाकर कि संस्था को कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं के आरोप स्वीकार हैं तथा संस्था को अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है, इस आधार पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने का निर्णय लिया जाता है.

अत: मैं, एम. एल. गजभिये, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाऐं, जिला खरगौन मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./ एफ/05/-1-99/15-1/सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 (यथा संशोधित अद्यतन) के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए अभिलाषा अवन्तिका बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, भगवानपुरा, पंजीयन क्रमांक 1898, दिनांक 10 मार्च, 2014 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70(1) के अंतर्गत श्री राजाराम भट्ट, स. नि. खरगौन को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 11 नवम्बर, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1326)

खरगौन, दिनांक 11 नवम्बर, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) एवं धारा-70(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2020/1459.—जय बलराम बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., गंधावड, तहसील सेगाव जिसे आगे केवल संस्था लिखा गया है, मूलत: मध्यप्रदेश स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1999 के अंतर्गत पंजीकृत होकर पंजीयन क्रमांक 200, दिनांक 07 अक्टूबर, 2010 था. शासन द्वारा मध्यप्रदेश स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1990 निरसित करने के उपरांत उक्त सहकारिता का संपरिवर्तन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के अंतर्गत हुआ है, जिसका पंजीयन क्रमांक 1901, दिनांक 10 मार्च, 2014 है. उक्त संस्था को निम्न कारणों से परिसमापन में लाने हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./2020/674, दिनांक 22 जून, 2020 को जारी किया गया था.

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था. उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है.
2. संस्था के द्वारा संस्था के सामान्य सदस्यों के हितों को संवर्धित नहीं करती है. इससे आशय संस्था सभी सदस्यों का हित संवर्धन नहीं कर रहीं है. अपितु किसी व्यक्ति विशेष के लिए कार्य कर रही हो. जैसे किसी व्यक्ति विशेष को निर्वाचित करने के लिए या किसी व्यवसाय को सामान्य रूप से प्रतिबंधित किया गया हो, उस व्यवसाय के लिए समिति का गठन किया जाना.
3. संस्था द्वारा अधिनियम व उपनियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है.

4. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-6 की शर्तों का पालन नहीं कर रहीं हो जैसे-(1) पंजीयन की शर्तों के अनुसार प्राथमिक समिति में न्यूनतम 20 सदस्य भिन्न-भिन्न परिवार के हो. (2) प्रथम दृष्टया सदस्यों की सहमति के बिना उनके कुटरचित दस्तावेज प्रस्तुत कर पंजीयन कराया गया हो.
5. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रूचि नहीं ले रहा है.
6. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है.

उक्त सूचना-पत्र मध्यप्रदेश राजपत्र में दिनांक 17 जुलाई, 2020 को भी प्रकाशित हुआ है. संस्था द्वारा सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर संस्था प्रबंधक/अध्यक्ष द्वारा निर्धारित समयावधि में नहीं दिया गया है, अत: यह माना जाकर कि संस्था को कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं के आरोप स्वीकार हैं तथा संस्था को अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है, इस आधार पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने का निर्णय लिया जाता है.

अत: मैं, एम. एल. गजभिये, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाऐं, जिला खरगौन मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ/05/-1-99/15-1/सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 (यथा संशोधित अद्यतन) के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए जय बलराम बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., गंधावड, पंजीयन क्रमांक 1901, दिनांक 10 मार्च, 2014 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70(1) के अंतर्गत श्री महेन्द्र ठाकुर, स. नि. खरगौन को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 11 नवम्बर, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1327)

खरगौन, दिनांक 11 नवम्बर, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) एवं धारा-70(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2020/1460.—माँ दुर्गा बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, बलखडखुर्द, तहसील भगवानपुरा जिसे आगे केवल संस्था लिखा गया है, मूलत: मध्यप्रदेश स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1999 के अंतर्गत पंजीकृत होकर पंजीयन क्रमांक 202, दिनांक 03 नवम्बर, 2010 था. शासन द्वारा मध्यप्रदेश स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1990 निरसित करने के उपरांत उक्त सहकारिता का संपरिवर्तन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के अंतर्गत हुआ है, जिसका पंजीयन क्रमांक 1903, दिनांक 10 मार्च, 2014 है. उक्त संस्था को निम्न कारणों से परिसमापन में लाने हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./2020/674, दिनांक 22 जून, 2020 को जारी किया गया था.

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था. उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है.
2. संस्था के द्वारा संस्था के सामान्य सदस्यों के हितों को संवर्धित नहीं करती है. इससे आशय संस्था सभी सदस्यों का हित संवर्धन नहीं कर रहीं है. अपितु किसी व्यक्ति विशेष के लिए कार्य कर रही हो. जैसे किसी व्यक्ति विशेष को निर्वाचित करने के लिए या किसी व्यवसाय को सामान्य रूप से प्रतिबंधित किया गया हो, उस व्यवसाय के लिए समिति का गठन किया जाना.
3. संस्था द्वारा अधिनियम व उपनियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है.
4. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-6 की शर्तों का पालन नहीं कर रहीं हो जैसे-(1) पंजीयन की शर्तों के अनुसार प्राथमिक समिति में न्यूनतम 20 सदस्य भिन्न-भिन्न परिवार के हो. (2) प्रथम दृष्टया सदस्यों की सहमति के बिना उनके कुटरचित दस्तावेज प्रस्तुत कर पंजीयन कराया गया हो.
5. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रूचि नहीं ले रहा है.
6. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है.

उक्त सूचना-पत्र मध्यप्रदेश राजपत्र में दिनांक 17 जुलाई, 2020 को भी प्रकाशित हुआ है. संस्था द्वारा सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर संस्था प्रबंधक/अध्यक्ष द्वारा निर्धारित समयावधि में नहीं दिया गया है, अत: यह माना जाकर कि संस्था को कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं के आरोप स्वीकार हैं तथा संस्था को अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है, इस आधार पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने का निर्णय लिया जाता है.

अत: मैं, एम. एल. गजभिये, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाऐं, जिला खरगौन मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./ एफ/05/-1-99/15-1/सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 (यथा संशोधित अद्यतन) के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए माँ दुर्गा बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, बलखडखुर्द, पंजीयन क्रमांक 1903, दिनांक 10 मार्च, 2014 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70(1) के अंतर्गत श्री एम. आर. सोलंकी, व.स.नि. खरगौन को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 11 नवम्बर, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1328)

खरगौन, दिनांक 11 नवम्बर, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) एवं धारा-70(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2020/1461.—उन्नत निमाड बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, खरगौन, तहसील खरगौन जिसे आगे केवल संस्था लिखा गया है, मूलत: मध्यप्रदेश स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1999 के अंतर्गत पंजीकृत होकर पंजीयन क्रमांक 207, दिनांक 07 फरवरी, 2011 था. शासन द्वारा मध्यप्रदेश स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1990 निरसित करने के उपरांत उक्त सहकारिता का संपरिवर्तन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के अंतर्गत हुआ है, जिसका पंजीयन क्रमांक 1908, दिनांक 10 मार्च, 2014 है. उक्त संस्था को निम्न कारणों से परिसमापन में लाने हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./2020/674, दिनांक 22 जून, 2020 को जारी किया गया था.

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था. उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है.
2. संस्था के द्वारा संस्था के सामान्य सदस्यों के हितों को संवर्धित नहीं करती है. इससे आशय संस्था सभी सदस्यों का हित संवर्धन नहीं कर रहीं है. अपितु किसी व्यक्ति विशेष के लिए कार्य कर रही हो. जैसे किसी व्यक्ति विशेष को निर्वाचित करने के लिए या किसी व्यवसाय को सामान्य रूप से प्रतिबंधित किया गया हो, उस व्यवसाय के लिए समिति का गठन किया जाना.
3. संस्था द्वारा अधिनियम व उपनियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है.
4. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-6 की शर्तों का पालन नहीं कर रहीं हो जैसे-(1) पंजीयन की शर्तों के अनुसार प्राथमिक समिति में न्यूनतम 20 सदस्य भिन्न-भिन्न परिवार के हो. (2) प्रथम दृष्टया सदस्यों की सहमति के बिना उनके कुटरचित दस्तावेज प्रस्तुत कर पंजीयन कराया गया हो.
5. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रूचि नहीं ले रहा है.
6. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है.

उक्त सूचना-पत्र मध्यप्रदेश राजपत्र में दिनांक 17 जुलाई, 2020 को भी प्रकाशित हुआ है. संस्था द्वारा सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर संस्था प्रबंधक/अध्यक्ष द्वारा निर्धारित समयावधि में नहीं दिया गया है, अत: यह माना जाकर कि संस्था को कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं के आरोप स्वीकार हैं तथा संस्था को अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है, इस आधार पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने का निर्णय लिया जाता है.

अत: मैं, एम. एल. गजभिये, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाऐं, जिला खरगौन मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./ एफ/05/-1-99/15-1/सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 (यथा संशोधित अद्यतन) के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उन्नत निमाड बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, खरगौन, पंजीयन क्रमांक 1908, दिनांक 10 मार्च, 2014 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70(1) के अंतर्गत श्री योगेश शरद, उप अंके., खरगौन को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 11 नवम्बर, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1329)

खरगौन, दिनांक 11 नवम्बर, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) एवं धारा-70(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2020/1462.—ऋणमुक्तेश्वर बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, दामखेड़ा, तहसील भगवानपुरा जिसे आगे केवल संस्था लिखा गया है, मूलत: मध्यप्रदेश स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1999 के अंतर्गत पंजीकृत होकर पंजीयन क्रमांक 221, दिनांक 01 दिसम्बर, 2011 था. शासन द्वारा मध्यप्रदेश स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1990 निरसित करने के उपरांत उक्त सहकारिता का संपरिवर्तन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के अंतर्गत हुआ है, जिसका पंजीयन क्रमांक 1922, दिनांक 10 मार्च, 2014 है. उक्त संस्था को निम्न कारणों से परिसमापन में लाने हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/ परि./2020/674, दिनांक 22 जून, 2020 को जारी किया गया था.

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था. उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है.
2. संस्था के द्वारा संस्था के सामान्य सदस्यों के हितों को संवर्धित नहीं करती है. इससे आशय संस्था सभी सदस्यों का हित संवर्धन नहीं कर रहीं है. अपितु किसी व्यक्ति विशेष के लिए कार्य कर रही हो. जैसे किसी व्यक्ति विशेष को निर्वाचित करने के लिए या किसी व्यवसाय को सामान्य रूप से प्रतिबंधित किया गया हो, उस व्यवसाय के लिए समिति का गठन किया जाना.
3. संस्था द्वारा अधिनियम व उपनियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है.

4. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-6 की शर्तों का पालन नहीं कर रहीं हो जैसे-(1) पंजीयन की शर्तों के अनुसार प्राथमिक समिति में न्यूनतम 20 सदस्य भिन्न-भिन्न परिवार के हो. (2) प्रथम दृष्टया सदस्यों की सहमति के बिना उनके कुटरचित दस्तावेज प्रस्तुत कर पंजीयन कराया गया हो.
5. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रूचि नहीं ले रहा है.
6. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है.

उक्त सूचना-पत्र मध्यप्रदेश राजपत्र में दिनांक 17 जुलाई, 2020 को भी प्रकाशित हुआ है. संस्था द्वारा सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर संस्था प्रबंधक/अध्यक्ष द्वारा निर्धारित समयावधि में नहीं दिया गया है, अत: यह माना जाकर कि संस्था को कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं के आरोप स्वीकार हैं तथा संस्था को अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है, इस आधार पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने का निर्णय लिया जाता है.

अत: मैं, एम. एल. गजभिये, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाऐं, जिला खरगौन मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./ एफ/05/-1-99/15-1/सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 (यथा संशोधित अद्यतन) के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए ऋणमुक्तेश्वर बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, दामखेड़ा, पंजीयन क्रमांक 1922, दिनांक 10 मार्च, 2014 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70(1) के अंतर्गत श्री सोहनसिंह चौहान, स. नि. खरगौन को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 11 नवम्बर, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1330)

खरगौन, दिनांक 11 नवम्बर, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) एवं धारा-70(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2020/1463.—बावीसा ब्रहाम्ण साख सहकारी संस्था मर्यादित, खरगौन, तहसील खरगौन जिसे आगे केवल संस्था लिखा गया है, मूलत: मध्यप्रदेश स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1999 के अंतर्गत पंजीकृत होकर पंजीयन क्रमांक 149, दिनांक 30 जनवरी, 2008 था. शासन द्वारा मध्यप्रदेश स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1990 निरसित करने के उपरांत उक्त सहकारिता का संपरिवर्तन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के अंतर्गत हुआ है, जिसका पंजीयन क्रमांक 1850, दिनांक 10 मार्च, 2014 है. उक्त संस्था को निम्न कारणों से परिसमापन में लाने हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./2020/674, दिनांक 22 जून, 2020 को जारी किया गया था.

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था. उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है.
2. संस्था के द्वारा संस्था के सामान्य सदस्यों के हितों को संवर्धित नहीं करती है. इससे आशय संस्था सभी सदस्यों का हित संवर्धन नहीं कर रहीं है. अपितु किसी व्यक्ति विशेष के लिए कार्य कर रही हो. जैसे किसी व्यक्ति विशेष को निर्वाचित करने के लिए या किसी व्यवसाय को सामान्य रूप से प्रतिबंधित किया गया हो, उस व्यवसाय के लिए समिति का गठन किया जाना.
3. संस्था द्वारा अधिनियम व उपनियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है.
4. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-6 की शर्तों का पालन नहीं कर रहीं हो जैसे-(1) पंजीयन की शर्तों के अनुसार प्राथमिक समिति में न्यूनतम 20 सदस्य भिन्न-भिन्न परिवार के हो. (2) प्रथम दृष्टया सदस्यों की सहमति के बिना उनके कुटरचित दस्तावेज प्रस्तुत कर पंजीयन कराया गया हो.
5. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रूचि नहीं ले रहा है.
6. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है.

उक्त सूचना-पत्र मध्यप्रदेश राजपत्र में दिनांक 17 जुलाई, 2020 को भी प्रकाशित हुआ है. संस्था द्वारा सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर संस्था प्रबंधक/अध्यक्ष द्वारा निर्धारित समयावधि में नहीं दिया गया है, अत: यह माना जाकर कि संस्था को कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं के आरोप स्वीकार हैं तथा संस्था को अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है, इस आधार पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने का निर्णय लिया जाता है.

अत: मैं, एम. एल. गजभिये, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाऐं, जिला खरगौन मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./ एफ/05/-1-99/15-1/सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 (यथा संशोधित अद्यतन) के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए बावीसा ब्रहाम्ण साख सहकारी संस्था मर्यादित, खरगौन, पंजीयन क्रमांक 1850, दिनांक 10 मार्च, 2014 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70(1) के अंतर्गत श्री योगेश शरद, उप अंके. खरगौन को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 11 नवम्बर, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1331)

खरगौन, दिनांक 11 नवम्बर, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) एवं धारा-70(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2020/1464.—हरि ओम साख सहकारी संस्था मर्यादित, खरगौन, तहसील खरगौन जिसे आगे केवल संस्था लिखा गया है, मूलत: मध्यप्रदेश स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1999 के अंतर्गत पंजीकृत होकर पंजीयन क्रमांक 154, दिनांक 18 फरवरी, 2008 था. शासन द्वारा मध्यप्रदेश स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1990 निरसित करने के उपरांत उक्त सहकारिता का संपरिवर्तन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के अंतर्गत हुआ है, जिसका पंजीयन क्रमांक 1855, दिनांक 10 मार्च, 2014 है. उक्त संस्था को निम्न कारणों से परिसमापन में लाने हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./2020/674, दिनांक 22 जून, 2020 को जारी किया गया था.

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था. उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है.
2. संस्था के द्वारा संस्था के सामान्य सदस्यों के हितों को संवर्धित नहीं करती है. इससे आशय संस्था सभी सदस्यों का हित संवर्धन नहीं कर रहीं है. अपितु किसी व्यक्ति विशेष के लिए कार्य कर रही हो. जैसे किसी व्यक्ति विशेष को निर्वाचित करने के लिए या किसी व्यवसाय को सामान्य रूप से प्रतिबंधित किया गया हो, उस व्यवसाय के लिए समिति का गठन किया जाना.
3. संस्था द्वारा अधिनियम व उपनियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है.
4. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-6 की शर्तों का पालन नहीं कर रहीं हो जैसे-(1) पंजीयन की शर्तों के अनुसार प्राथमिक समिति में न्यूनतम 20 सदस्य भिन्न-भिन्न परिवार के हो. (2) प्रथम दृष्टया सदस्यों की सहमति के बिना उनके कुटरचित दस्तावेज प्रस्तुत कर पंजीयन कराया गया हो.
5. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रूचि नहीं ले रहा है.
6. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है.

उक्त सूचना-पत्र मध्यप्रदेश राजपत्र में दिनांक 17 जुलाई, 2020 को भी प्रकाशित हुआ है. संस्था द्वारा सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर संस्था प्रबंधक/अध्यक्ष द्वारा निर्धारित समयावधि में नहीं दिया गया है, अत: यह माना जाकर कि संस्था को कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं के आरोप स्वीकार हैं तथा संस्था को अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है, इस आधार पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने का निर्णय लिया जाता है.

अत: मैं, एम. एल. गजभिये, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाऐं, जिला खरगौन मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./ एफ/05/-1-99/15-1/सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 (यथा संशोधित अद्यतन) के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरि ओम साख सहकारी संस्था मर्यादित, खरगौन, पंजीयन क्रमांक 1855, दिनांक 10 मार्च, 2014 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70(1) के अंतर्गत श्री एस. आर. सोलंकी, व. स. नि. खरगौन को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 11 नवम्बर, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1332)

खरगौन, दिनांक 11 नवम्बर, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) एवं धारा-70(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2020/1465.—नार्मदीय साख सहकारी संस्था मर्या., खरगौन, तहसील खरगौन जिसे आगे केवल संस्था लिखा गया है, मूलत: मध्यप्रदेश स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1999 के अंतर्गत पंजीकृत होकर पंजीयन क्रमांक 156, दिनांक 03 अप्रैल, 2008 था. शासन द्वारा मध्यप्रदेश स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1990 निरसित करने के उपरांत उक्त सहकारिता का संपरिवर्तन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के अंतर्गत हुआ है, जिसका पंजीयन क्रमांक 1857, दिनांक 10 मार्च, 2014 है. उक्त संस्था को निम्न कारणों से परिसमापन में लाने हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./2020/674, दिनांक 22 जून, 2020 को जारी किया गया था.

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था. उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है.
2. संस्था के द्वारा संस्था के सामान्य सदस्यों के हितों को संवर्धित नहीं करती है. इससे आशय संस्था सभी सदस्यों का हित संवर्धन नहीं कर रहीं है. अपितु किसी व्यक्ति विशेष के लिए कार्य कर रही हो. जैसे किसी व्यक्ति विशेष को निर्वाचित करने के लिए या किसी व्यवसाय को सामान्य रूप से प्रतिबंधित किया गया हो, उस व्यवसाय के लिए समिति का गठन किया जाना.
3. संस्था द्वारा अधिनियम व उपनियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है.

4. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-6 की शर्तों का पालन नहीं कर रहीं हो जैसे-(1) पंजीयन की शर्तों के अनुसार प्राथमिक समिति में न्यूनतम 20 सदस्य भिन्न-भिन्न परिवार के हो. (2) प्रथम दृष्टया सदस्यों की सहमति के बिना उनके कुटरचित दस्तावेज प्रस्तुत कर पंजीयन कराया गया हो.
5. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रूचि नहीं ले रहा है.
6. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है.

उक्त सूचना-पत्र मध्यप्रदेश राजपत्र में दिनांक 17 जुलाई, 2020 को भी प्रकाशित हुआ है. संस्था द्वारा सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर संस्था प्रबंधक/अध्यक्ष द्वारा निर्धारित समयावधि में नहीं दिया गया है, अत: यह माना जाकर कि संस्था को कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं के आरोप स्वीकार हैं तथा संस्था को अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है, इस आधार पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने का निर्णय लिया जाता है.

अत: मैं, एम. एल. गजभिये, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाऐं, जिला खरगौन मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./ एफ/05/-1-99/15-1/सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 (यथा संशोधित अद्यतन) के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए नार्मदीय साख सहकारी संस्था मर्या., खरगौन, पंजीयन क्रमांक 1857, दिनांक 10 मार्च, 2014 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70(1) के अंतर्गत श्री मनोज शैल्के, स. नि. खरगौन को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 11 नवम्बर, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1333)

खरगौन, दिनांक 11 नवम्बर, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) एवं धारा-70(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2020/1466.—महाराणा प्रताप साख सहकारी संस्था मर्यादित, सनावद, तहसील खरगौन जिसे आगे केवल संस्था लिखा गया है, मूलत: मध्यप्रदेश स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1999 के अंतर्गत पंजीकृत होकर पंजीयन क्रमांक 779, दिनांक 22 सितम्बर, 2009 था. शासन द्वारा मध्यप्रदेश स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1990 निरसित करने के उपरांत उक्त सहकारिता का संपरिवर्तन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के अंतर्गत हुआ है, जिसका पंजीयन क्रमांक 1880, दिनांक 10 मार्च, 2014 है. उक्त संस्था को निम्न कारणों से परिसमापन में लाने हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./2020/674, दिनांक 22 जून, 2020 को जारी किया गया था.

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था. उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है.
2. संस्था के द्वारा संस्था के सामान्य सदस्यों के हितों को संवर्धित नहीं करती है. इससे आशय संस्था सभी सदस्यों का हित संवर्धन नहीं कर रहीं है. अपितु किसी व्यक्ति विशेष के लिए कार्य कर रही हो. जैसे किसी व्यक्ति विशेष को निर्वाचित करने के लिए या किसी व्यवसाय को सामान्य रूप से प्रतिबंधित किया गया हो, उस व्यवसाय के लिए समिति का गठन किया जाना.
3. संस्था द्वारा अधिनियम व उपनियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है.
4. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-6 की शर्तों का पालन नहीं कर रहीं हो जैसे-(1) पंजीयन की शर्तों के अनुसार प्राथमिक समिति में न्यूनतम 20 सदस्य भिन्न-भिन्न परिवार के हो. (2) प्रथम दृष्टया सदस्यों की सहमति के बिना उनके कुटरचित दस्तावेज प्रस्तुत कर पंजीयन कराया गया हो.
5. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रूचि नहीं ले रहा है.
6. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है.

उक्त सूचना-पत्र मध्यप्रदेश राजपत्र में दिनांक 17 जुलाई, 2020 को भी प्रकाशित हुआ है. संस्था द्वारा सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर संस्था प्रबंधक/अध्यक्ष द्वारा निर्धारित समयावधि में नहीं दिया गया है, अत: यह माना जाकर कि संस्था को कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं के आरोप स्वीकार हैं तथा संस्था को अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है, इस आधार पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने का निर्णय लिया जाता है.

अत: मैं, एम. एल. गजभिये, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाऐं, जिला खरगौन मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./ एफ/05/-1-99/15-1/सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 (यथा संशोधित अद्यतन) के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए महाराणा प्रताप साख सहकारी संस्था मर्यादित, सनावद, पंजीयन क्रमांक 1880, दिनांक 10 मार्च, 2014 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70(1) के अंतर्गत श्री अरूण कुमार पांडे, स. नि. खरगौन को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 11 नवम्बर, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1334)

खरगौन, दिनांक 11 नवम्बर, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) एवं धारा-70(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2020/1467.—महादेव साख सहकारी संस्था मर्यादित, खरगौन, तहसील खरगौन जिसे आगे केवल संस्था लिखा गया है, मूलत: मध्यप्रदेश स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1999 के अंतर्गत पंजीकृत होकर पंजीयन क्रमांक 227, दिनांक 17 मई, 2012 था. शासन द्वारा मध्यप्रदेश स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1990 निरसित करने के उपरांत उक्त सहकारिता का संपरिवर्तन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के अंतर्गत हुआ है, जिसका पंजीयन क्रमांक 1928, दिनांक 10 मार्च, 2014 है. उक्त संस्था को निम्न कारणों से परिसमापन में लाने हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./2020/674, दिनांक 22 जून, 2020 को जारी किया गया था.

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था. उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है.
2. संस्था के द्वारा संस्था के सामान्य सदस्यों के हितों को संवर्धित नहीं करती है. इससे आशय संस्था सभी सदस्यों का हित संवर्धन नहीं कर रहीं है. अपितु किसी व्यक्ति विशेष के लिए कार्य कर रही हो. जैसे किसी व्यक्ति विशेष को निर्वाचित करने के लिए या किसी व्यवसाय को सामान्य रूप से प्रतिबंधित किया गया हो, उस व्यवसाय के लिए समिति का गठन किया जाना.
3. संस्था द्वारा अधिनियम व उपनियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है.
4. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-6 की शर्तों का पालन नहीं कर रहीं हो जैसे-(1) पंजीयन की शर्तों के अनुसार प्राथमिक समिति में न्यूनतम 20 सदस्य भिन्न-भिन्न परिवार के हो. (2) प्रथम दृष्टया सदस्यों की सहमति के बिना उनके कुटरचित दस्तावेज प्रस्तुत कर पंजीयन कराया गया हो.
5. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रूचि नहीं ले रहा है.
6. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है.

उक्त सूचना-पत्र मध्यप्रदेश राजपत्र में दिनांक 17 जुलाई, 2020 को भी प्रकाशित हुआ है. संस्था द्वारा सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर संस्था प्रबंधक/अध्यक्ष द्वारा निर्धारित समयावधि में नहीं दिया गया है, अत: यह माना जाकर कि संस्था को कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं के आरोप स्वीकार हैं तथा संस्था को अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है, इस आधार पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने का निर्णय लिया जाता है.

अत: मैं, एम. एल. गजभिये, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाऐं, जिला खरगौन मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ/05/-1-99/15-1/सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 (यथा संशोधित अद्यतन) के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए महादेव साख सहकारी संस्था मर्यादित, खरगौन, पंजीयन क्रमांक/1928, दिनांक 10 मार्च, 2014 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70(1) के अंतर्गत सुश्री संगीता कपिल, उप अंके. खरगौन को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 11 नवम्बर, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

एम. एल. गजभिये,
उप-पंजीयक.

(1335)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन-सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित-2020.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 52] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 25 दिसम्बर, 2020-पौष 4, शके 1942

भाग 3 (2)

सांख्यिकी सूचनाएं

कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त, मध्यप्रदेश

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, बुधवार, दिनांक 18 नवम्बर, 2020

1. **मौसम एवं वर्षा**.—प्राय: राज्य में मौसम शुष्क रहा. राज्य के किसी भी जिले में वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है.

2. **प्रारम्भिक जुताई पर वर्षा का प्रभाव** :-राज्य के कुछ जिलों में जुताई चालू है.

3. **बोनी पर वर्षा का प्रभाव** :- राज्य के कुछ जिलों में बोनी चालू है.

4. **धान रोपाई पर वर्षा का प्रभाव** :-रोपाई समाप्त हो चुकी है.

5. **खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों का प्रभाव** :-कोई प्रभाव होना प्रतिवेदित नहीं किया गया है.

6. **कटी हुई फसल पर वर्षा का प्रभाव** :-कोई प्रभाव होना प्रतिवेदित नहीं किया गया है.

7. **अन्य असामयक घटना से क्षति** :-कोई क्षति होना प्रतिवेदित नहीं किया गया है.

8. **फसल स्थिति** :-जिलों से प्राप्त पत्रकों में कुछ जिलों में फसल बिगड़ी हुई प्रतिवेदित किया गया है.

9. **सिंचाई**:- राज्य के कुछ जिलों में सिंचाई हेतु पानी अपर्याप्त मात्रा में प्रतिवेदित किया गया है.

10. **पशुओं की स्थिति**:- राज्य के जिलों से प्राप्त पत्रकों में पशुओं की स्थिति सन्तोषप्रद रहना प्रतिवेदित किया गया है.

11. **चारा** :- राज्य के जिलों से प्राप्त पत्रकों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहना प्रतिवेदित किया गया है.

12. **बीज**:- राज्य के जिलों से प्राप्त पत्रकों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.

13. **खेतिहर श्रमिक** :- राज्य के जिलों से प्राप्त पत्रकों में खेतिहर श्रमिक उचित दर पर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक-1, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 18 नवम्बर, 2020

क्र.	जिला	तहसील	सप्ताह में वर्षा जो हुई मि. मी. वर्षा कम/अधिक.		कृषि कार्यों, प्रारम्भिक जुताई, बोनी पर (रोपाई) पर (धान) कटी हुई फसल वर्षा	खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों के आक्रमण का प्रभाव.	असामयिक घटना	क्षति प्रतिशत में	जिले की गत वर्ष की फसल की तुलना में चालू वर्ष की खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान फसल का क्षेत्रफल-समान या कम प्रतिशत फसल की हालत-समान, बिगड़ी या सुधरी प्रतिशत							5. सिंचाई के लिये पानी पर्याप्त या अपर्याप्त. 6 (अ) चारे की प्राप्ति. 6 (ब) पशुओं की हालत			(7) बीज की प्राप्ति कृषि सम्बन्धी. (8) मजदूरों की प्राप्ति	
1	2	3	4		5	5 (ब)	6	7	8							9			10	
1.	**मुरैना :**		. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	धान	. .	. .	. .	. .	. .	5. पर्याप्त.	6.(अ)संतोषजनक,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
		अम्बाह	12.0	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		पोरसा	48.0	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		मुरैना	23.0	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		जौरा	15.0	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		कैलारस	20.0	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		सबलगढ़	24.0	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
2.	**श्योपुर :**		. .	. .	जुताई चालू	. .	. .	. .	गन्ना	गेहूँ	जो	सामान्य	. .	समान	. .	5. पर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. . .	8. . .
		श्योपुर	3.0	. .	बोनी चालू	. .	. .	. .	तुअर	चना	. .	सामान्य	. .	सामान्य	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		कराहल	3.0	. .	. .	. .	. .	. .	कपास	तुअर	मटर	समान	. .	बिगड़ी	15%	. .	. .	. .	. .	. .
		विजयपुर	15.2	. .	. .	. .	. .	. .	राई-सरसों	. .	. .	कम	. .	सामान्य	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		वीरपुर	1.0	. .	. .	. .	. .	. .	मसूर	. .	. .	समान	. .	सामान्य	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		बडोदा	10.0	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
3.	**भिण्ड :**		. .	. .	जुताई चालू	. .	. .	. .	धान	. .	. .	सामान्य	. .	समान	. .	5. पर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
		अटेर	46.0	. .	बोनी चालू	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		भिण्ड	20.0	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		गोहद	43.0	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		मेहगांव	50.0	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		लहार	16.0	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		रौन+मिहोना	15.0	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		गोरमी	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		मौ	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .

1	2	3	4		5	5 (ब)	6	7	8							9			10	
4.	**ग्वालियरः**		. .	. .	जुताई चालू	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	5. . .	6.(अ) . .	6.(ब)अच्छी.	7. . .	8. पर्याप्त.
		ग्वालियर	58.0	. .	बोनी चालू	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		डबरा	3.2	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		भितरवार	15.3	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		चीनोर	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		घाटीगांव	2.1	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
5.	**दतिया :**		. .	. .	जुताई चालू	. .	. .	. .	गन्ना	. .	. .	अधिक	10%	सामान्य	. .	5. पर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. . .	8. पर्याप्त.
		सेंवढ़ा	. .	. .	बोनी चालू	. .	. .	. .	चना	. .	. .	अधिक	5%	सामान्य	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		दतिया	30.0	. .	. .	. .	. .	. .	राई-सरसों	. .	. .	सामान्य	. .	सामान्य	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		इन्दरगढ़	. .	. .	. .	. .	. .	. .	मटर	. .	. .	अधिक	10%	सामान्य	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		बढौनी	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		भाण्डेर	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
6.	**शिवपुरी :**		. .	. .	जुताई चालू	. .	. .	. .	राई-सरसों	. .	. .	कम	15%	बिगड़ी	. .	5. पर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
		शिवपुरी	. .	. .	बोनी चालू	. .	. .	. .	गेहूँ	. .	. .	कम	5%	सामान्य	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		पिछोर	. .	. .	. .	. .	. .	. .	चना	. .	. .	अधिक	10%	सामान्य	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		खनियाधाना	. .	. .	. .	. .	. .	. .	अन्य	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		नरवर	3.0	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		करैरा	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		कोलारस	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		पोहरी	2.0	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		बैराढ़	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		बदरवास	2.0	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
7.	**अशोकनगर :**		. .	. .	जुताई चालू	. .	. .	. .	धान	. .	. .	अधिक	100%	सामान्य	. .	5. पर्याप्त	6.(अ)पर्याप्त	6.(ब)अच्छी.	7. . .	8. पर्याप्त.
		मुँगावली	. .	. .	बोनी चालू	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		ईसागढ़	10.0	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		अशोकनगर	7.0	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		चन्देरी	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		नई सराय	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		पिपरई	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		शाढोरा	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .

1	2	3	4		5	5 (ब)	6	7	8							9			10	
8.	**गुना :**		. .	. .	जुताई चालू	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	5. पर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
		गुना	3.9	. .	बोनी चालू	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		राघोगढ़	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		बमोरी	4.0	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		आरोन	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		चाचौड़ा	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		मकसूदनगढ़	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		कुम्भराज	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
9.	**टीकमगढ़ :**		. .	. .	जुताई चालू	. .	. .	. .	चना	. .	. .	अधिक	2%	सामान्य	. .	5. अपर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
		जतारा	. .	. .	बोनी चालू	. .	. .	. .	राई-सरसों	. .	. .	अधिक	5%	समान	. .	. .	. .	. .	. .	0
		टीकमगढ़	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		बल्देवगढ़	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		पलेरा	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		खरगापुर	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		मोहनगढ़	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		लिधौरा	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
10.	**निवाड़ी :**		. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	5. . .	6.(अ). .	6.(ब). .	7. . .	8. . .
		निवाड़ी	. .	. .	बोनी चालू	. .	. .	. .	गन्ना	. .	. .	समान	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		पृथ्वीपुर	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		ओरछा	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
11.	**छतरपुर :**		. .	. .	जुताई चालू	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	5. पर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
		गौरीहार	. .	. .	बोनी चालू	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		नौगांव	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		छतरपुर	11.7	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		राजनगर	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		बिजावर	10.0	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		बड़ा मलहरा	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		महाराजपुर	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		चंदला	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		धुवारा	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		लवकुशनगर	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		बक्सवाहा	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .

1	2	3	4		5	5 (ब)	6	7	8							9			10	
12.	**पन्ना :**		. .	. .	जुताई चालू	. .	. .	. .	धान	. .	. .	अधिक	5%	सुधरी हुई	. .	5. पर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त	6.(ब)अच्छी	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
		अजयगढ़	. .	. .	बोनी चालू	. .	. .	. .	तुअर	. .	. .	कम	2%	सुधरी हुई	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		पन्ना	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		गुन्नौर	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		पवई	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		रैपुरा	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		अमानगंज	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		देवेन्द्रनगर	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		सिमरिया	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		शाहनगर	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		जयसिंह नगर	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
13.	**सागर :**		. .	. .	जुताई चालू	. .	. .	. .	गेहूं	. .	. .	कम	40%	सामान्य	. .	5. पर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
		बीना	. .	. .	बोनी चालू	. .	. .	. .	जो	. .	. .	कम	50%	समान	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		खुरई	. .	. .	. .	. .	. .	. .	चना	. .	. .	कम	30%	सामान्य	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		बण्डा	. .	. .	. .	. .	. .	. .	मसूर	. .	. .	कम	30%	सामान्य	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		सागर	. .	. .	. .	. .	. .	. .	मटर	. .	. .	कम	30%	सामान्य	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		रेहली	. .	. .	. .	. .	. .	. .	लाख	. .	. .	कम	20%	सामान्य	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		देवरी	. .	. .	. .	. .	. .	. .	राई-सरसों	. .	. .	कम	40%	सामान्य	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		गढ़ाकोटा	. .	. .	. .	. .	. .	. .	अलसी	. .	. .	कम	25%	सामान्य	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		राहतगढ़	. .	. .	. .	. .	. .	. .	गन्ना	. .	. .	कम	40%	सामान्य	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		केसली	. .	. .	. .	. .	. .	. .	अन्य	. .	. .	कम	50%	सामान्य	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		मालथोन	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		शाहगढ़	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
14.	**दमोह :**		. .	. .	जुताई चालू	. .	. .	. .	धान	. .	. .	अधिक	15%	. .	. .	5.अपर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
		हटा	. .	. .	बोनी चालू	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		बटियागढ़	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		दमोह	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		पथरिया	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		जवेरा	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		तेन्दूखेड़ा	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		पटेरा	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .

1	2	3	4		5	5 (ब)	6	7	8							9			10	
15.	**सतना :**		. .	. .	जुताई चालू	. .	. .	. .	धान	. .	. .	समान	. .	सामान्य	. .	5. . .	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. . .	8. पर्याप्त.
		रघुराजनगर	. .	. .	बोनी चालू	. .	. .	. .	तुअर	. .	. .	सामान्य	. .	सामान्य	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		मझगवां	. .	. .	. .	. .	. .	. .	गेहूं	. .	. .	कम	30%	सामान्य	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		रामपुर (ब.)	. .	. .	. .	. .	. .	. .	चना	. .	. .	समान	. .	सामान्य	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		नागौद	. .	. .	. .	. .	. .	. .	मसूर	. .	. .	समान	. .	सामान्य	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		उचेहरा	. .	. .	. .	. .	. .	. .	अलसी	. .	. .	समान	. .	सामान्य	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		अमरपाटन	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		रामनगर	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		मैहर	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		कोठर	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		बिरसिहपुर	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
16.	**रीवा :**		. .	. .	जुताई चालू	. .	. .	. .	धान	. .	. .	अधिक	5%	समान	. .	5. पर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त
		त्यौंथर	. .	. .	बोनी चालू	. .	. .	. .	तुअर	. .	. .	कम	15%	सामान्य	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		सिरमौर	. .	. .	. .	. .	. .	. .	ज्वार	. .	. .	कम	20%	समान	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		मऊगंज	. .	. .	. .	. .	. .	. .	अलसी	. .	. .	कम	20%	सामान्य	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		हनुमना	. .	. .	. .	. .	. .	. .	गेहूं	. .	. .	कम	5%	सामान्य	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		हुजूर	. .	. .	. .	. .	. .	. .	मसूर	. .	. .	कम	20%	सामान्य	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		गुढ़	. .	. .	. .	. .	. .	. .	चना	. .	. .	कम	20%	समान	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		मनगवां	. .	. .	. .	. .	. .	. .	जो	. .	. .	कम	20%	सामान्य	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		सेमरिया	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		जवा	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		नईगढ़ी	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		रायपुर (कर्चु)	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
17.	**शहडोल :**		. .	. .	जुताई चालू	. .	. .	. .	धान	. .	. .	अधिक	5%	समान	. .	5.पर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
		सोहागपुर	. .	. .	बोनी चालू	. .	. .	. .	तुअर	. .	. .	अधिक	2%	सामान्य	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		ब्यौहारी	. .	. .	. .	. .	. .	. .	अन्य	. .	. .	कम	2%	सामान्य	. .	. .	. .	. .	. .	.
		जयसिंहनगर	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		बुढ़ार	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		गोहपारू	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		जैतपुर	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .

1	2	3	4		5	5 (ब)	6	7	8							9			10	
18.	**अनूपपुर :**		. .	. .	जुताई चालू	. .	. .	. .	धान	. .	. .	अधिक	5%	सुधरी हुई	5%	5. पर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
		जैतहरी	. .	. .	. .	. .	. .	. .	तुअर	ज्वार	. .	समान	. .	सुधरी हुई	5%	. .	. .	. .	. .	. .
		अनूपपुर	. .	. .	. .	. .	. .	. .	अन्य	. .	. .	कम	2%	समान	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		कोतमा	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		पुष्पराजगढ़	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
19.	**उमरिया :**		. .	. .	जुताई चालू	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	5. अपर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
		बांधवगढ़	. .	. .	बोनी चालू	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		पाली	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		चंदिया	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		नौरोजाबाद	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		मानपुर	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
20.	**सीधी :**		. .	. .	जुताई चालू	. .	. .	. .	अलसी	. .	. .	कम	10%	सामान्य	. .	5. . .	6.(अ)पर्याप्त	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
		गोपदवनास	. .	. .	बोनी चालू	. .	. .	. .	राई सरसों	. .	. .	कम	65%	सामान्य	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		सिंहावल	. .	. .	. .	. .	. .	. .	चना	. .	. .	कम	30%	सामान्य	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		मझौली	. .	. .	. .	. .	. ..	.	मसूर	. .	. .	कम	70%	सामान्य	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		कुसमी	. .	. .	. .	. .	. .	. .	गेहूँ	. .	. .	कम	80%	सामान्य	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		चुरहट	. .	. .	. .	. .	. .	. .	जौ	. .	. .	कम	70%	समान	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		बहरी	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		रामपुरनैकिन	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
21.	**सिंगरौली:**		. .	. .	जुताई चालू	. .	. .	. .	धान	. .	. .	कम	5%	सुधरी हुई	2%	5. . .	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
		चितरंगी	. .	. .	बोनी चालू	. .	. .	. .	तुअर	. .	. .	समान	2%	सुधरी हुई	2%	. .	. .	. .	. .	. .
		देवसर	. .	. .	. .	. .	. .	. .	अन्य	. .	. .	कम	5%	सामान्य	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		सरई	. .	. .	. .	. .	. .	. .	चना	मटर	मसूर	कम	40%	सामान्य	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		माडा	. .	. .	. .	. .	. .	. .	अलसी	. .	. .	कम	5%	सामान्य	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		सिंगरोली	. .	. .	. .	. .	. .	. .	राई सरसों	. .	. .	कम	10%	समान	. .	. .	. .	. .	. .	. .
. .																				

1	2	3	4		5	5 (ब)	6	7	8							9			10	
22.	**मंदसौर :**		. .	. .	जुताई चालू	. .	. .	. .	गेहूं	. .	. .	कम	. .	सुधरी हुई	60%	5.अपर्याप्त	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
		सुवासरा	. .	. .	बोनी चालू	. .	. .	. .	चना	. .	. .	अधिक	. .	सुधरी हुई	60%	. .	. .	. .	. .	. .
		भानपुरा	. .	. .	. .	. .	. .	. .	अन्य	. .	. .	अधिक	. .	सुधरी हुई	60%	. .	. .	. .	. .	. .
		मल्हारगढ़	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		गरोठ	2.2	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		मंदसौर	1.0	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		श्यामगढ़	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		सीतामऊ	3.2	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		कयामपुर	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
23.	**नीमच :**		. .	. .	जुताई चालू	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	5. पर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
		जावद	. .	. .	बोनी चालू	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		नीमच	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
			. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		जीरन	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		रामपुर	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		मनासा	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
24.	**रतलाम :**		. .	. .	जुताई चालू	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	5. . .	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
		जावरा	. .	. .	बोनी चालू	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		आलोट	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		सैलाना	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		बाजना	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		ताल	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		रावटी	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		पिपलोदा	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		रतलाम	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .

1	2	3	4		5	5 (ब)	6	7	8							9			10	
25.	**उज्जैन :**		. .	. .	बोनी चालू	. .	. .	. .	गेहूँ	. .	. .	. .	. .	सामान्य	. .	5. पर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
		खाचरौद	. .	. .	. .	. .	. .	. .	चना	. .	. .	. .	. .	समान	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		महिदपुर	. .	. .	. .	. .	. .	. .	अन्य	. .	. .	. .	. .	सामान्य	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		तराना	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		घटिया	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		उज्जैन	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		बड़नगर	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		नागदा	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
26.	**आगर :**		. .	. .	जुताई चालू	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	5. पर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
		बड़ौद	. .	. .	बोनी चालू	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		सुसनेर	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		नलखेड़ा	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		आगर	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
27.	**शाजापुरः**		. .	. .	जुताई चालू	. .	. .	. .	तुअर	. .	. .	समान	5%	सामान्य	. .	5. पर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
		मोमन (बड़ो)	. .	. .	बोनी चालू	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		शाजापुर	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		शुजालपुर	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		कालापीपल	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		पोलायकलां	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		अबंतीपुर-बडौदिया	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		गुलाना	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
28.	**देवास :**		. .	. .	जुताई चालू	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	5. पर्याप्त.	6.(अ)संतोषजनक	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
		सोनकच्छ	. .	. .	बोनी चालू	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		टोंकखुर्द	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		देवास	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		बागली	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		कन्नोद	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		हाटपिपल्या	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		सतवास	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		उदयनगर	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		खातेगांव	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .

1	2	3	4		5	5 (ब)	6	7	8							9			10	
29.	**झाबुआ :**		. .	. .	जुताई चालू	. .	. .	. .	कपास	. .	. .	सामान्य	. .	सामान्य	. .	5. अपर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7.पर्याप्त.	8. . .
		थांदला	. .	. .	. .	. .	. .	. .	तुअर	. .	. .	सामान्य	. .	सामान्य	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		मेघनगर	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		पेटलावद	. .	. .	बोनी चालू	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		झाबुआ	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		राणापुर	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		रामा	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
30.	**अलीराजपुर :**		. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	5. पर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. . .	8. पर्याप्त.
		जोवट	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		अलीराजपुर	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		कट्टीवाड़ा	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		सोंडवा	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		उदयगढ़	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		चन्द्रशेखर आ. नगर	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
31.	**धार :**		. .	. .	जुताई चालू	. .	. .	. .	कपास	. .	. .	अधिक	. .	सामान्य	. .	5. पर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. . .	8. पर्याप्त.
		बदनावर	. .	. .	बोनी चालू	. .	. .	. .	गन्ना	. .	. .	अधिक	10%	सामान्य	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		सरदारपुर	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		धार	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		कुक्षी	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		मनावर	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		धरमपुरी	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		गंधवानी	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		डही	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		पीथमपुर	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
32.	**इन्दौर :**		. .	. .	जुताई चालू	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	5. पर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7.पर्याप्त	8. पर्याप्त
		देपालपुर	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		सांवेर	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		इन्दौर	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		गौतमपुरा	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	.	. . .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		महू (अम्बे)	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .

1	2	3	4		5	5 (ब)	6	7	8							9			10	
33.	**खरगौन :**		. .	. .	जुताई चालू	. .	. .	. .	ज्वार	कपास	तुअर	कम	. .	समान	. .	5. पर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
		बड़वाह	. .	. .	बोनी चालू	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		महेश्वर	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		सेगांव	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		खरगौन	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		गोगावां	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		कसरावद	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		भगवानपुरा	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		भीकनगांव	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		सनावद	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		झिरन्या	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
34.	**बड़वानी :**		. .	. .	जुताई चालू	. .	. .	. .	कपास	. .	. .	अधिक	5%	सामान्य	. .	5. पर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
		बड़वानी	. .	. .	बोनी चालू	. .	. .	. .	गेहूँ	चना	. .	समान	. .	समान	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		ठीकरी	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		राजपुर	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		सेंधवा	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		पानसेमल	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		पाटी	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		अंजड	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		बरला	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		निवाली	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
35.	**खण्डवा :**		. .	. .	जुताई चालू	. .	. .	. .	कपास	तुअर	. .	अधिक	2%	समान	. .	5. पर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
		खण्डवा	. .	. .	बोनी चालू	. .	. .	. .	. .	. .	. .		. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		पुनासा	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .		. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		खालवा	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		पंधाना	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		हरसूद	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
36.	**बुरहानपुर :**		. .	. .	जुताई चालू	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	5. . .	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
		बुरहानपुर	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		खकनार	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		नेपानगर	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .

1	2	3	4		5	5 (ब)	6	7	8							9			10	
37.	**राजगढ़ :**		. .	. .	जुताई चालू	. .	. .	. .	गेहूं	. .	. .	. .	. .	. .	. .	5. पर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त	8. पर्याप्त.
		राजगढ़	. .	. .	बोनी चालू	. .	. .	. .	चना	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		जीरापुर	. .	. .	. .	. .	. .	. .	मसूर	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		खिलचीपुर	. .	. .	. .	. .	. .	. .	अन्य	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		ब्यावरा	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		सारंगपुर	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		पचोर	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		नरसिंहगढ़	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
38.	**विदिशा :**		. .	. .	. .	. .	. .	. .	धान	. .	. .	सामान्य	. .	. .	. .	5. पर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)सामान्य.	7. पर्याप्त	8. पर्याप्त.
		लटेरी	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		सिरोंज	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		कुरवाई	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		बासोदा	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		नटेरन	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		विदिशा	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		गुलाबगंज	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		शमसाबाद	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		त्यौंदा	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		पठारी	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		ग्यारसपुर	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
39.	**भोपाल :**		. .	. .	जुताई चालू	. .	. .	. .	गेहूं	. .	. .	कम	10%	सामान्य	. .	5. पर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त	8. पर्याप्त.
		बैरसिया	. .	. .	बोनी चालू	. .	. .	. .	चना	. .	. .	अधिक	15%	सामान्य	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		कोलार	. .	. .	. .	. .	. .	. .	मटर	मसूर	. .	सामान्य	. .	सामान्य	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		हुजूर	. .	. .	. .	. .	. .	. .	धान	ज्वार	. .	कम	10%	समान	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		बैरागढ़	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
40.	**सीहोर :**		. .	. .	जुताई चालू	. .	. .	. .	गन्ना	. .	. .	कम	50%	सामान्य	. .	5. पर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त	8. पर्याप्त.
		सीहोर	. .	. .	बोनी चालू	. .	. .	. .	तुअर	. .	. .	कम	15%	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		आष्टा	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		इछाबर	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		नसरूल्लागंज	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		रेहटी	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		श्यामपुर	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		जावर	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		बुधनी	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .

1	2	3	4		5	5 (ब)	6	7	8							9			10	
41.	**रायसेन :**		. .	. .	. .	. .	. .	. .	गन्ना	. .	. .	कम	. .	. .	. .	5. . .	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7.पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
		रायसेन	. .	. .	. .	. .	. .	. .	तुअर	. .	. .	सामान्य	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		गैरतगंज	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		बेगमगंज	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		गोहरगंज	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		बरेली	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		सिलवानी	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		बाड़ी	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		सुल्तानपुर	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		उदयपुरा	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
42.	**बैतूल :**		. .	. .	जुताई चालू	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	5. . .	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7.पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
		बैतूल	. .	. .	बोनी चालू	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	
		भैंसदेही	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		घोड़ाडोंगरी	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		शाहपुर	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		चिचोली	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		मुल्ताई	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		आठनेर	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		आमला	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		प्र.पटनम	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
				. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
43.	**होशंगाबाद :**		. .	. .	जुताई चालू	. .	. .	. .	गन्ना	. .	. .	. .	. .	समान	. .	5. पर्याप्त	6.(अ) . .	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
		होशंगाबाद	. .	. .	बोनी चालू	. .	. .	. .	तुअर	. .	. .	. .	. .	बिगड़ी	40%	. .	. .	. .	. .	. .
		सिवनी-मालवा	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		बावई	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		इटारसी	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		सोहागपुर	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. ..	. .	. .	. .	. .	. .
		पिपरिया	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		बनखेड़ी	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		डोलरिया	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		पचमढ़ी	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .

1	2	3	4		5	5 (ब)	6	7	8							9			10	
44.	**हरदा :**		. .	. .	जुताई चालू	. .	. .	. .	गेहूँ	. .	. .	कम	. .	सामान्य	. .	5. पर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
		हरदा	. .	. .	बोनी चालू	. .	. .	. .	चना	. .	. .	अधिक	. .	सामान्य	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		खिड़किया	. .	. .	. .	. .	. .	. .	अन्य	. .	. .	समान	. .	सामान्य	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		सिराली	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		रेहटगांव	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		हंडिया	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		टिमरनी	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
45.	**जबलपुर:**		. .	. .	जुताई चालू	. .	. .	. .	धान	. .	. .	कम	15%	सुधरी हुई	2%	5. अपर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. . .	8. पर्याप्त.
		आधारताल	18.0	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		कुण्डम	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		सीहोरा	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		पाटन	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .				
		मझौली	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		शाहपुरा	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
46.	**कटनी :**		. .	. .	जुताई चालू	. .	. .	. .	चना	गेहूँ	तुअर	सामान्य	. .	. .	. .	5. पर्याप्त	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
		बहोरीबंद	. .	. .	बोनी चालू	. .	. .	. .	अलसी	. .	. .	सामान्य	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		ढीमरखेड़ा	1.0	. .	. .	. .	. .	. .	मसूर	. .	. .	सामान्य	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		रीठी	. .	. .	. .	. .	. .	. .	#REF!	. .	. .	सामान्य	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		बड़वारा	. .	. .	. .	. .	. .	. .	~~राई सरसों~~	. .	. .	सामान्य	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		मुड़वारा (क)	. .	. .	. .	. .	. .	. .	तुअर	. .	. .	समान	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		विजयराघवगढ़	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		बरही	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
47.	**नरसिंहपुर :**		. .	. .	जुताई चालू	. .	. .	. .	गन्ना	. .	. .	अधिक	5%	. .	. .	5. . .	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
		नरसिंहपुर	. .	. .	बोनी चालू	. .	. .	. .	धान	. .	. .	कम	15%	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		गोटेगांव	. .	. .	. .	. .	. .	. .	तुअर	. .	. .	कम	2%	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		करेली	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		गाडरवारा	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		तेंदूखेड़ा	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .

1	2	3	4		5	5 (ब)	6	7	8							9			10	
48.	**मण्डला :**		. .	. .	जुताई चालू	. .	. .	. .	गन्ना	तुअर	गेहूँ	सामान्य	. .	सामान्य	. .	5. . .	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
		मण्डला	. .	. .	बोनी चालू	. .	. .	. .	चना	मटर	मसूर	सामान्य	. .	सामान्य	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		नैनपुर	. .	. .	. .	. .	. .	. .	लाख	जौ	राई-सरसों	सामान्य	. .	सामान्य	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		बिछिया	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		निवास	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		नारायणगंज	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		घुघरी	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
49.	**डिण्डोरी:**		. .	. .	जुताई चालू	. .	. .	. .	धान	तुअर	अन्य	समान	. .	सामान्य	. .	5. . .	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
		डिण्डौरी	. .	. .	बोनी चालू	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		शाहपुरा	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		बजाग	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
50.	**छिन्दवाड़ा :**		. .	. .	जुताई चालू	. .	. .	. .	धान	. .	. .	अधिक	10%	. .	. .	5. पर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. . .	8. पर्याप्त.
		छिन्दवाड़ा	. .	. .	बोनी चालू	. .	. .	. .	ज्वार	. .	. .	कम	30%	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		तामिया	. .	. .	. .	. .	. .	. .	कपास	. .	. .	कम	65%	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		परासिया	. .	. .	. .	. .	. .	. .	तुअर	. .	. .	कम	2%	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		जुन्नारदेव	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		सोंसर	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		बिछुआ	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		अमरवाड़ा	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		चौरई	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		उमरेठ	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		मोहखेड़	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		हर्रई	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		चांद	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		पांढुर्णा	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
51.	**सिवनी :**		. .	. .	जुताई चालू	. .	. .	. .	धान	गन्ना	. .	अधिक	. .	सामान्य	. .	5. पर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7.पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
		सिवनी	. .	. .	बोनी चालू	. .	. .	. .	तुअर	. .	. .	कम	. .	समान	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		बरघाट	. .	. .	. .	. .	. .	. .	ज्वार	. .	. .	कम	. .	सामान्य	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		कुरई	. .	. .	. .	. .	. .	. .	अन्य	. .	. .	अधिक	. .	सामान्य	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		केवलारी	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		लखनादोन	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		छपारा	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		धनोरा	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		घंसोर	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .

1	2	3	4	5	5 (ब)	6	7	8							9			10	
52.	**बालाघाट**	**:**	. . . .	जुताई चालू	. .	. .	. .	धान	. .	. .	. .	. .	सामान्य	. .	5. पर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. . .	8. पर्याप्त.
		बालाघाट	. . . .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		लाँजी	. . . .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		किरनापुर	. . . .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		बैहर	. . . .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		वारासिवनी	. . . .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		कटंगी	. . . .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		लालबर्रा	. . . .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		तिरोडी	. . . .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		परसवाड़ा	. . . .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		बिरसा	. . . .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		खैरलाँजी	. . . .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .

(1337)

बी. बी. अग्निहोत्री,
उप-आयुक्त,
वास्ते-आयुक्त,
भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त, मध्यप्रदेश.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित-2020.